

64TH ANNUAL REPORT 2023-24

६४ वां
वार्षिक रिपोर्ट
२०२३-२४



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

Board of Management

(As of 1st August 2024)

- Shri Dolar V. Kotecha**, Chairman
(Chairman, Gujarat SCARDB)
- Shri K. Ravinder Rao**, Vice Chairman
(President, Telangana SCAB)
- Dr Moinul Hassan**, Ex-MP, Vice Chairman
(Special Officer, West Bengal SCARDB)
- Shri Suresh Kumar Goyal**, Vice Chairman
(Chairman, Punjab SCADB)
- Shri A.R. Shivaram**, Vice Chairman
(Director, Karnataka SCARDB)
- Dr Bijender Singh**
President, Delhi SCB
- Adv. C. K. Shaji Mohan**
President, Kerala SCARDB
- Shri Bijay Kumar Singh**
Director, Multi SCLDB (Bihar - Jharkhand)
- Shri Amar Pal Rana**
Chairman, Haryana SCARDB
- Shri M. Murugan**
Managing Director, Tamil Nadu CSARDB
- Shri W.K. Kyndiah**
Chairman, Meghalaya CAB
- Shri Sanjay Singh Chauhan**
Chairman, H.P. SCARDB
- Shri Sivadasan Nair**
Co-opted
- Shri K.K. Ravindran**
Managing Director

प्रबन्धन मंडल

(9 अगस्त 2024 तक)

- श्री डोलर व. कोटेचा**, अध्यक्ष
(अध्यक्ष, गुजरात एससीएआरडीबी)
- श्री के. रविन्द्र राव**, उपाध्यक्ष
(अध्यक्ष, तेलंगना एससीबी)
- डा मोइनुल हसन**, भूतपूर्व सांसद, उपाध्यक्ष
(विशेष अधिकारी, पश्चिम बंगाल एससीएआरडीबी)
- श्री सुरेश कुमार गोयल**, उपाध्यक्ष
(अध्यक्ष, पंजाब एससीएडीबी)
- श्री ए. आर. शिवराम**, उपाध्यक्ष
(निदेशक, कर्नाटक एससीएआरडीबी)
- डा बिजेन्द्र सिंह**
अध्यक्ष, दिल्ली एससीबी
- एडवोकेट सी. के. शाजीमोहन**
अध्यक्ष, केरल एससीएआरडीबी
- श्री बिजय कुमार सिंह**
निदेशक, बहुउद्देशीय एससीएलडीबी
(बिहार-झारखण्ड)
- श्री अमर पाल राणा**
अध्यक्ष, हरियाणा एससीएआरडीबी
- श्री एम. मुरुगन**
प्रबंध निदेशक, तमिलनाडू सीएसएआरडीबी
- श्री डब्ल्यू. के. किन्द्या**
अध्यक्ष, मेघालया सीएबी
- श्री संजय सिंग चौहान**
अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश एससीएआरडीबी
- श्री शिवदासन नायर**
सहयोजित
- श्री के. के. रविन्द्रन**
प्रबन्ध निदेशक

SIXTY-FOURTH ANNUAL REPORT 2023-24



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

703A, BSEL Tech Park, 7th Floor, A-wing, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station
Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 27814 114 / 226 • Fax : (022) 2781 4223

E-mail : nafcard.org@gmail.com / ncardbf.org@gmail.com • Website : www.nafcard.org

NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE &
RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION
NOTICE

Notice is hereby issued to conduct the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2023-24 at **5.00 PM** on **Thursday, 29th August 2024** in the **Board Room, Gujarat SCARDB, 489, Ashram Road, Ahmedabad 380009 (Gujarat)** to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 10 September 2023 at Hotel Clarks Amer, Jaipur
2. Consideration of Audited statement of Accounts for the year 2023-24.
3. Consideration of the Audit report for the year ended 31.03.2024.
4. Consideration of Audit Compliance Report for 2023-24.
5. Consideration of Annual Report for the year 2023-24.
6. Appointment of Auditors for the year 2024-25 and fixing audit fees.
7. Consideration of Annual Budget for the year 2025-26.
8. Amendment of Bye-laws Consequent upon Enactment of Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Act 2023 – Proposed Amendment to Bye-law No.37(ii) & 40 of the Federation.

Please make it convenient to attend the meeting.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-

(K.K. Ravindran)
Managing Director

Place : Navi Mumbai

Date : 09th August, 2024

BOARD OF MANAGEMENT

(As of 1st August 2024)



Shri Dolar V. Kotecha
Chairman



Shri K. Ravinder Rao
Vice Chairman



Dr. Moinul Hassan
Vice Chairman



Shri A. R. Shivaram
Vice Chairman



Shri Suresh Kumar Goyal
Vice Chairman



Dr. Bijender Singh
President, Delhi SCB



Shri Bijay Kumar Singh
Director, Multi SCLDB



Shri Waibha K. Kyndiah
Chairman, Meghalaya CAB



Shri Sanjay Singh Chauhan
Chairman, HPSCARB



Shri K. Sivadasan Nair
Co-opted



Shri K.K. Ravindran
Managing Director

MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Executives
(As of 1st August 2024)

Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar - Jharkhand)



Smt. Mamta Singh
Chairperson



Dr. Kaushlendra Singh
Managing Director

Delhi State Co-operative Bank Ltd.



Dr. Bijender Singh
President



Smt. Anita Rawat
Managing Director

Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Dolar V. Kotecha
Chairman



Shri K.B. Upadhyay-I.A.S(Retd.)
Managing Director

Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Amar Pal Rana
Chairman



Smt. Suman Balhara
Managing Director

Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Sanjay Singh Chauhan
Chairman



Shri Sachin Kanwal
Managing Director

Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Rakesh Dubey
Administrator / Managing Director

Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri K. Shadakshari
President



Shri Kumar H P
Managing Director

Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Adv. C K Shaji Mohan
President



Shri Shaji V Nair, IAS
Managing Director

Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Waibha K. Kyndiah
Chairman



Shri Osmand E.J. Nongbri
Managing Director

Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.



Shri CA Suresh Kumar Goyal
Chairman



Sh. Gulpreet Singh Aulakh, IAS
Managing Director

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.



Smt. Shobita Sharma
Administrator



Shri Vijay Kumar Sharma
Managing Director

Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri M. Murugan
Managing Director

MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Executives
(As of 1st August 2024)

Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Marneni Ravindar Rao
President



Dr. Nethi Muralidhar
Managing Director

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.



Shri Santraj Yadav
Chairman



Shri Shashi Ranjan Kumar Rao
Managing Director

West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Dr. Moinul Hassan, Ex-MP
Special Officer



Shri Manasij Mukhopadhyay
Managing Director

Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Managing Director : Shri Manik Dasgupta

Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.

Chairman : Thiru S. Murali

Managing Director : Thiru C. Saravanane

Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Chairman : - -

Managing Director : - -

Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.,

Management I/C : Shri Sabir Kumar Panda

Managing Director : Shri Shivprasad Swain

ECONOMIC SCENE

India continues to hold the distinction of being the fastest growing major economy in the post covid19 world, during 2023-24 as well. On the top of real GDP growth of 7.27% in 2022-23, the real GDP is projected to grow by 7.3% during 2023-24, according to the latest release by the National Statistical Office. The latest IMF data indicate that India which is now the fifth largest economy in the world is set to overtake Japan in 2026 and Germany in 2027 to become the third largest economy. Strong domestic demand remains the main driver of growth, which to a large extent cushioned the economy from multiple external head winds in spite of its increasing integration with global economy through trade and finance. The economy during 2023-24 has demonstrated remarkable resilience by controlling inflation, making balance sheets of banks and corporates stronger than before, making progress in fiscal consolidation as planned and maintaining comfortable external balances with strong forex

reserves. Wide ranging reforms in economic policies coupled with a steep rise in infrastructural investments - both physical and digital carried out by the Govt in recent years have significantly increased the medium and long term growth potential of the economy with focus on sustainability. Govt has also initiated several schemes to achieve the goal of Net Zero Mission by 2070 including harnessing of offshore wind energy generation for an initial capacity of 1 Giga Watt, scaling up biomass segregation, expanding Electric Vehicle (ev) sector by incentivizing manufacturing and charging infrastructure. Govt has also taken several measures to enhance the role of cooperative sector in economic development and set a goal of increasing the share of cooperative sector in the GDP from the present 10% to 40% during Amrit Kaal (2022-2047). The cooperative institutions engaged in the construction, labour and infrastructure development are now given equal opportunities to take advantage of the large scale infrastructure push.

AGRICULTURE 2023-24

The agricultural sector, which is estimated to constitute 18 per cent of India's Gross Value Addition (GVA) in FY24, is the bedrock of the nation's economy. Despite challenges posed by the global health crisis and variability in climate conditions, the sector has demonstrated remarkable tenacity and resilience, contributing significantly to India's economic recovery and development. The sector grew at a higher average annual rate of 3.7 per cent from FY15 to FY23 compared to 3.4 per cent from FY05 to FY14. For

the year FY23, the sector grew at 4.0 per cent as compared to the previous year.

The total food grains production for FY23 was 329.7 million tonnes, marking a rise of 14.1 million tonnes compared to the previous year. The average food grain production per year in million tonnes was 289 in FY15 to FY23, compared to 233 in FY05 to FY14. Rice, wheat, pulses, Nutri/coarse cereals, and oilseeds witnessed record increases in production. India's global dominance extends across agricultural commodities, making it the

largest producer of milk, pulses, and spices worldwide. Additionally, India is the second-largest producer of fruits, vegetables, tea, farmed fish, sugarcane, wheat, rice, cotton, and sugar. The improved performance is also reflected in a substantial surge in agriculture exports, reaching ₹4.2 lakh crore in FY23, surpassing the previous year's records. Given opportunities and an appropriate policy setting, India's farmers have demonstrated their capability to meet food demand of the rest of the world. The potential is still huge.

The Indian government has implemented several strategic measures to bolster the agriculture sector's growth and resilience. One notable intervention is the consistent increase in Minimum Support Prices (MSPs) for 22 Kharif and Rabi crops. Since the agricultural year 2018-19, the government has ensured a minimum of 50 per cent margin over the all-India weighted average cost of production for each crop covered under MSP. This price support also aims to reduce India's import dependence and foster diversification towards pulses, oil, and commercial crops. Accordingly, the highest increase in MSP was approved for lentil (masur) at ₹425 per quintal, followed by rapeseed and mustard at ₹200 per quintal in 2023-24.

The policy initiatives, such as Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY), Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), have played a pivotal role in providing financial and income support to farmers. PM-KISAN, launched in 2019, supplements the financial needs of landholding farmers by transferring ₹6,000 per year in three equal four-monthly instalments. As of December 12, 2023, over ₹2.8 lakh crore have been

transferred to more than 11 crore beneficiaries. Additionally, the government provides pension benefits to 23.4 lakh small and marginal farmers enrolled under the PM-KMY. The success of PMFBY, offering simple and affordable crop insurance against non-preventable natural causes, is evident from 55.5 crore farmer applications insured since 2016-17 and ₹1.5 lakh crore paid as claims.

The government has actively promoted digital inclusion and mechanisation to foster productivity. The launch of the digital platform e-NAM (National Agriculture Market) in 2016 has facilitated the integration of Agriculture Produce Marketing Committees (APMC) mandis and has provided multi-faceted benefits to farmers, farmer-producer organisations (FPOs), buyers and traders. The number of markets linked to the e-NAM platform has increased from 250 in 2016 to 1,389 in 2023, facilitating the online trading of 209 agriculture and horticulture commodities. The platform has witnessed the registration of over 1.8 crore farmers and 2.5 lakh traders, promoting market opportunities through a transparent price discovery system and online payment facility. Further, the value of trade on the platform has increased from ₹0.3 lakh crore in August 2017 to over ₹3 lakh crore in November 2023.

The government's push for technology adoption is evident in its efforts to make drone technology affordable to farmers. Financial assistance at 100 per cent of the drone cost and contingent expenditure has been provided for demonstrations on farmers' fields. In addition, the government is taking steps to strengthen the cooperative movement by computerising Primary Agricultural Credit Societies (PACS). The linkage of 62,318 functional PACS with NABARD through a single

National Software Network reflects the commitment to improving the credit delivery systems in rural areas. The government has also created Agristack, a federated architecture for effective planning, monitoring, policy-making, strategy formulation, and implementation of schemes. Collectively, these initiatives contribute to enhancing farmers' access to quality inputs, timely information, credit, insurance, and market opportunities, all at lower costs and higher convenience.

The focus on enhancement in post-harvest infrastructure investment through the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) and Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY), adoption of sustainable agriculture practices like the Per Drop More Crop Component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana (PMKSY-PDMC) and promotion of Natural Farming to transform agriculture making it more resilient.

Ensuring food security is a cornerstone of government policies, especially for vulnerable populations. Timely and efficient procurement and distribution of food grains are paramount. Over 830 Lakh Metric Tons (LMT) of paddy have been procured for the Central Pool up to June 19, 2023, under MSP operations. The ongoing paddy procurement operations for the Kharif Marketing Season of 2022-23 have benefitted over 1.2 crore farmers, with an MSP outflow of ₹1.7 lakh crore directly transferred into their accounts. Wheat procurement in the current season, up to June 19, 2023, has surpassed last year's total procurement by 74 LMT, reaching 262 LMT. Further, to ensure remunerative prices to the farmers for their produce, the government introduced the Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-

AASHA) scheme in 2018. In addition to these procurement operations, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) launched during the Covid-19 outbreak to provide free food grains to about 81.4 crore beneficiaries (Antyodaya Anna Yojana households and Priority Households beneficiaries) under the PMGKAY have been extended for five years starting from January 1, 2024.

While the agriculture sector has performed well consistently, continuous innovation in farming practices, crop variety improvements, and technology adoption are essential to meet the growing demands for diversified and nutritious food baskets. Further, policy consistency and continuity that expand market and production choices for farmers, which, at the same time, keep the larger environmental and ecological considerations and natural resources availability and demand in the country, will be useful in encouraging farmers to adopt new technologies and practices.

'SAHAKAR-SE-SAMRIDDHI- MAJOR INITIATIVES OF THE MINISTRY OF COOPERATION

The Ministry of Cooperation under the visionary leadership of Shri Amit Shah as the first Cooperation Minister of the country since its formation in July 2021 has taken more than 50 major initiatives so far to realise the vision of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi 'Sahakar-se-Samridhhi'. These initiatives are listed under 31 major heads as below.

1. Model Bye-Laws for making PACS Multipurpose

Ministry of Cooperation prepared Model Byelaws

for PACS in consultation with States and Union Territories as well as other stakeholders. Model Byelaws facilitate PACS to offer a complete range of credit and non credit services required in the rural sector. The Model Byelaws is a major initiative to convert PACS to multi purpose societies catering to the entire credit and non credit needs of rural population. 31 States/Union Territories have already adopted the Model Byelaws of PACS and the process of implementation of Model Byelaws is underway in the remaining States/Union Territories.

2. Strengthening of PACS through Computerization

To enhance the efficiency of PACS, computerization of PACS/LAMPS has been started. Total 63,000 functional PACS/LAMPS are being linked with NABARD through a single National Software Network.

3. Establishment of Multipurpose PACS/ Dairy/Fisheries Cooperative Societies in every Panchayat/Village

The Union Cabinet in February 2023 approved the Scheme for setting up 2 lakh new Multi-purpose PACS/Dairy/Fisheries Cooperative Societies in the Panchayats/Villages not covered so far, in the next 5 years. The scheme is currently under implementation in 23 States/UTs.

4. World's largest Decentralized Grain Storage Program in Cooperative sector to ensure food security

The Govt in May 2023 approved the World's largest food storage scheme in the cooperative sector. Under this scheme, different types of agricultural infrastructure such as godowns, custom hiring centres, processing units, fair price shops etc. will

be created by convergence of various schemes of the Government of India at the PACS level.

5. PACS as Common Service Centres (CSCs) for better access to e-Services

An MoU has been signed on 02.02.2023 between Ministry of Cooperation, Ministry of Electronics and Information Technology, NABARD and CSC e-Governance Services India Limited for providing CSC services through PACS, after which PACS have now become capable of providing more than 300 E-services provided by CSC. Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah inaugurated this project on July 21, 2023 at Vigyan Bhawan, New Delhi. There is a plan to provide CSC facilities through all the functional PACS/LAMPS of the country which are being computerised by January 2024.

6. Formation of new Farmer Producer Organizations (FPOs) by PACS

Under the FPO scheme, it has been decided to allot 1100 additional FPOs to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) in cooperative sector. Now, PACS will be able to do other economic activities related to agriculture as FPOs. This initiative will also be helpful in providing the members of the cooperative societies with the necessary market linkage to get fair and remunerative prices for their produce. Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah inaugurated this project on July 14, 2023 at IECC, Pragati Maidan, New Delhi. An action plan has been prepared by NCDC for formation of FPOs in 629 uncovered blocks of 16 States/Union Territories.

7. Eligibility of PACS for LPG Distributorship

On the initiative of Ministry of Cooperation, the Petroleum Ministry has amended its rules to make PACS eligible for LPG distributorship, after which

PACS will also be able to distribute LPG. Guidelines have been issued for obtaining LPG distributorship by PACS.

8. Permission to convert Bulk Consumer Petrol Pump operated by PACS into retail outlets

The Ministry of Petroleum and Natural Gas has also given consent to convert the existing bulk consumer licensee PACS into retail outlets. The Government of India has invited online applications for converting the bulk consumer petrol pumps operated by PACS into retail outlets.

9. Priority to PACS for new Petrol/Diesel Pump dealerships

PACS will also be given priority in new Petrol/Diesel Pump dealerships. Advertisement has also been issued by OMC/Petroleum Ministry for PACS to apply under Combined Category 2 (CC-2). Government of India has invited online applications from PACS for allotment of new Petrol/Diesel Pumps.

10. PACS as Jan Aushadhi Kendra for access to generic medicines at Rural level

Based on the suggestion of MoC, the Ministry of Chemicals and Fertilizers has decided to open 1,000 Jan Aushadhi Kendras by August, 2023 and 2,000 Jan Aushadhi Kendras by December, 2023 at identified PACS. With this initiative, cheaper generic medicines will be available to the common people at the Village/Block level and PACS will get additional employment opportunities.

11. PACS as Pradhan Mantri Kisan Samridhi Kendra (PMKSK)

The Ministry of Chemicals and Fertilizers decided to

upgrade the PACS already functioning as fertilizer distribution centres as Pradhan Mantri Kisan Samridhi Kendras (PMKSK). It was also decided to make PACS act as drone entrepreneurs for spraying fertilizers and pesticides. Additionally, drones can also be used for property surveys. This will create new business opportunities for PACS and increase their profits. As per information provided by States/UTs, 29,119 PACS in 22 States/UTs have been upgraded to PMKSK, remaining are in progress.

12. Micro-ATMs to Bank Mitra Cooperative Societies with the help of NABARD

Dairy and Fisheries cooperative societies have also been made Bank Mitra of District Central Cooperative Banks and State Cooperative Banks. To ensure their ease of doing business, transparency and financial inclusion, Micro-ATMs are also being given to these Bank Mitra Co-operative Societies with support from NABARD to provide 'Door Step Financial Services'.

13. Rupay Kisan Credit Card to Members of Cooperative Societies

A Pilot project has been started in Panchmahal and Banaskantha districts of Gujarat to expand the reach and capacity of Rural Co-operative Banks and to provide necessary liquidity to the members of rural Co-operative Societies. Under this project, Bank Accounts of all the members of the cooperative societies are being opened in the concerned District Central Cooperative Banks and with the support of NABARD, Rupay-Kisan Credit Cards (KCCs) are being distributed to the account holders. Through Rupay-Kisan Credit Card, loans will be available to members of the Cooperative Societies at reasonable rate and members can also

use this Card for other financial transactions. This pilot project is targeted to be implemented nationwide in coming days. So far, 73,503 KCCs have been distributed.

14. PACS as Paani Samiti

In order to utilize the reach of PACS in rural areas, on the initiative of the Ministry of Cooperation, Ministry of Jal Shakti has written a Letter to all the States to make PACS eligible as 'Paani Samiti' to undertake the work of Operation and Maintenance (O&M) of Piped Water Supply schemes in rural areas.

15. Convergence of PM-KUSUM Scheme at PACS Level

The structure and reach of PACS, which have direct linkage with 13 Crore farmer members, is proposed to be leveraged to set up decentralized solar power plants at the Panchayat level. With this, farmers connected to PACS would be able to ensure their energy security. Further, PACS and its member farmers will get alternative sources of income.

16. Formation of Fish Farmer Producer Organisation (FPPO)

In order to provide market linkage and providing processing facilities to the fishermen, NCDC has registered 69 FPPOs in the initial phase. Department of Fisheries, Government of India has further allocated conversion of 1000 existing fisheries cooperative societies into FPPOs to NCDC, with an approved outlay of Rs. 225.50 crore.

17. Three new Multi-State Cooperative Societies at the National level

Under the guidance of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and leadership of Hon'ble

Cooperation Minister Shri Amit Shah, the Ministry of Cooperation constitutes the following three new Multi-State Cooperative Societies for Exports, Certified Seed and Organic Products.

(i) New National Level Multi-State Cooperative Society for Exports

Under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, a new National Cooperative Exports Limited (NCEL) has been set up as an Umbrella organization to promote exports from the cooperative sector. Cooperative societies from Primary to National level including District, State, National level federations and Multi-State Cooperative Societies can become its members.

(ii) New National Level Multi-State Cooperative Society for Certified Seeds

Under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, a new Bhartiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSSL) has been set up as an Umbrella organization for cultivation, production and distribution of improved seeds under a single brand name. Cooperative Societies (Primary, District, State level) of States/Union Territories can become its members. This Society will increase availability of improved seeds to the farmers, boost productivity of crops and enhance the income of the farmers.

(iii) New National Level Multi-State Cooperative Society for Organic Farming

The National Cooperative Organics Limited (NCOL) has been established under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 as an Umbrella organization which will work for production, distribution and marketing of certified and

authentic organic products. Primary to National level cooperative societies including District, State, National level federations, Multi-State Cooperative Societies, and Farmer Producer Organizations (FPOs) can become its members. This will increase production of organic products and increase the profit of the farmers.

18. Relief in Income Tax law for Cooperative Societies

(i) Reduction in surcharge on Income Tax for Cooperative Societies

Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah has made untiring efforts with the objective of bringing parity between cooperative sector and companies. The surcharge on Income Tax for Cooperative Societies with income from ₹ 1 Crore to ₹ 10 Crore has been reduced from 12% to 7% at par with Companies. This will reduce the burden of Income Tax on Cooperative Societies and more capital will be available with the societies to work for the benefit of the members.

(ii) Reduction in Minimum Alternate Tax (MAT) on Cooperative Societies

The Minimum Alternate Tax rate for Cooperative Societies has been reduced from 18.5% to 15%. With this provision, now there is parity between Cooperative Societies and Companies in this regard. This will strengthen cooperative societies and Cooperative Sector will expand.

(iii) Increase in limit of Cash Deposits and Cash Loans by PACS and PCARDBs

The limit for Cash Deposits and Cash Loans by PACS and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs) has been increased from ₹ 20,000 to ₹ 2 lakh per member.

This provision will facilitate their activities, increase their business and benefit the members of societies.

(iv) Tax cut for new manufacturing Cooperative Societies

New manufacturing cooperative societies commencing manufacturing operations by March 31, 2024, will be taxed at a flat rate of 15% as against the existing tax rate of up to 30% with surcharge. With this provision, now there is parity between Cooperative Societies and companies in this regard. This will encourage the formation of new cooperative societies in the manufacturing sector.

(v) Increase in the limit of Tax Deducted at Source (TDS) in Cash Withdrawal

Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and the guidance of Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah Union Government through the Budget 2023-24, has increased the cash withdrawal limit of cooperative societies without deduction of tax at source from ₹1 crore to ₹3 crore per year. This provision will save Tax Deducted at Source (TDS) for cooperative societies, which they will be able to use to work for the benefit of their members.

(vi) Relief in cash transactions under section 269ST of the Income Tax Act

Section 269ST of IT Act prohibits any person to receive an amount of ₹ 2 lakh and above in cash; in aggregate from a person in a day, or in a single transaction, or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person. The Income Tax Department earlier treated the 'Contract' between a milk cooperative and its distributor as

'one event' and if the cumulative cash receipt, in all the transactions with that distributor, in the entire year was more than ₹ 2 lakh income tax penalty was imposed on such cooperatives. The Income Tax Department has issued a circular making it clear that now the 'Contract' made by cooperative societies with their distributors will not be considered as 'one event'. With this clarification, cash transaction less than ₹ 2 lakhs done by a cooperative society with its distributor in a day will be considered separately, and they will not be charged with income tax penalty. With this, State and District milk unions will now be able to receive payment less than ₹ 2 lakh per day in cash from their distributors and do payment in cash to member milk producers during Bank holidays.

19. Computerisation of Central Registrar's office

The office of the Central Registrar is responsible for administering the Multi State Co-operative Societies (MSCS) Act, 2002. The office of the Central Registrar is being computerized to create a digital ecosystem for Multi-State Cooperative Societies. This will help in processing applications and service requests in a time bound manner through electronic work flow at the Central 18 Registrar's Office. It will have provisions for OTP based user registration, verification check for compliance with MSCS Act and Rules, hearing through VC, issue of registration certificate and other communication, electronically. Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah inaugurated this digital portal on August 06, 2023.

20. The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023

The Multi-State Co-operative Societies

(Amendment) Act, 2023 aims to amend Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 to incorporate the provisions of the 97th Constitutional Amendment and to strengthen governance, increase transparency, increase accountability, improve election process, etc in Multi State Cooperative Societies. This Bill was introduced in the Lok Sabha on December 7, 2022, and was referred to a Joint Parliamentary Committee of both the Houses on December 20, 2022. The Bill has been passed by the Lok Sabha on July 25, 2023 and by the Rajya Sabha on August 01, 2023. The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023 has come into force from 3rd August, 2023.

21. Revival of Cooperative Sugar Mills

(i) Relief from Income Tax to Cooperative Sugar Mills

Cooperative Sugar Mills will not have to pay additional income tax on payment of higher sugarcane prices to farmers up to the fair and remunerative price or the State advised price. With this provision, Cooperative Sugar Mills will now be able to give higher price of sugarcane to their members and they will get income tax deduction on this higher expenditure. According to the clarification issued on 25.10.2021, this provision is applicable from 01.04.2016 and since then, farmer members are getting this benefit through cooperative sugar mills.

(ii) Resolving decades old pending issues related to income tax of Cooperative Sugar Mills

A new sub-section 19(1) has been included in Section 155 of Income Tax, by which the payments made by cooperative sugar factories to sugarcane

farmers before 2016-17 will be treated as expenditure. As per report given by National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited this has benefited cooperative sugar mills to the tune of ₹46,524 crore, thus resolving decade pending Income Tax issues.

(iii) ₹10,000 crore loan scheme through NCDC for strengthening of Cooperative Sugar Mills

Ministry of Cooperation has launched a new scheme named 'Grant-in-aid to NCDC for Strengthening of Cooperative Sugar Mills', under which Government of India would give grant of ₹1,000 crore to NCDC during Financial Year 2022-23 and 2023-24. NCDC will use this grant to provide loans up to ₹10,000 crores to Cooperative Sugar Mills, which they will be able to use for setting up ethanol plants or for setting up cogeneration plants or for working capital or for all three purposes. So far, ₹3010.57 Crore has been approved by NCDC for 24 Cooperative Sugar Mills.

(iv) Preference in purchase of ethanol to Cooperative Sugar Mills and establishment of Cogen Power Plants

Cooperative Sugar Mills will be put at par with private companies for ethanol procurement by the Ministry of Petroleum under the Ethanol Blending Programme (EBP). Setting up cogeneration power plants from sugarcane bagasse is also in progress. With these steps, the business of Cooperative Sugar Mills will expand and in result their profits will also increase.

(v) Reduction in GST on Molasses from 28% to 5% to help Cooperative Sugar Mills

The government has decided to reduce GST on

molasses from the current rate of 28% to 5%. This will increase the liquidity of distilleries as molasses is the raw material for their operations. They will require less working capital due to lower GST. Cooperative sugar mills which do not have ethanol or distillery plants can earn more profits by selling their molasses to distilleries with higher margins.

22. Redressal of Difficulties faced by Cooperative Banks

At the intervention of Shri Amit Shah, Hon'ble Union Cooperation Minister, several initiatives were made to remove the difficulties faced by cooperative banks in their business as listed below.

- (i) Urban Co-operative Banks (UCBs) will now be able to open new branches to expand their business.
- (ii) Cooperative Banks will also be able to make one-time settlement of outstanding loans, like Commercial Banks.
- (iii) Additional time limit has been given to achieve the Priority Sector Lending (PSL) targets given to UCBs.
- (iv) A Nodal Officer has been designated in RBI for regular interaction with UCBs.
- (v) RBI has permitted UCBs to provide door-step banking services to their customers.
- (vi) RBI has more than doubled the individual housing loan limit for Rural and Urban Co-operative Banks.
- (vii) Rural Co-operative Banks will now be able to lend to commercial real estate - residential housing sector, thereby diversifying their business.

(viii) Co-operative Banks have been included as Member Lending Institutions [MLIs] of CGTMSE. With this, now the member Co-operative Banks will be able to take advantage of risk coverage up to 85 percent on the loans given. Along with this, the cooperative sector enterprises will also now be able to get collateral free loans from Co-operative Banks.

(ix) License fee for on boarding Co-operative Banks to the modern 'Aadhaar Enabled Payment System' (AePS) has been reduced by linking it to the number of transactions. Apart from this, cooperative financial institutions will also be able to get the facility free of cost for the first three months of the pre-production phase. With this, farmers will now be able to get the facility of banking at their home with their fingerprints.

(x) **Scheduling norms for urban co-operative banks**

Urban co-operative banks that meet the 'Financially Sound and Well Managed' (FSWM) criteria and have maintained the minimum deposits required for classification as Tier 3 for the last two years are now eligible to be included in Schedule II of the Reserve Bank of India Act 1934 and get 'Scheduled' status. At present, there are 84 banks classified as Tier 3 and Tier 4.

(xi) RBI has doubled monetary ceiling for Gold Loan under Bullet Repayment Scheme from 2 Lakh to 4 Lakh for those UCBs who meet the Priority Sector Lending (PSL) targets.

(xii) **Umbrella Organisation for Urban Cooperative Banks**

RBI has accorded approval to the National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd. (NAFCUB) for the formation of an Umbrella Organisation (UO) for the UCB sector, which will provide necessary IT infrastructure and operation support to around 1,500 UCBs.

23. Expansion of National Cooperative Development Corporation (NCDC)

(i) **New schemes for Cooperative Societies started by NCDC**

New schemes for Cooperative Societies have been started by NCDC in various sectors such as 'Swayamshakti Sahakar' for self-help groups; 'Dirghavadhi Krishak Sahakar' for long term agricultural credit; 'Dairy Sahakar' for dairy and 'Nandini Sahakar' for women's cooperative institutions etc. In the financial year 2022-23, NCDC disbursed financial assistance of ₹41,025 crore (provisional) which is almost 20% higher than the disbursement of ₹34,221 crore in 2021-22. The target is to disburse about 50,000 crore loan in the year 2023-24. All States and State Cooperative Societies can avail loan schemes of NCDC. The Government of India approves issuance of bonds worth ₹2000 crore by NCDC. The Government of India has permitted National Cooperative Development Corporation (NCDC) to issue bonds worth ₹2000 crore with government guarantee, subject to the adherence of specified terms and conditions. Now NCDC will be able to disburse additional ₹2000 crore long term loans at relatively lower rates for the development of the cooperative sector.

(ii) Financial Assistance by NCDL for Deep Sea Trawlers

NCDL is providing financial assistance for projects related to deep sea trawlers in coordination with the Department of Fisheries, Government of India. NCDL has already sanctioned financial assistance of ₹20.30 crore for purchase of 14 deep sea trawlers for the Fisheries Cooperative Societies of Maharashtra.

24. Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, the Cabinet has approved Cooperative Societies to be registered as 'Buyer' on Government e-Marketplace (GeM) on 1st June, 2022. Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah e-launched the on-boarding of Cooperative Societies on the GeM Portal on 09 August 2022 in New Delhi. Cooperative Societies will now be able to buy from around 60 lakh authentic sellers/service providers available across the country on the single platform of GeM. So far, 559 Cooperative Societies have been on-boarded as buyers on the GeM portal. Further, Cooperative Societies are also being motivated to register as sellers on GeM.

25. Formulation of New National Cooperation Policy

In order to realize Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of 'Prosperity through Cooperation', Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah has decided to formulate a new Cooperation Policy in the country. A Multidisciplinary and National level committee consisting of 49 members comprising experts and stakeholders from different States and across the

Country has been constituted under the leadership of former Union Minister Shri Suresh Prabhu to formulate the New Cooperation Policy. So far, 17 meetings of the Expert Committee have been held, during which detailed discussions were held with the stakeholders and the new National Cooperation Policy is expected to be ready soon.

26. New National Cooperative Database

Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah believes that a database is necessary for the planned development of cooperative sector and therefore, the work on developing a comprehensive, authentic and updated National Cooperative Database is being done in a phased manner by the Ministry of Cooperation with the assistance of State Governments. Under the First Phase, mapping of about 2.64 lakh societies of PACS, dairy and fisheries was completed in February, 2023. In the Second Phase, mapping of National Cooperative Societies and Federations was completed. So far, in the last phase, about 7.88 lakh cooperative societies have been included in the database.

27. Establishment of Cooperative University

Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah is of the view that planned development and empowerment of the Cooperative sector can happen only with trained manpower for which it is being planned to establish National Cooperative University for Cooperative education, training, consultancy, research and development. This University will ensure a sustainable, adequate and quality supply of trained manpower and work for

capacity building of the existing personnel. This University will be first of its kind, a specialized University in the cooperative sector.

28. Promotion of training and awareness through NCCT

The National Council for Cooperative Training (NCCT), an autonomous institute under the Ministry of Cooperation, organizes cooperative education and training programs for personnel, members and board members of Cooperative Societies across the country, including personnel from Cooperative Departments of States/UTs.

29. Computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs)

To strengthen the Long-term Cooperative Credit Structure, the Ministry of Cooperation has approved a Centrally Sponsored Scheme for Computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs). It will have various components such as hardware procurement, comprehensive Enterprise Resource Planning (ERP) solutions, digitization, providing training and support, and maintenance of software, etc. 25 percent of the expenditure incurred in this scheme will be borne by the ARDBs and the remaining 75 percent by the Central and State governments. Computerization will provide various benefits to ARDBs, such as increased efficiency, faster loan disbursement, reduced transaction costs, increased transparency and lower imbalances of payments, etc.

30. Scheme for computerization of office of Registrar of Cooperative Societies in States/Union Territories

To increase ease of doing business for Cooperative

Societies and create a digital ecosystem for transparent paperless regulation in all States/Union Territories, Ministry of Cooperation has approved a Centrally Sponsored Scheme for computerization of offices of Registrar of Cooperative Societies of all States/UTs. The software developed under this scheme will be based on the Cooperative Act of the respective State/UT.

31. Refund to Investors of Sahara Group of Societies

The Ministry of Cooperation filed a Petition in the Hon'ble Supreme Court based on which the Hon'ble Supreme Court vide order dated 29.03.2023, directed to transfer ₹ 5000 crore from Sahara-SEBI refund account to the Central Registrar of Cooperative Societies for disbursement of valid dues of the depositors of 4 Cooperative Societies of Sahara Group (Sahara Credit Cooperative Ltd., Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd., Hamara India Credit Cooperative Society Ltd. and Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.).

Hon'ble Cooperation Minister Shri Amit Shah launched the 'Central Registrar - Sahara Refund Portal' (<https://mocreftund.crcs.gov.in>) in New Delhi on 18th July, 2023 and the process of first phase payment to the depositors has started from August 04, 2023. Till 11.12.2023, Claims for ₹81,291.50 Crore have been received on 'CRCS-Sahara Refund Portal' from 3.35 crore depositors. An amount of ₹215 Crore has been released to 2,36,066 depositors of Sahara Group of Cooperative Societies.

RURAL CREDIT SCENARIO

Historically, farmers in India are resource poor who depend heavily on borrowings to facilitate production and smoothening of consumption pattern. With customary uncertainties of farming under rainfed conditions, increasing indebtedness of farmers at exploitative interest rates has been a continuous characteristics of Indian agriculture. Institutional credit was virtually absent till the end of 19th Century though farmers occasionally were given loans by the Govt, especially during drought years. The idea of forming Cooperative Societies to give loans to farmers came only in the beginning of 20th Century. This thinking finally resulted in the enactment of Cooperative Societies Act in 1904. Cooperatives gradually became an important source of agricultural credit throughout the country. Rural credit also received continuous attention of the Govt in the early part of 20th Century. The original Act of 1904 was followed by a new Cooperative Act in 1912 to give legal recognition to Cooperative Credit Societies. Establishment of Provincial Cooperative Banks, resulting in the creation of 3-tier Cooperative credit structure was another important development during this period. The operations of credit cooperatives however, confined to short term loans. At the same time, farmers were in need of long term loans to free their land from prior debts, which claimed a major portion of crops they produced by way of interest on such debts. Land Mortgage Banks were established in early 1920s to meet such long term credit needs of farmers. The establishment of first Land Mortgage Bank in Punjab in 1920 was followed by formation of such banks at provincial and primary levels in the

provinces. In spite of all these efforts by 1951, only 3.3% of farmers had accessed credit from Cooperatives and only less than 1% of farmers managed to get loans from Commercial Banks. All India Rural Credit Survey Committee in 1954 observed that agricultural credit fell short of right quantity, was not of the right type and did not serve the right purpose and often failed to go to the right people. Committee observed several deficiencies in the performance of cooperatives in meeting the credit needs of farmers, but found that cooperatives had a vital role in channelizing credit to the farmers and summed up that 'Cooperation has failed, but Cooperation must succeed'. Agricultural Refinance Corporation was established in 1963 to make long term funds available to Cooperative Rural Credit Structure, particularly Land Development Banks. All India Rural Credit Review Committee was set up in 1966 to review the availability of rural credit and to recommend measures to improve flow of agricultural credit. The Committee recommended that Commercial Banks should play a complementary role along with cooperatives in extending rural credit. Bank nationalization and introduction of the concept of priority sector lending in 1969 acted as a catalyst to bring commercial banks in the Rural Credit System in a big way. Lead Bank Scheme was also introduced in the same year for decentralized planning under which each district was placed with one of the commercial banks. All these initiatives however, failed to bring desirable improvement in credit flow to agriculture mainly because commercial banks were not tuned to the needs of small and marginal farmers, while cooperatives

lacked resources to meet the growing demand for credit. It was on the above background that Regional Rural banks (RRBs) were set up in 1975 based on the recommendations of Narsimhan Working Group. RRBs were conceived as a separate banking structure, combining the cooperative advantages of local feel and familiarity of rural problems and the professionalism and resource base of commercial banks. Thus, towards the end of 70s a Multi-Agency System comprising of Cooperatives, Commercial banks and RRBs was emerged for rural credit. Subsequently, following recommendations of the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development, National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD) was set up in 1982, which took over the entire operations of ARDC and the refinancing functions of RBI with regard to agriculture and rural credit. NABARD plays a central role in providing financial assistance and facilitating institutional development in the area of rural credit. 1990s witnessed initiation of financial sector reforms based on the report of Committee on the financial system (Chairman Shri M. Narsimhan 1991).

Several committees on Rural Financial System were also constituted during this period including High level Committee on Agricultural Credit through commercial Banks (R.V. Gupta, 1998), Task Force Study to study the functioning of Cooperative credit system and to suggest measures for strengthening (Jagdish Kapoor, 1999), Expert Committee on Rural Credit (V.S. Vyas, 2001), Vaidyanathan Task Force I & II in early 2000s etc. The financial sector reforms in India since 1990s were carried out mainly on the basis of the recommendations of the above Committees. However, it is observed that while the recommendations relating to Commercial banks and RRBs were mostly implemented those relating to strengthening of Rural Cooperative Credit Structure were not given required attention. Vaidyanathan Task Force Report on STCCS was not fully implemented whereas Vaidyanathan Task Force Report on LTCCS was ignored and not implemented at all.

There has been phenomenal growth in the credit flow to agriculture from its implementation as may be seen from the 1table below showing yearly targets and achievements for agricultural credit from 2004-05 to 2023-24.

(₹ in Crores)

| YEAR | TARGET | ACHIEVEMENT |
|---------|----------------------|-------------------|
| 2004-05 | 1,05,000 (Base year) | 1,25,309 |
| 2005-06 | 1,41,500 (34.29%) | 1,80,486 (44.03%) |
| 2006-07 | 1,75,000 (24.11%) | 2,29,401 (27.10%) |
| 2007-08 | 2,25,000 (28.57%) | 2,50,000 (8.98%) |
| 2008-09 | 2,80,000 (24.44%) | 3,02,908 (21.16%) |
| 2009-10 | 3,25,000 (16.07%) | 3,84,541 (26.95%) |
| 2010-11 | 3,75,000 (15.39%) | 4,68,291 (21.78%) |

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| 2011-12 | 4,75,000 (26.67%) | 5,11,029 (9.13%) |
| 2012-13 | 5,75,000 (21.05%) | 6,07,375 (18.85%) |
| 2013-14 | 7,00,000 (21.74%) | 7,30,765 (20.32%) |
| 2014-15 | 8,00,000 (14.29%) | 8,45,328 (15.68%) |
| 2015-16 | 8,50,000 (6.25%) | 9,15,509 (8.30%) |
| 2016-17 | 9,00,000 (5.88%) | 10,65,755 (16.41%) |
| 2017-18 | 10,00,000 (11.11%) | 11,62,617 (9.09%) |
| 2018-19 | 11,00,000 (10.00%) | 12,54,762 (7.93%) |
| 2019-20 | 13,50,000 (22.73%) | 13,73,766 (9.48%) |
| 2020-21 | 15,00,000 (11.11%) | 15,75,398 (14.68%) |
| 2021-22 | 16,50,000 (10.00%) | 18,63,364 (18.28%) |
| 2022-23 | 18,50,000 (12.12%) | 21,55,163 (16%) |
| 2023-24 | 20,00,000 (8.11%) | - |

Source: rbi.org.in, Annual Report publication - NABARD.

Over the past few decades, especially since 1990-91, the share of long term credit has been continuously decreasing implying that farmers are taking loans for recurring expenditures rather than to fund long term investments. Although the flow of production credit has been on the increase year after year, it has not resulted in proportionate increase in agricultural production, due to falling share of investment credit and slowdown in the rate of capital formation and productivity enhancement. The institutional credit delivery mechanism does not have long term resources. The refinance facility from NABARD is only by way of liquidity support to the banks. Commercial Banks generally squeeze the repayment period for their investment credit support thereby compelling the farmers to repay their loans even without any income. Following observations of Y.C. Nanda Working Group on Enhancing the Share of ARDBs

in Long Term Agricultural Credit are worth quoting here. "Cooperative banks and RRBs do not have adequate long term resources to augment their share in investment credit. ARDBs continues to be an important source to support the investment credit needs of their members with or sometimes even without NABARD's refinance support. If the share of investment credit by ARDBs need to be expanded, they should be provided with liberalized funding from NABARD or any other higher financing agency as ARDBs are the only channel purposely created for providing long term investment credit support. It, therefore, calls for a relook on the refinancing policy of NABARD which should play a proactive role of supporting the ARDBs instead of adopting restricted lending policies. In fact, NABARD has been first recovering its refinance dues from ARDBs even when they are not in a position to recover from the borrowing

members, since its inception. This policy of NABARD needs to be relooked and it should adopt later-end repayment of its refinance instalments by the ARDBs. Such an approach would give adequate cushion to ARDBs in meeting unfavorable recovery climate arising out of various socio-political reasons and NABARD would also take part in risk sharing approach.”

High interest rates payable by farmers for investment credit is another issue that should be addressed on priority. Central Govt. has taken steps for keeping interest rate of crop loans at affordable rates. After the interest subvention of 3% the maximum interest rate on crop loans is 4% per annum. With additional interest subvention by State Governments crop loans are now available at zero interest rate in some states. However, none of these measures to reduce the cost of agriculture credit has been extended to loans given for farm investments. NABARD’s refinance support to banks for investment credit carries interest rates of about 8.50% per annum, making the cost of loans at ultimate borrower level in the range of 12-14% per annum. The huge gap between interest rates of

crop loans and investment loans has become a major disincentive for farm investments.

Govt. has set up Long Term Rural Credit Fund in NABARD with annual contributions out of deficit in commercial banks’ lending to agriculture. NABARD has been using this Fund for giving investment credit refinance at a lower rate for a maximum period upto 5 years. However, the impact of LTRCF in the cost of funds of SCARDBs is not significant as the share of LTRCF in the total funding support from NABARD is small.

There has been significant increase in the area of irrigated farm lands in the last 10 years. However, about 50% of the total area under cultivation is still rain-fed. Financing agriculture especially under rain-fed conditions involves high risk. At present, the entire risk involved in farm financing is borne by lending institutions resulting in high level of NPAs with them. For large number of institutions in the cooperative credit structure including ARDBs which cater mainly to small and marginal farmers, the NPAs are beyond tolerable level.

COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE – OVERVIEW

Overview of the Structure

At present the structure comprises of 16 SCARDBs of which only 13 are fully functional with a network of 1,868 PCARDBs/branches of SCARDBs at ground level. These banks have a total membership of 1,02,79,500 rural households of which 32,93,559 have outstanding loans. The Total Loans Outstanding and Borrowings Outstanding of these banks as on 31.03.2024 were ₹21,474.16 crores

and ₹12,219.44 crores respectively. Fully functional SCARDBs have total deposits of ₹2,259.51 crores as on 31.3.2024 as against ₹2,222.72 crores as on 31.3.2023. Their total lending during 2023-24 stood at ₹5,616.59 crores as against ₹5,429.43 crores during the previous year. Aggregate recoveries were 41.07% (As on 31 March 2024) as against 41.21% last year.

Overview of Long-Term Cooperative Credit Structure for last 2 years

(₹ Crores)

| Sr. No. | Particulars | During the year | |
|---------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | 2022-23 | 2023-24* |
| 1. | No. of SCARDBs | | |
| | i Fully Functional | 13 | 13 |
| | ii Others | 3 | 3 |
| 2. | Network of outlets | | |
| | i Branches of SCARDBs | 657 | 657 |
| | ii Supervisory Units | 83 | 84 |
| | iii. PCARDBs | 606 | 609 |
| | iv. PCARDBs and its branches | 499 | 518 |
| | TOTAL | 1,845 | 1,868 |
| 3. | Membership of individuals | 1,09,34,587 | 1,02,79,500 |
| 4. | Borrowing Membership | 40,06,883 | 32,93,559 |
| 5. | Loans Outstanding | 21,158.34 | 21,474.16 |
| 6. | Loans Disbursed | 5,429.43 | 5,616.59 |
| 7. | Borrowings Outstanding | 12,560.13 | 12,219.44 |
| 8. | Deposit Outstanding | 2,222.72 | 2,259.51 |
| 9. | Loan Recovery Position As on 31 March | | |
| A. | At Ultimate Borrowers' Level | 2022-23 | 2023-24 |
| | i Demand | 16,775.62 | 15,358.63 |
| | ii Collection | 6,913.04 | 6,308.51 |
| | iii Balance | 9,862.58 | 9,050.12 |
| | iv Recovery % | 41.21 | 41.07 |
| B. | At SCARDB Level | 2022-23 | 2023-24 |
| | i Demand | 14,877.59 | 12,279.76 |
| | ii Collection | 6,674.41 | 5,569.51 |
| | iii Balance | 8,203.17 | 6,710.25 |
| | iv Recovery % | 44.86 | 45.36 |
| 10. | Amount of Profit | 440.59 | 267.91 |
| | No. of banks in Profit | 10 | 10 |

| | | | |
|-----|--------------------------|--------------|--------------|
| 11. | Amount of Losses | 40.48 | 541.31 |
| | No. of banks in Losses | 3 | 3 |
| 12. | Staff Position | | |
| | i SCARDB Level (Apex) | 4,430 | 4,371 |
| | ii PCARDB level (Ground) | 4,035 | 3,890 |
| | TOTAL | 8,465 | 8,261 |

*Figures are tentative

Major issues and challenges

- LTCCS is primarily designed as non-resource based lending agency.
 - The institutions in the structure are not given licence to function as banks coming under BR Act and hence not allowed to raise resources from the market like other rural financial institutions.
 - Depends heavily on NABARD's refinance for resources for lending.
 - The refinance support of NABARD, however, is steadily declining since the beginning of 2000s due to difficulties in arranging state govt guarantee and failure to meet eligibility conditions for refinance based on risk rating.
 - The Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit (2017) under the chairmanship of Shri Y.C. Nanda, Ex-Chairman, NABARD recommended NABARD to introduce a new additional refinance product to extend refinance to SCARDBs on the basis of their unencumbered quality assets and other qualitative norms without government guarantee or collaterals. NABARD is yet to implement this recommendation.
- Inability to advance crop loans to long term borrowers affecting returns from farm investments and loan repayment.
 - The crop loan interest subvention scheme of Govt of India is not extended to ARDBs.
 - Long term borrowers of ARDBs generally are unable to take crop loans from other agencies as their land is pledged with ARDBs.
 - Non availability of crop loans affects the income and repaying capacity of these farmers.
- Deteriorating recovery climate
 - Aggregate recovery at the ground level has been hovering around 50% in the last few years.
 - Though loans are secured by mortgage of land recovery of loan by selling agricultural land is difficult in many States.
 - Inability of the structure to give production credit/working capital loans along with investment credit deprives full benefit of investments to borrowers who are not able to access short term loan from other agencies.
 - In the absence of short term loan products and saving products, ARDBs are unable to

maintain regular contact with borrowers which is necessary to improve repayment.

- Loan waivers, even when done as a one-time measure to help farmers in distress, give rise to expectations of further waivers in the future leading to default even by those who have the capacity to pay.
- Exclusion of ARDBs from financial sector reforms.
 - The financial performance of the structure started declining since 90s due to heavy overdues in govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins and implementation of debt waiver scheme in 1990 by the Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme.
 - While financial sector reforms including recapitalisation since 90s helped Commercial Banks, RRBs and STCCS to set off such losses, ARDBs continue to remain excluded from financial sector reforms.
 - Even though Vaidyanathan Task Force II (2006) recommended a revival package comprising of reforms and recapitalization, the same was not implemented.

Issues and suggestions taken up through Ministry of Cooperation

- (I) Computerisation of ARDBs - Presently, ARDBs are not fully computerised with core banking solutions in any state. The Ministry of Cooperation has now launched a scheme for computerisation of ARDBs under Centrally

Sponsored Project of Strengthening of Cooperatives through IT Interventions. 1851 operating units of 13 fully functional SCARDBs are being computerized at a total estimated cost of ₹119.40 crores under this project. The scheme is under implementation by NABARD. The Federation and SCARDBs are grateful to MoC for this historic initiative to strengthen and modernise institutions in the structure.

- (ii) Banking licence to SCARDBs – Several Committees appointed by the Government including Capoor Committee (1999), Vaidyanathan Task Force II (2006) and of late the Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs instituted by the MoC through NABARD recommended RBI to consider giving banking licence to SCARDBs subject to prudential stipulations and to frame norms for the same. The Ministry of Cooperation (MoC) on 06 December 2023 convened a joint meeting with RBI, NABARD, NAFCARD & Gujarat SCARDB, which made an application for banking licence to RBI, in which RBI promised to consider the subject of framing norms for giving banking licence to ARDBs. However, RBI is yet to announce norms for giving banking licence to SCARDBs.
- (iii) Extending crop loan interest subvention scheme to ARDBs – Non availability of crop loans facility for its long term borrowers is a serious issue in LTCCS affecting their income and repaying capacity. MoC has already taken up this issue with Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.

- (iv) Setting up Long Term Fund with NCDC in the pattern of Long Term Rural Credit Fund (LTRCF) of NABARD which has been set up out of shortfall in commercial banks' lending to agriculture. This will help NCDC to provide funds to rural credit cooperatives for long term agricultural lending at a significantly lower interest rate than the market rate.
- (v) Extending DICGC insurance coverage to deposits of ARDBs – Though ARDBs are allowed to accept member deposits and term deposits from public upto their net worth, not much progress is made in deposit mobilisation due to lack of insurance coverage for deposits.
- (vi) TransUnion CIBIL Membership to ARDBs – Presently ARDBs are not given TransUnion CIBIL Membership as they don't have RBI licence. Because of this, the credit and repayment history of ARDB loans are not reflected in the credit score reports given by credit rating companies. Consequently, loan defaulters easily get loans from other agencies without repaying their loans with ARDBs.

Membership of SCARDBs in TransUnion CIBIL and other credit rating companies is necessary to improve loan repayment in LTCCS and to make the credit score reports of credit rating companies more reliable and realistic.

- (vii) Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs – Ministry of Cooperation has undertaken a Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs through NABCONS of NABARD. The

Study Report exhaustively covers all the issues in the sector and made recommendations to address them. Currently, the study report is under consideration of Ministry of Cooperation. MoC has convened three meetings (on 11th & 13th December 2023 and 21 March 2024) to discuss the recommendations. The action plan with timeline for implementing the recommendations of the Study Group is expected to be finalised soon.

- (viii) ARDBs are the oldest term lending institutions in the country having more than 100 years' experience in financing farm infrastructure. However, Agri Infrastructure Fund Scheme which provides the benefits of interest subvention and credit guarantee support to farmers is not extended to ARDBs. Steps may be taken to extend the Agri Infrastructure Fund to SCARDBs.
- (ix) Reforms in the refinance policies of NABARD- Waiving the condition of government guarantee/pledging fixed deposits equivalent to 135%, for giving refinance even in the case of SCARDBs in the low risk category, reversing the trend of continuous decline in yearly allocation of refinance to SCARDBs by tightening eligibility norms, making provision to support production credit/working capital needs of borrowers, broadening the purposes eligible for refinance to cover the diverse credit needs of rural households, sharing of risk in agricultural lending etc. are some of the reforms required in the refinance policies of NABARD concerning ARDBs, without further delay.

HIGHLIGHTS ON MAJOR DEVELOPMENTS/ EVENTS DURING THE YEAR

Business Development Plans of SCARDBs

The Federation during the year under report finalized the Business Development Plans of SCARDBs with the objective of achieving business growth at least at the overall growth rate of agricultural credit which is about 20% per year.

The business development plan has laid down yearwise targets during the next 5 years upto 2027-28 and five year milestone targets from 2032-33 to 2047-48 for key operational areas of lending, resource mobilization and NPA reduction. An abstract of business projections for SCARDBs is given below.

BUSINESS DEVELOPMENT PLAN

LENDING PROJECTIONS

(₹ Crores)

| Sr. No. | Name of the Bank | Year | Long Term Advances | | Short Term Advances | | Total Advances |
|---------|------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Farm Sector | Non-farm Sector incl. Rural Housing | Crop Loans | Credit Limit & Others | |
| 1 | Gujarat | 2022-23 | 215.82 | 59.71 | - | - | 275.53 |
| | | 2023-24 | 300.00 | 90.00 | 25.00 | 25.00 | 440.00 |
| | | 2024-25 | 400.00 | 125.00 | 40.00 | 50.00 | 615.00 |
| | | 2025-26 | 525.00 | 175.00 | 70.00 | 60.00 | 830.00 |
| | | 2026-27 | 675.00 | 250.00 | 120.00 | 70.00 | 1115.00 |
| | | 2027-28 | 850.00 | 325.00 | 200.00 | 80.00 | 1455.00 |
| 2 | Haryana | 2022-23 | 59.29 | 36.63 | - | - | 95.92 |
| | | 2023-24 | 75.00 | 50.00 | - | 10.00 | 135.00 |
| | | 2024-25 | 150.00 | 75.00 | 10.00 | 25.00 | 260.00 |
| | | 2025-26 | 250.00 | 125.00 | 25.00 | 50.00 | 450.00 |
| | | 2026-27 | 400.00 | 200.00 | 50.00 | 80.00 | 730.00 |
| | | 2027-28 | 550.00 | 250.00 | 80.00 | 120.00 | 1000.00 |
| 3 | Himachal Pradesh | 2022-23 | 84.53 | 30.47 | - | - | 115.00 |
| | | 2023-24 | 110.00 | 50.00 | - | 10.00 | 170.00 |
| | | 2024-25 | 150.00 | 65.00 | 3.00 | 12.00 | 230.00 |
| | | 2025-26 | 200.00 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 300.00 |
| | | 2026-27 | 260.00 | 95.00 | 8.00 | 17.00 | 380.00 |
| | | 2027-28 | 340.00 | 110.00 | 10.00 | 25.00 | 485.00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|----------------|
| 4 | Jammu & Kashmir | 2022-23 | 1.71 | 5.04 | - | - | 6.75 |
| | | 2023-24 | 35.00 | 21.00 | 1.00 | 8.00 | 65.00 |
| | | 2024-25 | 45.00 | 25.00 | 1.50 | 13.50 | 85.00 |
| | | 2025-26 | 50.00 | 35.00 | 2.50 | 12.50 | 100.00 |
| | | 2026-27 | 55.00 | 38.00 | 4.00 | 18.00 | 115.00 |
| | | 2027-28 | 60.00 | 44.00 | 5.00 | 21.00 | 130.00 |
| 5 | Karnataka | 2022-23 | 295.68 | - | - | 7.50 | 303.18 |
| | | 2023-24 | 350.00 | 110.00 | 25.00 | 15.00 | 500.00 |
| | | 2024-25 | 450.00 | 150.00 | 75.00 | 25.00 | 700.00 |
| | | 2025-26 | 575.00 | 185.00 | 100.00 | 40.00 | 900.00 |
| | | 2026-27 | 700.00 | 200.00 | 135.00 | 65.00 | 1100.00 |
| | | 2027-28 | 800.00 | 250.00 | 160.00 | 90.00 | 1300.00 |
| 6 | Kerala | 2022-23 | 780.96 | 1247.03 | - | 780.38 | 2808.37 |
| | | 2023-24 | 1100.00 | 1600.00 | 50.00 | 850.00 | 3600.00 |
| | | 2024-25 | 1300.00 | 1700.00 | 75.00 | 925.00 | 4000.00 |
| | | 2025-26 | 1450.00 | 1800.00 | 100.00 | 1050.00 | 4400.00 |
| | | 2026-27 | 1650.00 | 1900.00 | 150.00 | 1100.00 | 4800.00 |
| | | 2027-28 | 1850.00 | 2000.00 | 200.00 | 1150.00 | 5200.00 |
| 7 | Pondicherry | 2022-23 | - | - | - | 39.57 | 39.57 |
| | | 2023-24 | - | - | - | 50.00 | 50.00 |
| | | 2024-25 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 110.00 |
| | | 2025-26 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 90.00 | 170.00 |
| | | 2026-27 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 220.00 |
| | | 2027-28 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 350.00 |
| 8 | Punjab | 2022-23 | 2.64 | 2.43 | - | - | 5.07 |
| | | 2023-24 | 300.00 | 20.00 | - | 10.00 | 330.00 |
| | | 2024-25 | 425.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 500.00 |
| | | 2025-26 | 570.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 700.00 |
| | | 2026-27 | 760.00 | 50.00 | 80.00 | 60.00 | 950.00 |
| | | 2027-28 | 1000.00 | 60.00 | 110.00 | 80.00 | 1250.00 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| 9 | Rajasthan | 2022-23 | 144.81 | 12.18 | - | 0.15 | 157.14 |
| | | 2023-24 | 200.00 | 40.00 | 50.00 | 10.00 | 300.00 |
| | | 2024-25 | 250.00 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 450.00 |
| | | 2025-26 | 400.00 | 110.00 | 90.00 | 50.00 | 650.00 |
| | | 2026-27 | 490.00 | 230.00 | 100.00 | 80.00 | 900.00 |
| | | 2027-28 | 600.00 | 300.00 | 150.00 | 100.00 | 1150.00 |
| 10 | Tamil Nadu | 2022-23 | - | - | - | 1061.59 | 1061.59 |
| | | 2023-24 | 80.00 | 20.00 | - | 1200.00 | 1300.00 |
| | | 2024-25 | 120.00 | 50.00 | 10.00 | 1300.00 | 1480.00 |
| | | 2025-26 | 170.00 | 80.00 | 30.00 | 1400.00 | 1680.00 |
| | | 2026-27 | 250.00 | 120.00 | 60.00 | 1500.00 | 1930.00 |
| | | 2027-28 | 350.00 | 160.00 | 90.00 | 1600.00 | 2200.00 |
| 11 | Tripura | 2022-23 | - | - | - | - | - |
| | | 2023-24 | - | - | - | - | - |
| | | 2024-25 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| | | 2025-26 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| | | 2026-27 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 |
| | | 2027-28 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 210.00 |
| 12 | Uttar Pradesh | 2022-23 | 178.14 | 92.53 | - | 0.00 | 270.67 |
| | | 2023-24 | 360.00 | 170.00 | - | 20.00 | 550.00 |
| | | 2024-25 | 450.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 750.00 |
| | | 2025-26 | 540.00 | 250.00 | 75.00 | 85.00 | 950.00 |
| | | 2026-27 | 640.00 | 310.00 | 95.00 | 105.00 | 1150.00 |
| | | 2027-28 | 750.00 | 360.00 | 115.00 | 125.00 | 1350.00 |
| 13 | West Bengal | 2022-23 | 254.17 | 37.80 | - | - | 291.97 |
| | | 2023-24 | 340.00 | 85.00 | - | 25.00 | 450.00 |
| | | 2024-25 | 400.00 | 120.00 | 25.00 | 55.00 | 600.00 |
| | | 2025-26 | 470.00 | 190.00 | 55.00 | 85.00 | 800.00 |
| | | 2026-27 | 600.00 | 240.00 | 90.00 | 120.00 | 1050.00 |
| | | 2027-28 | 750.00 | 280.00 | 120.00 | 150.00 | 1300.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| GRAND TOTAL | 2022-23 | 2017.75 | 1523.82 | - | 1889.19 | 5430.76 |
| | 2023-24 | 3250.00 | 2256.00 | 151.00 | 2233.00 | 7890.00 |
| | 2024-25 | 4170.00 | 2635.00 | 409.50 | 2590.50 | 9805.00 |
| | 2025-26 | 5260.00 | 3100.00 | 632.50 | 2987.50 | 11980.00 |
| | 2026-27 | 6590.00 | 3678.00 | 937.00 | 3345.00 | 14550.00 |
| | 2027-28 | 8090.00 | 4229.00 | 1330.00 | 3731.00 | 17380.00 |

RESOURCE MOBILISATION, RECOVERY AND NPA

(₹ Crores)

| Sr. No. | Name of the Bank | Year | Long Term Finance (NABARD / NCDC) | Short Term Finance (NCDC / SCBs / CBs) | Deposit Outstanding | Recovery Percentage | Gross NPAs | Overdues at Ground |
|----------------|-------------------------|-------------|--|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Gujarat | 2022-23 | 86.00 | - | 261.91 | 40.00 | 14.00 | 335.00 |
| | | 2023-24 | 195.00 | 20.00 | 290.00 | 45.00 | 13.00 | 300.00 |
| | | 2024-25 | 275.00 | 50.00 | 325.00 | 55.00 | 12.00 | 265.00 |
| | | 2025-26 | 350.00 | 90.00 | 375.00 | 65.00 | 11.00 | 230.00 |
| | | 2026-27 | 460.00 | 140.00 | 410.00 | 70.00 | 10.00 | 195.00 |
| | | 2027-28 | 570.00 | 180.00 | 450.00 | 75.00 | 9.00 | 150.00 |
| 2 | Haryana | 2022-23 | 0.00 | - | - | 10.22 | 76.57 | 2069.79 |
| | | 2023-24 | 60.00 | 20.00 | 50.00 | 12.50 | 72.00 | 1850.00 |
| | | 2024-25 | 120.00 | 30.00 | 70.00 | 20.00 | 69.00 | 1650.00 |
| | | 2025-26 | 185.00 | 50.00 | 100.00 | 35.00 | 50.00 | 1450.00 |
| | | 2026-27 | 300.00 | 80.00 | 140.00 | 50.00 | 45.00 | 1250.00 |
| | | 2027-28 | 430.00 | 120.00 | 200.00 | 60.00 | 40.00 | 1050.00 |
| 3 | Himachal Pradesh | 2022-23 | 84.88 | 0.00 | 143.73 | 41.88 | 39.00 | 169.10 |
| | | 2023-24 | 129.00 | 1.00 | 165.00 | 50.15 | 36.00 | 150.00 |
| | | 2024-25 | 185.00 | 5.00 | 190.00 | 55.94 | 33.00 | 130.00 |
| | | 2025-26 | 240.00 | 10.00 | 220.00 | 60.70 | 30.00 | 115.00 |
| | | 2026-27 | 305.00 | 15.00 | 255.00 | 64.84 | 27.00 | 100.00 |
| | | 2027-28 | 380.00 | 20.00 | 295.00 | 69.05 | 24.00 | 84.55 |
| 4 | Jammu & Kashmir | 2022-23 | 0.00 | 6.16 | 172.84 | 32.41 | 21.60 | 24.36 |
| | | 2023-24 | 60.00 | 15.00 | 200.00 | 35.00 | 20.00 | 22.23 |
| | | 2024-25 | 70.00 | 20.00 | 230.00 | 45.00 | 18.00 | 19.78 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|
| | | 2025-26 | 80.00 | 25.00 | 265.00 | 55.00 | 16.00 | 16.50 |
| | | 2026-27 | 90.00 | 30.00 | 305.00 | 60.00 | 14.00 | 14.96 |
| | | 2027-28 | 100.00 | 35.00 | 350.00 | 65.00 | 12.00 | 13.56 |
| 5 | Karnataka | 2022-23 | 400.00 | 15.00 | 508.06 | 57.54 | 35.00 | 350.40 |
| | | 2023-24 | 450.00 | 30.00 | 520.00 | 52.00 | 32.00 | 310.00 |
| | | 2024-25 | 500.00 | 50.00 | 550.00 | 60.00 | 29.00 | 270.00 |
| | | 2025-26 | 550.00 | 70.00 | 580.00 | 65.00 | 26.00 | 230.00 |
| | | 2026-27 | 600.00 | 90.00 | 610.00 | 70.00 | 23.00 | 200.00 |
| | | 2027-28 | 650.00 | 100.00 | 650.00 | 75.00 | 20.00 | 175.00 |
| 6 | Kerala | 2022-23 | 1401.54 | - | 438.41 | 63.53 | 8.25 | 1500.00 |
| | | 2023-24 | 1600.00 | 50.00 | 510.00 | 68.80 | 7.50 | 1350.00 |
| | | 2024-25 | 1800.00 | 100.00 | 590.00 | 73.48 | 7.00 | 1200.00 |
| | | 2025-26 | 2000.00 | 250.00 | 680.00 | 78.27 | 6.50 | 1050.00 |
| | | 2026-27 | 2150.00 | 220.00 | 790.00 | 84.12 | 6.00 | 900.00 |
| | | 2027-28 | 2350.00 | 300.00 | 910.00 | 89.69 | 5.00 | 750.00 |
| 7 | Pondicherry | 2022-23 | - | - | 47.67 | 89.47 | 8.07 | 4.34 |
| | | 2023-24 | - | - | 50.00 | 90.00 | 7.00 | 4.00 |
| | | 2024-25 | 20.00 | 20.00 | 55.00 | 92.00 | 6.00 | 3.50 |
| | | 2025-26 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 94.00 | 5.00 | 3.00 |
| | | 2026-27 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 96.00 | 4.00 | 2.50 |
| | | 2027-28 | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 98.00 | 3.00 | 2.00 |
| 8 | Punjab | 2022-23 | 21.37 | | 180.51 | 13.56 | 58.85 | 2282.69 |
| | | 2023-24 | 250.00 | 10.00 | 200.00 | 25.00 | 52.00 | 2050.00 |
| | | 2024-25 | 360.00 | 20.00 | 250.00 | 35.00 | 47.00 | 1820.00 |
| | | 2025-26 | 500.00 | 40.00 | 300.00 | 45.00 | 42.00 | 1610.00 |
| | | 2026-27 | 600.00 | 60.00 | 350.00 | 55.00 | 37.00 | 1380.00 |
| | | 2027-28 | 730.00 | 70.00 | 400.00 | 65.00 | 32.00 | 1140.00 |
| 9 | Rajasthan | 2022-23 | 114.20 | 288.60 | 0.00 | 36.00 | 53.48 | 675.00 |
| | | 2023-24 | 250.00 | 300.00 | 1.00 | 38.00 | 50.00 | 625.00 |
| | | 2024-25 | 350.00 | 350.00 | 2.00 | 45.00 | 45.00 | 575.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| | | 2025-26 | 450.00 | 400.00 | 3.00 | 50.00 | 40.00 | 500.00 |
| | | 2026-27 | 550.00 | 450.00 | 4.00 | 55.00 | 35.00 | 425.00 |
| | | 2027-28 | 650.00 | 500.00 | 5.00 | 60.00 | 30.00 | 350.00 |
| 10 | Tamil Nadu | 2022-23 | - | 1.15 | 317.87 | 94.10 | 11.54 | 78.22 |
| | | 2023-24 | 90.00 | 10.00 | 320.00 | 95.00 | 10.00 | 75.00 |
| | | 2024-25 | 180.00 | 20.00 | 350.00 | 96.00 | 9.00 | 60.00 |
| | | 2025-26 | 260.00 | 40.00 | 375.00 | 97.00 | 8.00 | 65.00 |
| | | 2026-27 | 330.00 | 70.00 | 400.00 | 98.00 | 7.00 | 60.00 |
| | | 2027-28 | 400.00 | 100.00 | 425.00 | 99.00 | 5.00 | 55.00 |
| 11 | Tripura | 2022-23 | - | - | - | 12.89 | 98.29 | 7.71 |
| | | 2023-24 | - | - | - | 20.00 | 80.00 | 7.00 |
| | | 2024-25 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 70.00 | 6.00 |
| | | 2025-26 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 5.00 |
| | | 2026-27 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 50.00 | 4.00 |
| | | 2027-28 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 40.00 | 3.00 |
| 12 | Uttar Pradesh | 2022-23 | 255.58 | 50.09 | 14.07 | 31.00 | 81.50 | 1583.00 |
| | | 2023-24 | 450.00 | 200.00 | 25.00 | 33.00 | 70.00 | 1400.00 |
| | | 2024-25 | 575.00 | 225.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 1250.00 |
| | | 2025-26 | 700.00 | 250.00 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 1100.00 |
| | | 2026-27 | 820.00 | 280.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 950.00 |
| | | 2027-28 | 950.00 | 300.00 | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 790.00 |
| 13 | West Bengal | 2022-23 | 297.20 | 39.31 | 255.47 | 40.13 | 24.67 | 627.22 |
| | | 2023-24 | 400.00 | 50.00 | 300.00 | 42.50 | 23.00 | 550.00 |
| | | 2024-25 | 500.00 | 100.00 | 350.00 | 48.00 | 22.00 | 500.00 |
| | | 2025-26 | 600.00 | 150.00 | 400.00 | 55.00 | 21.00 | 430.00 |
| | | 2026-27 | 700.00 | 200.00 | 450.00 | 60.00 | 20.00 | 370.00 |
| | | 2027-28 | 900.00 | 250.00 | 500.00 | 65.00 | 19.00 | 320.00 |

Following are the salient aspects of business development plans.

- Achieving 20% year on year growth in long term lending.
- Thrust on non farm/agricultural value chain financing for increasing farmers' income and repaying capacity.
- Making available crop loans to long term

borrowers. Presently, majority of long term borrowers of ARDBs are unable to access crop loans from other agencies as their land is mortgaged as security for the long term loans. Though ARDBs are not eligible for SAO allocations and crop loan interest subvention scheme directly, it is possible that these facilities can be channelized through SCBs/DCCBs with earmarked special allocations for the same by NABARD.

- Granting general credit limit to long term borrowers for meeting their short term credit needs other than crop loans in order to avoid their dependence on informal sources for credit, which is a major cause of loan default in ARDBs.
- The long term lending by ARDBs including NFS is projected to expand to ₹12319 crore in 2027-28 from ₹3540 crore in 2022-23 and short term lending including crop loans to ₹5061 crore in 2027-28 from ₹1889 crore in 2022-23. The total yearly lending by ARDBs is expected to expand to ₹17380 crore in 2027-28 from ₹5430.76 crore in 2022-23.
- Annual lending by SCARDBs during 'Amrit Kaal' is projected to grow from ₹17,380 crore in 2027-28 to ₹2,94,080 crore in 2047-48.
- About 60% of the funds required for annual lending during the above period is expected to be mobilized by way of borrowings and about 20% as deposits and the balance to be met by recycling own funds.

Member banks are required to prepare action plans to achieve the projections in the Business

Development Plan, based on guidelines already issued by the Federation.

Federation has forwarded the Business Development Plan to Govt and NABARD for necessary steps to ensure funding and policy support to SCARDBs to achieve the projections in the Business Development Plan.

Computerisation of ARDBs under Centrally Sponsored Project of 'Strengthening of Cooperatives through IT Interventions'

The National Conference of ARDBs 2022 recommended Government of India to extend financial assistance for computerization of ARDBs. Based on the above recommendation, the Federation submitted a proposal to MoC for Computerisation of ARDBs in line with the Centrally Sponsored Project of Computerisation of PACS currently under implementation. The Ministry of Cooperation has given its in-principle approval for the proposal and convened three joint meetings with NABARD and the Federation in which following decisions were taken.

- (i) Computerisation of ARDBs shall be carried out in a common software platform. The common software developed for PACSs also include required modules for all credit and non-credit operations and related functions of borrowings, deposits, investments, recovery, HRM etc. undertaken by ARDBs. Hence, it was decided that the common software developed for PACSs shall be made available to ARDBs also with customization. Adoption of the common software of PACSs will also facilitate changes in the software, if required in the

future, as Govt of India owns its source code which is kept in the custody of NABARD. ARDBs shall also be given handholding support including data center and software maintenance during the first 5 years.

- (ii) NABARD will be the implementing agency.
- (iii) 1851 units in the network of 13 fully functional SCARDBs (comprising of 1712 retail units, 619 branches of SCARDBs, 606 PCARDBs and 487 branches of PCARDBs, 126 supervisory units and 13 HOs) shall be considered for computerization.
- (iv) Following are the components included in the computerization scheme and the unit cost approved.
- | | |
|--|----------------|
| A. Hardware and accessories | : ₹ 1,22,158 |
| B. Digitization and support system | : ₹ 1,86,910 |
| C. Customisation of software and Data center | : ₹ 72,103 |
| D. Training | : ₹ 10,198 |
| E. Administrative cost and contingencies (total) | : ₹ 1.46 crore |
- (v) The cost of Hardware & accessories and Digitization (Item A & B above) shall be shared among Central Govt, State Govts and ARDBs concerned in the ratio of 45:30:25 respectively. All other costs (Item C, D & E) shall be borne by the Central Govt.
- (vi) The requirement of hardware and accessories at different levels has been tentatively estimated as below.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Retail outlets (branches of SCARDBs/ PCARDBs/ branches of PCARDBs) | : 2 each |
| 2. Supervisory units | : 3 each |
| 3. HOs (average) | : 25 each |

Actual entitlement for HO shall be based on business volume and average daily transactions.

Based on the above decisions, the Federation submitted revised proposal to the Ministry through NABARD on 9 June 2023.

The MoC on 6 October 2023 approved the Scheme for Computerisation of ARDBs under Centrally Sponsored Project of 'Strengthening of Cooperatives through IT Interventions' and issued detailed guidelines for implementation of the scheme on 16 November 2023.

The scheme envisages Computerisation of 1851 operating units of 13 fully functional SCARDBs at a total estimated cost of ₹119.40 crores including GST.

Following are the components of the scheme.

- | | |
|--|------------------|
| 1) Hardware and Accessories (4127 units) | - ₹ 63.06 crores |
| 2) Digitization of 1851 operating units | - ₹ 24.03 crores |
| 3) Support systems (1851 operating units) | - ₹ 16.80 crores |
| 4) Customization of Software, Cyber Security and Data Centre | - ₹ 15.51 crores |

Sharing Pattern

Out of the total cost of ₹119.40 crores, ₹15.51 crores towards Software customization, cyber security, data centre shall be borne entirely by Govt. of India. According to the sharing pattern,

25% of the balance cost of ₹103.89 crores, which comes to ₹25.97 crores has to be borne by ARDBs and balance amount of ₹77.92 crores shall be shared between Central and State Govts in the ratio of 60:40 in general States, 90:10 in Hilly

States and 80:20 in North-Eastern States and UTs. The State-wise breakup of total cost and sharing of cost by ARDBs, State Govts and Central Govt is as per statement given below.

COMPUTERISATION OF ARDBS - REVISED COST ESTIMATES (AS PER MINISTRY APPROVED)

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name of the State | Components and Unit Cost | | | | | | Total Cost of Computerisation Including GST (excluding Software Customisation) being shared by ARDBs, Central & State Govt. | Share of ARDBs (25% of Total Cost) | Balance Amount to be shared by Central and State Govt. | Share of Central Govt. (60%/80%/90% as applicable) | Share of State Govt. (40%/20%/10% as applicable) |
|------------------------|-------------------|--|----------------|---|----------------|---|----------------|---|------------------------------------|--|--|--|
| | | Hardware and Accessories Sanctioned units @ ₹152798/unit | | Digitisation of 1851 Operating Units @ ₹129821/unit | | Support System for 1851 Operating units @ ₹90762/unit | | | | | | |
| | | Units Sanctioned | Cost | Operating Units | Cost | Operating Units | Cost | | | | | |
| 1. | Gujarat | 440 | 672.31 | 195 | 253.15 | 195 | 176.99 | 1102.45 | 275.61 | 826.84 | 496.10 | 330.73 |
| 2. | Haryana | 203 | 310.18 | 90 | 116.84 | 90 | 81.69 | 508.70 | 127.18 | 381.53 | 228.92 | 152.61 |
| 3. | Himachal Pradesh | 202 | 308.65 | 88 | 114.24 | 88 | 79.87 | 502.77 | 125.69 | 377.07 | 226.24 | 150.83 |
| 4. | Jammu & Kashmir | 115 | 175.72 | 51 | 66.21 | 51 | 46.29 | 288.22 | 72.05 | 216.16 | 172.93 | 43.23 |
| 5. | Karnataka | 467 | 713.57 | 207 | 268.73 | 207 | 187.88 | 1170.17 | 292.54 | 877.63 | 526.58 | 351.05 |
| 6. | Kerala | 559 | 854.14 | 255 | 331.04 | 255 | 231.44 | 1416.63 | 354.16 | 1062.47 | 637.48 | 424.99 |
| 7. | Puducherry | 17 | 25.98 | 2 | 2.60 | 2 | 1.82 | 30.39 | 7.60 | 22.79 | 18.23 | 4.56 |
| 8. | Punjab | 272 | 415.61 | 113 | 146.70 | 113 | 102.56 | 664.87 | 166.22 | 498.65 | 299.19 | 199.46 |
| 9. | Rajasthan | 351 | 536.32 | 163 | 211.61 | 163 | 147.94 | 895.87 | 223.97 | 671.90 | 403.14 | 268.76 |
| 10. | Tamil Nadu | 432 | 660.09 | 200 | 259.64 | 200 | 181.52 | 1101.25 | 275.31 | 825.94 | 495.56 | 330.38 |
| 11. | Tripura | 15 | 22.92 | 6 | 7.79 | 6 | 5.45 | 36.15 | 9.04 | 27.12 | 24.40 | 2.71 |
| 12. | Uttar Pradesh | 740 | 1130.71 | 342 | 443.99 | 342 | 310.41 | 1885.10 | 471.27 | 1413.82 | 848.29 | 565.53 |
| 13. | West Bengal | 314 | 479.79 | 139 | 180.45 | 139 | 126.16 | 786.40 | 196.60 | 589.80 | 353.88 | 235.92 |
| TOTAL [1 to 13] | | 4127 | 6305.97 | 1851 | 2402.99 | 1851 | 1680.00 | 10388.96 | 2597.24 | 7791.72 | 4730.96 | 3060.76 |

The salient aspects of the guidelines are as below.

- NABARD shall implement the scheme over a period of three years including handholding and support for two years after operationalizing the scheme.
- Customized version of national software of PACS shall be used for computerization of ARDBs.
- The hardware component of the scheme includes two computer systems for PCARDBs, their branches and SCARDB branches and three computer systems for supervisory units

and 25 computer systems for HO's on the average, the actuals would vary depending on the volume of business.

- States/UTs to procure hardware for the project through GeM portal.
- NABARD shall implement the project at the central level under the guidance and directions of already constituted National Level Monitoring and Implementation Committee (NLMIC). For computerization of PACS project.
- MoC will establish a core team of officers for this purpose which will be assisted by the

existing Project Monitoring Unit established for computerization of PACS. NABARD will also act as a custodian on behalf of Govt of India of the common software, data base, data depository and all the financial and personal data generated/captured on the software.

- After completion of the project, NABARD will manage the system in coordination with the State Govts and will be responsible for its sustainability.
- Any PCARDB, SCARDB, their branches, supervisory units and HOs which have undertaken computerization on their own before computerization of ARDBs project shall be eligible for reimbursement at the rate of ₹50,000 per operational unit for the component of hardware subject to the condition that they adopt the common national software being developed for the project.

Following are the roles and responsibilities of various agencies involved in the implementation of the project.

Ministry of Cooperation

- a. To convene the meetings of NLMIC.
- b. To modify the guidelines for implementation of the project.
- c. To steer the overall implementation of the project, including the monitoring and review.
- d. To release GoI share to the States/UTs as per the extant guidelines.
- e. To consider and authorise the appropriation of the funds from one component of the project to

another within the overall budget outlay of the project, if required.

- f. To establish Central PMU.

NABARD

- a. To implement the project and act as project manager for the ARDBs Computerisation Project at Central level under the guidance and directions of National Level Monitoring and Implementation Committee and Ministry of Cooperation.
- b. To utilise the existing core team of its officers set up for the computerisation project, for the purpose of implementation of this project, which will be assisted by the existing Project Monitoring Unit (PMU) manned by professionals and experts at national and state level.
- c. To customise the software already developed. For this purpose, NABARD can enter into an agreement with the NLSPV.
- d. To train SCARDBs, PCARDBs and SIs personnel as Master Trainers as well as of software usage and hardware maintenance.
- e. To utilise the funds for making payment to the NLSPV, PMU etc.

State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs)

- a. To form a dedicated ARDBs Computerisation Cell, equipped with IT trained manpower, within the Bank for this Project.
- b. To play the role of coordinator between the PCARDBs and SLIMC.

- c. To obtain authorisation from respective units of ARDBs for entering into agreements with SI or any other stakeholders on their behalf.
- d. To take any other action necessary for successful implementation of the project within the overall time frame of the project.

Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs)

- a. To issue letter of authorisation to the SCARDBs, authorising SCARDBs to enter into agreements on its behalf for this project.
- b. To ensure onsite data and infrastructure readiness.
- c. To ensure regular use of the software after migration.
- d. To take full advantage of the hand holding support provided under the project.
- e. To ensure regular transfer of data to the National Data Repository, if the ARDBs are working on offline mode.
- f. To ensure that sanctity of the IT environment is maintained by following steps as advised by the SI.
- g. To report any issue during implementation of the project, to be resolved by SCARDBs.
- h. To liaise closely with SI for ensuring that all activities of the ARDBs and accounts are captured appropriately.

Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs

Based on the recommendations of National Conference of ARDBs 2022, the Ministry of

Cooperation has instituted a Study on 'Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs' through NABCONS of NABARD. The Study was conducted by a team constituted by the NABCONS under the leadership of Mr. A.K. Srivastava. The Study Team visited the Federation and all SCARDBs and some of the PCARDBs in various States to study the working of ARDBs and has submitted draft report to the Govt. recently.

Following are the important recommendations of the Study Team in its draft report.

Business Expansion

- Amendment required in the concerned Acts or by adopting a Model ARDB Act to remove restrictions on purposes of loan, period of loan to raise individual maximum borrowing power as per requirement, loan ceiling, to accept non land security for loan as in other banks.
- Freedom to SCARDBs to fix interest rates on loans and deposits.
- In view of difficulty to enforce mortgage on agricultural land, ARDBs should accept other forms of security like lien on fixed deposits, insurance policies, gold ornaments, third party guarantee, hypothecation of assets, leveraging recovery through group lending etc., as done by other banks.
- Measures to be taken to address credit risk either by credit guarantee scheme at state level or setting up Risk Fund for LTCCS by NAFCARD with financial assistance from Govt of India, SCARDBs and members.

Non-fund based businesses

- Enabling provisions to be included in the Act/Byelaws for ARDBs for extending noncredit services like common services centres, marketing outlets, storage, custom hiring centres, safe deposit lockers, etc.
- SCARDBs should set up business planning and recovery cell with grant assistance from NABARD.
- ARDBs should undertake value chain financing and also should be made eligible institutions for implementing Agriculture Infrastructure Fund. NAFCARD to extend technical support for the same.
- ARDBs should develop a policy for business expansion and outreach through business correspondents/ Agents.
- Innovations in network expansion and through rationalization, starting low cost contact points etc.
- Coordination between LTCCS and STCCS for mutual benefit. NAFCARD to take lead for the same.

Resources for Lending Deposits, Investments and Banking Licence

- SCARDBs to accept KYC norms, maintain liquid funds at adequate level, State Govts to give permission to deposit schemes of ARDBs under the provisions of BUDS Act, Safety of deposits should be ensured either by setting up Deposit Insurance Scheme at the state level or extending the coverage of deposit insurance by DICGC.

NAFCARD to create an Institutional Protection System including deposit guarantee with support from other stakeholders.

RBI may consider issuing guidelines for giving banking licence to ARDBs subject to prudential stipulations.

- SCARDBs should be permitted to invest in debt mutual funds and money market mutual funds.

Refinance from NABARD

- ARDBs should be given separate allocation under LTRCF bearing low interest rates and should be allowed to draw the same during the whole year.
- NABARD should treat at par with other eligible institutions in providing refinance on the basis of financial strength without insisting govt guarantee.
- Augmenting cost free funds of NABARD through contributions to NRC (LTO) Fund.

Other recommendations

- Commercial banks to consider financing SCARDBs for priority sector lending.
- SCARDBs to get themselves rated through independent rating agencies to enable borrowing from market.
- Creation of Multi State ARDB/converting SCARDB into Multi State may be considered only subject to financial viability of the proposed new entity.

Uniform accounting standards

- SCARDBs to follow uniform accounting standards.

Structure of ARDBs

- Rationalization of network (branches of SCARDBs/PCARDBs) based on viability considerations.
- Existing structural pattern in different States may not be disturbed.
- However, SCARDBs should exercise better control over the functioning of PCARDBs through statutory supervisory powers.

Human Resources, Governance and Management

- Assessment of manpower required at all levels based on present business volume and emerging opportunities and plans for business expansion.
- Recruitment in officer/clerical cadre through professional agencies like IBPS, Public Service Commission.
- Capacity building programme based on assessment of training needs covering board members, employees as well as members, launching a certificate course for ARDB officials including courses relevant to LTCCS in the proposed Cooperative University, to provide financial incentive to staff to acquire relevant additional qualifications through self-training/education at their own cost.

State Govt not to interfere in operational matters.

Amendment in the Act to facilitate the following:-

- Ensuring compliance of operational guidelines of NABARD, fit and proper criteria for directors, nomination of professional directors on the Board, appointment of CEO/MD from professionally qualified and experienced persons, constituting Board of Management below Board of Directors to assist the Board to frame policies.

Acceptability and Level Playing Field

- SCARDBs may be given Trans Union CIBIL membership.
- SCARDBs should be given membership in credit guarantee schemes like Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Housing (NHB), Micro Units (NCTGC) and FPOs subject to compliance with norms.
- Crop loan interest subvention scheme of the Govt should be extended to crop loan borrowers of ARDBs.
- SCARDBs should also be included in the list of banks implementing various credit linked subsidy schemes of Govt of India.
- Recovery powers under the State Act should be delegated to Gujarat SCARDB the same way such powers are delegated to SCB and DCCBs.
- NABARD may be designated as the regulatory authority for SCARDBs.
- National financial inclusion programme should be extended to ARDBs also.

Repayment/Recovery

- State Govt should take steps to ensure

enforceability of mortgage of land taken as security by ARDBs by fixing a floor limit of land that can be kept outside the purview of enforcement of security, ensuring departmental support to recovery measures, govt taking possession of land which can be used for developing public infrastructure.

- Political leadership should be sensitized for issuing statements in support of loan repayment to augment credit support to farmers.
- NAFCARD to issue model policies/documents for loans and recovery, appointing technical staff for improving loan appraisal and follow-up, borrower sensitization on loan utilization and repayment.
- SCARDBs to follow fair practice code lenders including communicating important terms and conditions of loan.
- SCARDBs to adopt Model Recovery Policy formulated by NAFCARD.
- SCARDBs to undertake financial literacy programmes and provide advisory services to improve frequency of contact with the borrowers.
- State Govt to give procurement agency to SCARDBs/PCARDBs which will help loan recovery.
- State Govt. to introduce incentive scheme for prompt repayment in view of importance of capital formation in agriculture.
- State Govt may pay various dues to the LTCCS including reimbursement of waivers and debt relief given by the State Govt.

Accountability

- Elections to the Board of SCARDBs/PCARDBs should not be suspended or delayed.
- Act should provide for cooperation of professional experts on the Board of SCARDBs.
- State Govts should not interfere in the day to day administrative and business functions of SCARDBs.
- State Govt to delegate powers presently vested with govt officials such as sale powers to bank's officials and avoid deputation of govt officials to the bank causing financial burden to the bank.
- State Govts to ensure minimum shareholding in SCARDBs.
- State Govts and Govt of India to lead reform initiatives in the sector.
- NAFCARD to formulate Model ARDB Act based on broad suggestions by the Study Team.

Technology

- The Central Sector Scheme for Computerisation of ARDBs may be implemented as per schedule by Govt of India/NABARD.

Innovations

- NAFCARD to develop a system of collecting information regarding new initiatives and good practices at ground level on regular basis for sharing among stakeholders.

Financial Package

Introduction

Future scenario as seen by the Study Team

OPTION I - TO BECOME FULLFLEDGED BANKS

- The Study Team favours this as the best option and says that this will lead to two state level banking cooperatives bringing vibrancy, healthy competition and better efficient services in the rural banking system.

OPTION II – INTEGRATION OF THE TWO STRUCTURES

- The Study Team does not favour this option due to practical issues.

OPTION III

- With its long journey and experience, LTCCS is the most suitable agency to meet the long term credit needs of agriculture particularly of small and marginal farmers.
- However, for this, the structure needs to be strengthened financially through implementing the financial package.

Financial package recommended by the Study Team –

Broad approach and guiding principles

- Package to bring acceptable level of financial health for both SCARDBs and PCARDBs.
- A liberal approach is required to make the package effective to make the structure financially sustainable.
- PCARDBs while elevating the traditional role of long term financing should also provide a wide range of credit products for better acceptability

as in the case of business diversification by PACS.

- PCARDBs and PACS to play a complementary role at ground level. Revival of PCARDBs will fill the institutional gap in rural credit.
- Recovery through enforcement of mortgage on land is almost impossible due to policies of political parties and State Govts.

Pre conditions

- All stakeholders particularly State Govts should agree to reforms in the structure and governance as recommended by the Study Team as a pre condition for support under financial package.

Salient aspects of financial package

- LTCCS is the only segment of financial system which was not considered for financial package by the Govt so far. Though the Govt in 2008-09 Union Budget announced implementation of financial package for LTCCS recommended by Vaidyanathan Task Force II, ultimately the same was also not implemented. Delay in implementing revival package resulted in further impairment. The Study Team, therefore, makes its recommendations based on the present state of affairs.

Eligible institutions and criteria

- Out of 16 SCARDBs, 3 SCARDBs [Assam, Bihar (Multi State) and Orissa) are not fully functional and dormant for a long time. Hence, Study Team does not make any feasible revival for these States and leaves it to Govt of India and State Govts to take a decision.
- Similarly, the Study Team leaves it to Govt of

India and State Govts to decide on reviving SCARDBs of Jammu & Kashmir, Tripura and Puducherry due to their low level of loans outstanding and accumulated losses to high share of NPAs and limited potential for business expansion and conditions prevailing at present.

- Out of the remaining 10 SCARDBs, the case of Haryana where the State Govt is closely involved in the day-to-day management without very good result is to be decided separately by Govt of India and State Govt.
- The Study Team recommends that the remaining 9 SCARDBs stands for chance of revival on a sustainable basis with the implementation of a financial package.

Reviving PCARDBs – eligibility for support

- Revival of PCARDBs is crucial in LTCCS with federal structure. The eligibility of PCARDBs for revival support must be based on simple and easily verifiable criteria.
- The Study Team proposes recovery performance as the main criteria for recovery. All PCARDBs with minimum 25% recovery in any of the three preceding years should be eligible for revival support.
- While recovery as above will have 70% weightage, 30% weightage is to be given for financial parameters of accumulated losses, negative net worth and loan disbursement having 10% weightage each.
- The benchmark for these three parameters (accumulated losses, negative net worth and loan disbursement) should be decided statewise jointly by State Govt, NABARD and SCARDBs.

- To keep the criteria liberal, no further dilution should be permitted without detailed analysis of the issues involved.
- Ineligible PCARDBs based on the above criteria if become eligible during the period of implementation should also be considered for the package. Generally, PCARDBs with huge accumulated losses without scope for attaining financial viability for foreseeable future should be excluded from the package. In the unitary structure, no separate criteria need to be followed for branches. It is expected that closure/merger of unviable branches will be part of normal rationale exercise by SCARDBs.

Items for support

- The financial package is included to cleanse the balance sheet of SCARDBs and PCARDBs and also to enable their functioning as a strong institution in the future.
- Accumulated losses, shortfall in minimum level of CRAR, shortfall in provisions against NPAs receivable from State Govts, imbalances in the federal structure, technical support (computerization, physical infrastructure etc.), HRD and cost of implementation are the items recommended for support under financial package.
- The amount estimated by the Study Team based on balance sheet figures as on 31.3.2022 are as below:-

(₹ in crores)

| | SCARDBs | PCARDBs | Total |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Accumulated losses | 586.24 | 6348.00 | 6934.24 |
| Imbalance | 2165.00 | NA | 2165.00 |
| Shortfall in provisions | 1276.12 | NA | 1276.12 |
| Computerization | 240.00 | - | 240.00 |
| TOTAL | 4267.36 | 6348.00 | 10,615.36 |

The Ministry of Cooperation has convened three joint meetings of NABARD and the Federation to discuss about implementable recommendations of the Study Team and the timeline for implementation. The Federation has submitted detailed comments on the recommendations to the Ministry. It is expected that an action plan with timeline for implementing the recommendations of the Study Team shall be finalised by the Ministry soon.

Study to Expand Business Growth in 'Amrit Kaal' (2022-2047) and Compliance of Section 24 of MSCS Act 2002 by IRMA

The Federation has assigned to Institute of Rural Management Anand (IRMA) a Study on the working of the Federation including enhancing its services to member banks for business expansion during Amrit Kaal (2022-2047). The study will be fully funded by MoC. Following are the broad terms of reference of the study as indicated by the Ministry.

- Study to be focused on analysing the current status of business services/ activities, turnover, profit, export of the Federation and 25 years plan to increase their turnover with target of 25% annual growth rate and milestones for every 5 years.
- The role of National Cooperative Societies in view of the Allocation of Business of the Ministry of Cooperation.
- Compliance of each and every function defined under Section-24 of Multi State Cooperative Societies Act, 2002.

(a) ensure compliance of the co-operative principles;

- (b) make model bye-laws and policies for consideration of its member cooperative;
- (c) provide specialised training, education and data-base information;
- (d) undertake research, evaluation and assist in preparation of perspective development plans for its member co-operative;
- (e) promote harmonious relations amongst member co-operative;
- (f) help member co-operative to settle disputes among themselves;
- (g) undertake business services on behalf of its member co-operative, if specifically required by or under the resolution of the general body or the board, or bye- laws of a member of co-operative;
- (h) provide management development services to a member co-operative;
- (i) evolve code of conduct for observance by a member co-operative;
- (j) evolve viability norms for a member co-operative;
- (k) provide legal aid and advice to a member co-operative;
- (l) assist member co-operative in organising self-help;
- (m) develop market information system, logo brand promotion, quality control and technology upgradation.
- How to Synergize activities of National Cooperative Societies with major initiatives taken so far by the Ministry of Cooperation.

- Strategy for Communication and Outreach to the primary level Societies (till village level) by the active use of Social Media platforms.
- Conduct Studies through Professionals from reputed institutions like IIT, IIMs or any other Institutions of National repute.
- Suggestions on possibility of diversification of activity, if required keeping in view the strength of the Federations based on their membership.
- Best practices from the successful National and International Cooperatives.
- Specific Time frame (less than 6 months) to be defined to submit the Study Report.

IRMA has constituted a Study Team headed by Prof Indranil De consisting of following persons as other members.

1. Prof Sunil Sangwan
2. Prof Saswata Biswas
3. Prof Sushanta Kumar Sarma
4. Dr. S.K. Esther Ali, Research Assistant
5. Dr. Sangram Mane, Research Assistant

The study team has already completed preliminary discussions with the Federation on 4 April 2024 and has finalised a schedule for visit to some of the SCARDBs during May/June 2024. The Draft report is expected to be submitted by August 2024.

Supreme Court Order regarding Income Tax Relief to Cooperative Credit Societies Under Section 80P (2)

Section 80(P) of Income Tax Act provides for tax exemptions to cooperative societies in their

business with members. However, the Income Tax Act was amended in 2007-08 to introduce section 80P (4) which restricts tax relief under section 80P only to cooperatives which are not engaged in any banking activities. After the above amendment, the income tax department has been making tax assessment on all kinds of cooperatives engaged in providing credit to their members on the ground that advancing loans or credit is a banking function.

Though the tax demand of income tax department in many such cases were set aside by tribunals and also high courts the Supreme Court of India did not give a final verdict in the matter at any time before.

The Commissioner of Income Tax, Mumbai filed a civil appeal No.8719/2022 challenging the order of Mumbai High Court which quashed its tax demand on Quepem Urban Cooperative Credit Society Ltd. In its judgement on the appeal petition filed by the income tax department, the Supreme Court has observed that "By merely giving credit to its members only cannot be said to be the Cooperative Banks/Banks under the Banking Regulation Act. The Banking activities under the Banking Regulation Act are altogether different activities. There is a vast difference between credit societies giving credit to their own members only and the Banks providing banking services including the credit to the public at large also."

"Taking into consideration the CBDT circulars and even the definition of Bank under the Banking Regulation Act, the respondent and assessee cannot be said to be a Cooperative Bank/Bank and therefore section 80P (4) shall not be applicable and that the respondent/assessee shall be entitled

to exemption/benefit under section 80P (2) of the Income Tax Act”.

The above judgement has wider implications on on-going disputes between ARDBs and income tax authorities in various States. The Supreme Court has taken a clear view that a credit cooperative which is not defined as a Bank under the Banking Regulation Act cannot be denied the benefit of section 80P. This decision is equally applicable to ARDBs which are also credit cooperatives without banking licence.

Establishment of Three New National Cooperative Societies

The Union Cabinet has recently approved setting up of three new National Cooperatives as below:-

1. National Cooperative Organics Ltd. with headquarters in Anand, Gujarat.
2. Bharatiya Beej Sahakari (India Seeds Cooperative Ltd.), New Delhi.
3. National Cooperative Exports Ltd., New Delhi.

National Cooperative Organics Ltd., Gujarat

The National Cooperative Organics Ltd. aims to boost India’s share (only 3% at present) in the global organic market which is estimated at ₹10 lakh crore shared mostly by developed countries of US, Germany and France. The NCOL has been set up with an authorised share capital of ₹500 crore and an initial paid-up share capital of ₹100 crore to be equally contributed by Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (AMUL), NAFED, NCCF, NDDDB and NCDC. The NDDDB is the chief promoter of NCOL.

The NCOL will manage various activities related to

organic farming sector by providing certified and authentic organic products, promoting supply and consumption of such products, branding and marketing, testing and certification at affordable cost etc.

Bharatiya Beej Sahakari, New Delhi

The Union Cabinet on 11 January 2023 also approved setting up of a National level Multi State Seed Cooperative Society under the Multi State Cooperative Societies Act 2002 which will act as an apex organisation for production, procurement, processing, branding, labelling, packaging, storage and marketing of quality seeds. The Society will also promote strategic research and development and a system for preservation and promotion of indigenous varieties across the country with the support of ICAR and National Seeds Corporation. IFFCO, KRIBHCO, NAFED, NDDDB and NCDC will contribute ₹50 crore each to the initial paid-up capital of the India Seed Cooperative Society Ltd.

National Cooperative Exports Ltd., New Delhi.

The Union Cabinet approved setting up of National Cooperative Exports Ltd. with an authorised share capital of ₹2000 crore and initial paid-up capital of ₹500 crore to be contributed equally by IFFCO, KRIBHCO, NAFED, AMUL and NCDC. The new cooperative aims at expanding the export market for products of Indian cooperatives. AMUL is already exporting its products to countries such as Brazil, Philippines, Kenya and Canada. IFFCO’s Nano fertilizers is another product being exported by the new cooperative in its initial phase. NCEL exports will also cover agriculture and allied

activities as well as handloom and handicraft items of cooperatives with a target to double cooperative exports by 2025.

Multi State Cooperative Societies (Amendment) Act 2023

The Govt vide gazette notification dt. 3rd August 2023 published the Multi State Cooperative Societies (Amendment) Act 2023. The Multi State Cooperative Societies (Amendment) Rules were also published on 4th August 2023. Following are the major reforms in the principal Act brought through the amendment.

- ❖ Redemption of shares held by Govt or authorities, to be redeemed on face value as may be agreed upon between the society and such other authorities.
- ❖ Establishment of Cooperative Election Authority consisting of a Chairperson, a Vice Chairperson and members not exceeding three to be appointed by Central Govt.

Functions of the authority includes conduct of elections of Multi State Cooperative Societies and supervise, direct and control matters relating to preparation of electoral roll.

Casual vacancies in the Board upto one third of number of elected directors can be filled by the Board if the term of office of the Board is less than half of its original term. If the casual vacancies exceed one third, special vacancies shall be filled up by elections.

The expenses for holding elections by the Authority shall be borne by the Multi State Cooperative Society concerned.

- ❖ The Chairperson and CEO of the society shall request the authority six months before the expiry of the term of the existing Board to conduct the elections within time. The Authority will appoint the Returning Officer and also Observers, if required. The Returning Officer will also elect office bearers after the Board election is over (as mentioned in the Rules notified on 4th August 2023).

The quorum for the meeting of Board of Directors shall be one third of its total number of elected directors.

- ❖ Minimum and maximum age limit of Chief Executives of Multi State Cooperative Societies fixed at 21 and 70 years. Any person above the age of 70 may be appointed or continue as CEO by a special resolution passed by $\frac{3}{4}$ of the Board members in which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person.
- ❖ The time limit for placing Annual Report and draft Annual Accounts before the Board after close of the financial year extended from 30 days to 45 days.
- ❖ Multi State Cooperative Societies to contribute 1% of net profit to Cooperative Education Fund to be maintained by the Central Registrar. As per Rules notified, the Fund shall be maintained by a Committee consisting of Secretary, Ministry of Cooperation (Chairperson), Central Registrar (Financial Advisor to MoC), 2 representatives of multi state cooperative societies as being nominated by Central Registrar, Secretary NCCT, Chief

Executive NCUI, Director VAMNICOM and representative from National Cooperative University.

Central Govt to maintain CEF in a separate account to which all contributions will be credited.

- ❖ The Board to constitute Executive Committee and such other Subcommittees and also an Audit and Ethics Committee and Committee on Prevention of Sexual Harassment at work place.
- ❖ Central Govt to establish Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund for revival of sick multi state cooperative societies.

Multi state cooperative societies which are in profit for preceding three financial years to contribute 1% of net profits or ₹ 1 crore annually whichever is less.

- ❖ Multi state cooperative societies to invest their funds as deposits with a cooperative bank or a land development bank or in Govt securities or securities guaranteed by the Govt or in any scheduled or nationalized bank or in such other manner as may be determined by the Central Govt.
- ❖ In case of mutli state cooperative banks or credit societies with deposits above ₹500 crore and multi state noncredit societies with turn over above ₹500 crore, to appoint auditors from a panel of auditors approved for the purpose by the Central Registrar.

The audit report of the accounts of national cooperative societies shall be laid before each House of Parliament.

The concurrent audit shall be carried out by an auditor appointed by a panel of auditors appointed by Central Registrar in case of multi state cooperative societies having an annual turnover more than the amount as determined by the Govt or having deposit of more than the amount as determined by the Govt.

- ❖ Appointment of Cooperative Ombudsman by the Central Govt for enquiring into complaints made by any member of the society regarding their deposits or any other issue affecting the rights of the concerned member.
- ❖ Appointment of Cooperative Information Officer by the multi state cooperative society to provide information about the society and such information shall be confined to the information falling under the disclosure norms specified by the society in its bylaws.

Condonation of Delay Under Clause (B) of Sub-Section (2) of Section 119 of the Income Tax Act, 1961 for Returns of Income Claiming Deduction U/S 80P during Assessment Years from 2018-19 to 2022-23

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide circular No.13/2023 dt. 26 July 2023 has directed Chief Commissioners of Income Tax/Director General of Income Tax in States to admit all pending as well as new applications by cooperatives for condonation of delay in furnishing returns of income claiming deductions u/s 80P due to genuine reasons for assessment years from 2018-19 to 2022-23 and decide such applications on merits. It is observed that some of the SCARDBs and PCARDBs were denied deductions under

section 80P during the above period due to delay in completing the audit and getting the audit report, leading to delayed filing of tax returns.

The present decision to condone such delays gives an opportunity to SCARDBs, PCARDBs and PACS to avail benefits under section 80P if the same were denied for late filing of returns during assessment years 2018-19 to 2022-23.

Supreme Court Judgement dt. 14 September 2023 on the Petition of Kerala SCARDB against Disallowing Tax Deductions to the Bank Under Section 80(P) of Income Tax Act

The Supreme Court of India in its Judgement given on 14th September 2023 in the Income Tax case of Kerala SCARDB ruled that the SCARDB is not a Bank coming under B.R. Act and hence is entitled to tax deductions under Section 80(P) of Income Tax.

This is a landmark judgement for the ARDB sector as the confusion regarding applicability of tax deductions to ARDBs under Section 80(P) of the Income Tax Act has finally been decided by the Apex Court of the Country.

The Income Tax Act was amended in 2007-08 by adding the new provision under Section 80P as Section 80P(4) by which the deductions under Section 80(P) were made not applicable to a Cooperative Bank other than a Primary Agricultural Credit Society or a Primary Cooperative Agriculture and Rural Development bank with jurisdiction not more than one taluk. However, Income Tax Department in many States by misinterpreting the above provision started levying tax on ARDBs other

than a Primary ARDB including SCARDBs and PCARDBs having jurisdiction of more than one taluk. This led to large number of ongoing disputes between Income Tax Department and ARDBs in various Courts. With the above Judgement of the Supreme Court, all the pending disputes between Income Tax Departments and ARDBs on the question of admissibility of Section 80(P) deductions to ARDBs are expected to be settled in favour of ARDBs.

Suggestions made by Member Banks regarding NABARD's Refinance based on Discussions in the Last Board Meeting on 10th September 2023

The suggestions relating to NABARD's refinance received from member banks based on discussions in the last Board Meeting held on 10th September 2023 are listed below.

- (1) As an alternative to government guarantee, NABARD may consider the possibility to give refinance to SCARDBs on the security of non loan assets of the bank including parcels of land in prime locations in capital cities of the states concerned. (Suggestion made by Gujarat, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal and Rajasthan SCARDBs)
- (2) NABARD may consider two year moratorium period for refinance in order to help SCARDBs to leverage the shortfall in recovery compared to repayment demand of NABARD in subsequent years. (Suggestion made by Gujarat, Karnataka & Uttar Pradesh SCARDBs)

- (3) NABARD may ensure a higher share of LTRCF in the total refinance support to SCARDBs in order to moderate interest rates at farmer level. (Suggestion made by Kerala, Karnataka, Uttar Pradesh & Rajasthan SCARDBs)
- (4) The shortfall in annual refinance support to NABARD compared to annual lending by SCARDBs for eligible purposes is one of the important causes of liquidity crunch faced by SCARDBs. NABARD may, therefore, take a liberal approach to avoid such shortfall to help SCARDBs to maintain their liquidity position. (Suggestion made by Rajasthan, Karnataka & Uttar Pradesh SCARDBs)
- (5) At present, SCARDBs are not given TransUnion CIBIL membership. Though this issue has already been taken up by the Federation and some of the SCARDBs with TransUnion CIBIL, TransUnion CIBIL is yet to take a favourable decision in the matter. NABARD is requested to take up this matter with TransUnion CIBIL. TransUnion CIBIL membership will substantially improve loan repayment as credit history with ARDBs will also reflect in the credit score reports issued by credit rating companies. (Suggestion made by Punjab, West Bengal & Gujarat SCARDBs)
- (6) Though ARDBs are financing NFS activities since the inception of NABARD the benefits under Agricultural Infrastructure Fund is not extended to SCARDBs and PCARDBs. NABARD may, therefore, consider extending Agricultural Infrastructure Fund Scheme to ARDBs also. (Suggestion made by West Bengal, Uttar Pradesh & Karnataka SCARDBs)
- (7) NABARD may adopt a system to inform the banks detailed break-up of scores under various parameters under risk rating to enable the banks to identify critical areas for improving performance. Similarly, the risk rating team may hold discussions with the officials of the SCARDBs before finalizing the scores. (Suggestion made by Punjab, Rajasthan, Karnataka & Uttar Pradesh SCARDBs)
- (8) NABARD may adopt a policy of allocating higher refinance allocation to the SCARDBs compared to principal repayment to NABARD during the year to facilitate required growth in business levels for maintaining sustainability. (Suggestion made by Rajasthan, Uttar Pradesh & Punjab SCARDBs)
- (9) A longer repayment period of 20 years may be given for rural housing in order to bring down repayment instalments and improve recovery. (Suggestion made by West Bengal SCARDB)
- The Federation has forwarded the suggestions to NABARD and requested to convene a meeting of SCARDBs to discuss State specific refinance related matters. These issues were also discussed with the representatives of Boston Consulting Group who are engaged by NABARD for consultations and policy changes.

Planning, Research and Development (PRD) Cell Activities during 2023-24

(A) CONFERENCES, TRAINING PROGRAMMES, WORKSHOPS, SEMINARS & STUDIES

(1) Workshop on Business Development Plans of ARDBs

Background & Objective:

The Federation, during the year prepared Business Development Plan for LTRCCS taking into account the potential for business growth in various States and feedback received from SCARDBs. The Business development plan was prepared for the next five years with milestone targets for every five years thereafter during 'Amrit Kaal'.

The BDP contains growth targets in key functional areas of credit and non credit businesses, resource mobilization, loan recovery and NPA reduction, network expansion, membership expansion and market share in rural lending. The BDP projections are also supported by action plans for computerization and digitization, augmenting resource mobilization, Recovery Action Plan, upgrading human resources with focus on loan appraisal, follow-up and recovery skills.

The Federation on the above background organized a Workshop to finalise Statewise projections for business growth and action plans thereof, on 11th September 2023 at Hotel Clarks Amer, Jaipur. 28 participants from 9 member banks consisting of Chairmen, Chief Executives and Senior Executives participated in the Workshop.

(2) Special Training Programmes on Internal Reforms in LTRCCS

Federation in the last few years has been focusing on internal reforms in the Long Term Rural Cooperative Credit Structure. These reform initiatives cover key functional areas of ARDBs including recovery and NPA management, resource mobilisation, loan system and policies, human resources and governance. The reform initiatives in these areas largely relate to changes in policies, systems and procedures within the mandate of management of SCARDBs and PCARDBs without interventions or approvals by Govt or NABARD. The Core Group for Reform Initiatives (CGRI) set up in each SCARDB is taking a leading role in identifying and suggesting reform initiatives and reviewing the progress of its implementation. While these initiatives brought significant improvement in business diversification, business expansion, revamping recovery system for better results and in expanding avenues for raising resources and improving the working of ARDBs at all levels in general. However, it is seen that the adoption rate of suggested reforms is not picking up at desired level in some States due to lack of sensitisation of key personnel at ground level particularly in the federal structure.

On the above background, the Federation has designed a Special Training Programme on Internal Reforms in LTRCCS with the objective of preparing the key personnel both at the apex and ground level for implementing suggested reforms effectively. The Federation during the year conducted these training programmes in Karnataka

and Punjab with the financial support of NABARD. With the second programme this year which was conducted in Dharwad during 8-10 January 2024, the Secretaries of all PCARDBs in Karnataka have now undergone this training. Similarly, the Chief Executives of all PCARDBs in Punjab were also trained through two programmes this year, which were held in Chandigarh and Amritsar during 10-12 October 2023 and 11-13 October 2023 respectively.

The Federation proposes to conduct the special training programmes for Uttar Pradesh, West Bengal and Himachal Pradesh during 2024-25.

(B) CORE GROUP FOR REFORM INITIATIVES (CGRI)

Core Group for Reform Initiatives (CGRI) constituted by SCARDBs continue to have regular meetings in most of the banks. CGRI has been concentrating on deepening of self-driven reforms at the ground level. CGRI also reviews the impact of reforms already initiated in the core areas of new avenues of mobilising resources, introduction of new products, identifying critical areas and taking corrective actions to improve the rating of SCARDBs, preparation of manuals on functional areas with a view to evolve consistent policies and well documented procedure specifying authority and accountability at various levels as well as recovery and NPA management.

[C] PUBLICATIONS

Land Bank Journal Monthly Newsletter

Federation started publishing Land Bank Journal

Monthly Newsletter since 1st April 2023 and has published the same for all the 12 months during the year. The LBJ Newsletter is also published as an e-letter in addition to the printed version. The total circulation of the newsletter has now reached circulation of 4000 subscribers by the end of the year. The newsletter covers important events in the sector and also reports on activities of member banks as well as news on important events in the cooperative sector at national level which also covers the programmes and initiatives by Ministry of Cooperation.

Annual Statistical Bulletin

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell. Federation is trying to make this important publication up to date by streamlining the reporting system in order to remove the delay in getting ground level data. The Annual Statistical Bulletin for the year 2021-22 is published and circulated. The Annual Statistical Bulletin for the year 2022-23 is being released soon.

Monthly Progress Report of ARDBs

Federation collects and compiles data on member banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt of India. Loans disbursements, Recovery performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report. The Monthly Progress Reports for the months from February 2023 to January 2024 are circulated.

AFFILIATIONS

At National level

Federation is affiliated to the following organizations at the national level.

National Cooperative Union of India (NCUI)

Federation is a member of NCUI and associates actively with its programmes. Shri K. Sivadasan Nair, as Federation's representative to NCUI is a member of its Governing Council and Vice President.

Cooperative Bank of India (COBI)

Federation is one of the founder members of COBI. Shri Dolar Kotecha, Chairman of the Federation was nominated to the General Meeting of COBI and is also an elected member on the Board of COBI.

National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)

Shri Dolar Kotecha, Chairman represents the Federation in the General Body and Board of NAFFAC.

National Cooperative Development Corporation (NCDC)

Shri Dolar Kotecha, Chairman has been nominated as Member of NCDC General Council under Section 3(4)(xvii) of NCDC Act.

Federation is also holding associate membership with the following organizations.

- Indian Merchants Chamber (IMC)

- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Society for Studies in Cooperation (ISSC)
- Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC)

Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)

Managing Director, Federation is a member of General Council of CICTAB.

At International level

• **International Cooperative Alliance (ICA)**

Federation is a member of ICA global as well as ICA Asia-Pacific Region. Federation also associates with various Committees of ICA.

- Shri Dolar Kotecha, Chairman represents the Federation in ICA General Assembly & Regional Assembly.
- Shri K.K. Ravindran, Managing Director was elected Chairman of ICA AP Committee on Banking and Credit in the ICA AP General Assembly held in Seoul, South Korea in November 2019.

• **International Raiffeisen Union (IRU)**

Federation is a member of IRU. Shri Dolar Kotecha, Chairman represents the Federation in the General Body of IRU.

MANAGEMENT OF THE FEDERATION

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand), Patna.
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Puducherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad

Board of Management

As per Byelaw No.20 (i to v), The Board of Management of the Federation shall consist of :

- (i) One representative each of eligible members subject to a maximum of 20;
- (ii) One nominee of Central Govt. subject to provisions under section 48 of the Act;

(iii) Maximum 2 persons having experience in the field of management, cooperative management and finance or specialization in any other field relating to objects and activities undertaken by the Federation, co-opted by the Board who shall not have the right to vote in any election of office bearers or be eligible to be elected as office bearers;

(iv) Managing Director shall be the ex-officio member of the Board;

(v) Functional Directors of the Federation shall also be members of the Board who shall be excluded for the purpose of counting the number of Directors.

The Board of Management of the Federation as on 31 March 2024 consists of the following persons :-

| Sr.No. | Name of Board Member | Member Bank representing |
|---------------|--|--|
| 1. | Shri Dolar Kotecha Chairman | Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. |
| 2. | Shri K. Ravinder Rao Vice Chairman | Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd. |
| 3. | Dr. Moinul Hassan Vice Chairman | West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd |
| 4. | Shri Suresh Kumar Goyal Vice Chairman | Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., |
| 5. | Shri A.R. Shivaram Vice Chairman | Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd |
| 6. | Dr Bijender Singh | Delhi State Cooperative Bank Ltd. |
| 7. | Shri K. Sivadasan Nair | Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd. |
| 8. | Shri Bijay Kumar Singh | Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd (Bihar-Jharkhand) |
| 9. | Shri Dalip Singh Yadav | Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. |
| 10. | Shri W.K. Kyndiah | Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd. |
| 11. | Shri Sanjay Singh Chauhan | Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. |
| 12. | Shri K.K. Ravindran | Managing Director, NAFCARD |

Executive Committee

As per Byelaw No.26 (a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board.

- 1. Shri Dolar Kotecha**, Chairman
(Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- 2. Shri Konduru Ravinder Rao**, Vice Chairman
(Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.)
- 3. Dr. Moinul Hassan**, Vice Chairman
(West Bengal State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- 4. Shri Suresh Kumar Goyal**, Vice Chairman
(Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.)
- 5. Shri A.R. Shivaram**, Vice Chairman,
(Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- 6. Dr. Bijender Singh** (Delhi State Cooperative Bank Ltd.)

7. Shri Sanjay Singh Chauhan, (Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)

8. Shri Waibha. K. Kyndiah, (Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.)

9. Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NAFCARD

Administrative Committee

As per Byelaw No. 27(a), the Administrative Committee consists of Chairman, 4 Vice Chairmen and the Managing Director. Following are the members of Administrative Committee as of 31/03/2024.

- (1) Shri Dolar Kotecha**, Chairman
- (2) Shri Konduru Ravinder Rao**, Vice Chairman
- (3) Dr. Moinul Hassan**, Vice Chairman
- (4) Shri Suresh Kumar Goyal**, Vice Chairman
- (5) Shri A.R. Shivaram**, Vice Chairman,
- (6) Shri K.K. Ravindran**, Managing Director

Meeting of General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2023-24

The Meetings of the General Body, Board and Executive Committee during the year under report with dates and venues are listed below:

| Meetings | Place | Date |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| (a) Annual General Body Meeting | Jaipur (Rajasthan) | 10 September 2023 |
| (b) Board of Management | | |
| 171 st Board | New Delhi (NAFED H.O.) | 29 May 2023 |
| 172 nd Board | Jaipur (Rajasthan) | 10 September 2023 |
| 173 rd Board | New Delhi (Conference Hall, NCUI) | 13 December 2023 |
| 174 th Board | New Delhi (NAFED H.O.) | 30 March 2024 |

Important issues discussed in Board Meetings

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under NABARD refinance, advances, recovery etc. also considered and discussed the following subjects in its meetings.

- 1) Points raised by Hon'ble Home and Cooperation Minister during his speeches.
- 2) Business Development Plan for SCARDBs.
- 3) Study on Reform, Restructuring and Innovations in ARDBs.
- 4) Supreme Court order regarding income tax relief to cooperative credit societies under Section 80P (2)
- 5) Computerisation of ARDBs – Recent developments
- 6) Representation for Rural Cooperative Credit Structure in NABARD Board.
- 7) Union Budget 2023-24 and Cooperatives
- 8) Establishment of three new National Cooperative Societies.
- 9) Preparation of model byelaws
- 10) Submission before Joint Committee on Multi State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022.
- 11) To conduct study to expand business growth in 'Amrit Kaal' (2022-2047) and compliance of section-24 of MSCS Act, 2002
- 12) Continuation of Agri-clinic & Agri-Business Centres Programme of Sub-Mission on Agricultural Extension (SAME) during the year 2023-24.
- 13) The Calendar of programmes for the financial year 2023-24.
- 14) Computerisation of ARDBs
- 15) Request submitted to Govt for including purchases of hardware in the scheme for computerization of ARDBs.
- 16) Suggestions for increasing refinance support to SCARDBs
- 17) Condonation of delay under clause (b) of sub-section (2) of section 119 of the Income Tax Act, 1961 for returns of income claiming deduction u/s 80P during assessment years from 2018-19 to 2022-23
- 18) National Cooperative Exports Ltd.
- 19) Multi State Cooperative Societies (Amendment) Act 2023
- 20) Computerisation of ARDBs under Central Sponsored Project of "Strengthening of Cooperatives through IT Interventions"
- 21) Supreme Court Judgement dt. 14th September 2023 on the Petition of Kerala SCARDB against Disallowing Tax Deductions to the Bank under Section 80(P) of Income Tax Act.
- 22) Suggestions made by member banks regarding NABARD's refinance based on discussions in the last Board meeting on 10th September 2023.
- 23) Proposal to conduct the study to Expand Business Growth in 'Amrit Kaal' (2022-2047) and Compliance of section 24 of MSCS Act, 2002.
- 24) Constitution of Cooperative Election Authority by Govt of India.
- 25) Preparation of Draft Model Byelaws for SCARDBs
- 26) Agenda for National Cooperative Societies/ Federation –Presentation before Ministry of Cooperation.
- 27) Report on Study on Study on "Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs" – Follow-up actions
- 28) Memorandum to Secretary (Cooperation), MoC
- 29) Meeting with Officials of M/s. Boston Consulting Group (India) Pvt Ltd. on 10 January 2024.
- 30) The calendar of programmes for the financial year 2024-25 (tentative)
- 31) Agricultural Market Infrastructure (AMI) Sub scheme under integrated scheme for Agricultural Marketing (ISAM)
- 32) Review of Performance by fully functional SCARDBs under Key Operational Areas during 2023-24 (April 2023 – January 2024)

FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure Accounts for the year 2023-24 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | LIABILITIES | As on | | Sr.No. | ASSETS | As on | |
|---------|--|----------------|----------------|--------|---|----------------|----------------|
| | | 31.3.24 | 31.3.23 | | | 31.3.24 | 31.3.23 |
| 1. | Reserves & Other Funds | 2194.49 | 2247.47 | 1. | Cash & Bank Balances | 19.39 | 1.47 |
| 2. | Secured Loans | 538.09 | 8.87 | 2. | Investments | 2509.70 | 1933.04 |
| 3. | Other Liabilities & Provisions | 149.54 | 132.00 | 3. | Fixed Assets | 193.60 | 212.93 |
| 4. | Surplus transferred from Income & Exp. A/C | 21.30 | -- | 4. | Sundry Debtors & Receivables | 135.73 | 132.09 |
| | | | | 5. | Loans & Advances | 21.37 | 5.84 |
| | | | | 6. | Sundry Deposits & Prepaid Exps. | 4.60 | 4.30 |
| | | | | 7. | Income Tax (Advance tax & TDS Receivable) | 19.03 | 14.40 |
| | | | | 8. | Deficit transferred from Income & Exp. A/c. | -- | 84.27 |
| | TOTAL | 2903.42 | 2388.34 | | TOTAL | 2903.42 | 2388.34 |

INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Particulars | Amount | |
|---------|---|---------------|------------------|
| | | 2023-24 | 2022-23 |
| | INCOME | | |
| 1. | AMS & Additional contributions from member banks | 80.93 | 91.86 |
| 2. | Interest, Dividend & LT Capital Gains (MF) | 251.76 | 123.13 |
| 3. | Grants received (NCUI & NABARD) | 6.28 | 7.00 |
| 4. | Transfers from Development Fund & Special Contingency Reserve | 0.00 | 28.52 |
| 5. | Excess provision reversed/Prior Period Income/Provisions for BDDR | 8.80 | 10.85 |
| 6. | Miscellaneous Incomes | 1.73 | 1.23 |
| | TOTAL (1 to 6) | 349.50 | 262.59 |
| | EXPENDITURE | | |
| 1. | Management Cost | 157.61 | 147.09 |
| 2. | Other Office Expenses | 43.18 | 30.32 |
| 3. | Meetings/Seminar/Conference Expenses/Trng. Prog. | 12.85 | 40.28 |
| 4. | Premises Maintenance Expenses | 6.08 | 6.50 |
| 5. | Provisions /Contributions to Reserves | 97.76 | 93.50 |
| 6. | Other appropriations | 10.72 | 29.17 |
| | TOTAL (1 to 6) | 328.20 | 346.86 |
| | Surplus/Deficit (+)(-) | 21.30 | (-) 84.27 |

BRIEF PROFILE OF MEMBER BANKS

Fully Functional SCARDB

The Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

489, Ashram Road, Opp. Nehru Bridge Corner, Ahmedabad – 380 009

Email: info@gscardbank.org / Website: www.khetibank.org

Telephone Nos: 079-26585365, 26585370, 26585371

Chairman: Shri Dollarrai V. Kotecha
Email : dollar.kotecha@jcombank.com
Mobile : 9924118900

Managing Director : Shri K.B. Upadhyay, I.A.S (Retd.)
Email : kbupadhyay@gscardbank.org
Mobile : 7069029988

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Number of Branches | 176 | 176 | 176 |
| Membership at Ground Level | 294712 | 293211 | 293285 |
| Loans Issued | 15128.33 | 27553.15 | 37336.67 |
| Loans Outstanding | 55043.07 | 64239.05 | 83458.85 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 282 | 624 | 598 |
| ii. PCARDBs | - | - | - |
| Total Paid up Capital | 4263.48 | 4707.29 | 5291.28 |
| Free Reserves | 24802.97 | 27675.39 | 27675.70 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 62.51 | 62.54 | NR |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 58625.72 | 61514.45 | 58103.85 |
| - Collection | 19079.34 | 27663.22 | 28243.66 |
| - Balance | 39546.38 | 33851.23 | 29860.19 |
| - Recovery (%) | 32.54 | 44.97 | 48.61 |

NR - Not Reported.

The Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Bays No. 31-34, Sahkarita Bhawan, Sector-2, Panchkula – 134 109

Email: dev.incharge@gmail.com / Website : hscardb.com

Telephone No.: 0172-2587040

Chairman: Sh. Amar Pal Rana
Email : --
Mobile : 8930182000

Managing Director : Smt. Suman Balhara
Email : pa2md.hscardb@gmail.com
Tel : 0172-2587040

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Number of PCARDB Branches | 70 | 70 | 70 |
| Membership at Ground Level | 733499 | 730556 | 730197 |
| Loans Issued | 4043.99 | 9592.25 | 6367.15 |
| Loan Outstanding | 173938.84 | 172710.64 | 175834.75 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 62 | 52 | 48 |
| ii. PCARDBs | 621 | 474 | 458 |
| Total Paid up Capital | 4361.02 | 4281.02 | 4281.02 |
| Free Reserves | 51143.20 | 51155.63 | 51166.15 |
| Capital to Asset Ratio | NR | 4.79 | NR |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 230780.36 | 214037.00 | 209612.52 |
| - Collection | 23557.25 | 31482.00 | 10705.44 |
| - Balance | 207223.11 | 182555.00 | 198907.08 |
| - Recovery (%) | 10.21 | 14.66 | 5.11 |

NR - Not Reported.

The Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Block No-3D, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171 009

Email: hpardbank@gmail.com / Website: hpardb.in

Telephone Nos: 0177-2621137, 2621437, 2623837

Chairman : Shri Sanjay Singh Chauhan
Email : s.sanjaysingh2002@gmail.com
Mobile : 9418400033

Managing Director : Shri Sachin Kanwal
Email : mdhpscarb@gmail.com
Mobile : 9418480003

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Number of PCARDB Branches | 30 | 30 | 30 |
| Membership at Ground Level | 95872 | 96122 | 114942 |
| Loans Issued | 10561.60 | 11663.14 | 11010.53 |
| Loans Outstanding | 35653.28 | 37598.71 | 42425.35 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 162 | 179 | 172 |
| ii. PCARDBs | 53 | 57 | 54 |
| Total Paid up Capital | 2664.29 | 2769.01 | 2869.34 |
| Free Reserves | 1792.75 | 1792.75 | 1781.75 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 284.92 | 261.59 | 254.05 |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 19404.87 | 21083.26 | 21653.96 |
| - Collection | 6685.59 | 7050.05 | 6209.54 |
| - Balance | 12719.18 | 14033.21 | 15444.42 |
| - Recovery (%) | 34.45 | 33.44 | 28.68 |

The Jammu & Kashmir State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

12, Post Office Lane, Hyderpora, Srinagar – 190 014

Email : scardbjk@rediffmail.com / Website : www.jkscardbb.org

Tel. Nos. : +911942431965, (HO)+911942431892 (HO Srinagar), Jammu +911912475548 (RO)

Administrator & Managing Director : Shri Rakesh Dubey, Joint Registrar B&F J&K Co-operative Societies

Email : rakeshdubey77@gmail.com

Mobile : 9419157301

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Number of Branches | 51 | 51 | 51 |
| Membership at Ground Level | 99293 | 99542 | 99808 |
| Loans issued | 478.84 | 649.30 | 1623.01 |
| Loans Outstanding | 5191.80 | 4801.26 | 4981.24 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 206 | 201 | 194 |
| ii. PCARDBs | - | - | - |
| Total Paid up Capital | 2956.10 | 2916.98 | 2919.53 |
| Free Reserves | 237.63 | 237.63 | 237.63 |
| Capital to Asset Ratio (%) | -139.48 | -177.82 | -204.47 |
| Recovery Position at Ground Level | | | |
| - Demand | 3740.75 | 3677.66 | 3355.75 |
| - Collection | 1171.36 | 1254.55 | 1120.59 |
| - Balance | 2569.39 | 2423.11 | 2235.16 |
| - Recovery (%) | 30.73 | 32.61 | 30.00 |

Karnataka State Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

Tippu sultan palace road, Chamaraipet, Bengaluru, Karnataka – 560 018

Email: md.kscardbank@gmail.com / Website: www.kscardbank.in

Telephone No. : 080-26702024

President : Shri K. Shadakshari
Email : president.sldb@yahoo.com
Mobile : 9844014111

Managing Director : Shri H.P. Kumar, K.C.S.
Email : md.kscardbank@gmail.com
Mobile : 9620463864

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Number of PCARDBs | 178 | 181 | 183 |
| Membership at Ground Level | 1189495 | 1232617 | NR |
| Loans Issued | 44319.46 | 29563.90 | 33730.12 |
| Loans Outstanding | 192945.73 | 194159.09 | NR |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 259 | 244 | 234 |
| ii. PCARDBs | 448 | 445 | 438 |
| Total Paid up Capital | 21485.03 | 21648.63 | NR |
| Free Reserves | 3172.03 | 33017.24 | NR |
| Capital to Asset Ratio (%) | NR | NR | NR |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 82116.14 | 82470.74 | 78194.18 |
| - Collection | 47657.43 | 48281.83 | 53530.27 |
| - Balance | 34458.71 | 34188.91 | 24657.91 |
| - Recovery (%) | 58.04 | 58.54 | 68.47 |

NR - Not Reported.

Kerala State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank Ltd.

PB. No.56, Statue Junction, Thiruvananthapuram – 695 001

Email: ho.cardbank@gmail.com / Website: www.keralalandbank.in

Telephone No : 0471-2460595

President : Adv. C.K. Shajimohan
Email : presidentpa.kscardb@gmail.com
Mobile : 9447207863

Managing Director : Shri Shaji V Nair (IAS)
Email : md.kscardb@gmail.com
Mobile : 9400050320

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Number of PCARDBs/Branches | 76 | 76 | 77 |
| Membership at Ground Level | 1869623 | 1934754 | 1418143 |
| Loans Issued | 275902.92 | 280836.26 | 282625.80 |
| Loans Outstanding | 803081.82 | 783396.78 | 796233.47 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 144 | 174 | 213 |
| ii. PCARDBs | 1254 | 1234 | 1168 |
| Total Paid up Capital | 22887.70 | 23161.05 | 23592.58 |
| Free Reserves | 48675.62 | 65972.81 | 85437.96 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 11.10 | 13.79 | 16.53 |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 376614.82 | 411426.71 | 404169.07 |
| - Collection | 216584.26 | 261752.79 | 251431.88 |
| - Balance | 160030.56 | 149673.92 | 152737.19 |
| - Recovery (%) | 57.51 | 63.62 | 62.21 |

Pondicherry Cooperative Central Land Development Bank Ltd.,

No. 24, Colas Nagar, Uppalam, Puducherry - 605 001

Email : pccldbank@gmail.com

Telephone Nos: 0413-2357985 / 2358827

Chairman : Thiru S. Murali
Email : pccldbank@gmail.com
Mobile : 9942533315

Managing Director : Thiru C. Saravanane
Email : pccldbank@gmail.com
Mobile : 9442357641

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Number of Branches | 1 | 1 | 1 |
| Membership at Ground Level | 20275 | 20525 | NR |
| Loans Issued | 3719.44 | 3957.39 | 4495.70 |
| Loans Outstanding | 4439.21 | 4824.25 | 5260.07 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 29 | 28 | 27 |
| ii. PCARDBs | - | - | - |
| Total Paid up Capital | 541.09 | 561.73 | NR |
| Free Reserves | 430.19 | 565.14 | NR |
| Capital to Asset Ratio (%) | 4.10 | 5.21 | NR |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 4124.26 | 4690.24 | 3970.19 |
| - Collection | 3690.08 | 4274.83 | 3580.98 |
| - Balance | 434.17 | 414.93 | 389.20 |
| - Recovery (%) | 89.47 | 91.15 | 90.20 |

NR - Not Reported.

The Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.

S.C.O 51-54, Bank Square, Sector- 17-B, Chandigarh – 160 017

Email : sadbmd@gmail.com

Telephone Nos.: 0172-2708134, 5011708

Chairman : CA Suresh Kumar Goyal
Email : sadbchairman@gmail.com
Mobile : 9815842233

Managing Director : Shri Gulpreet Singh Aulakh, IAS
Email : sadbmd@gmail.com
Mobile : 9888522222

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Number of PCARDBs | 89 | 89 | 89 |
| Membership at Ground Level | 835277 | 834268 | 832480 |
| Loans Issued | 9256.10 | 507.22 | 0.00 |
| Loans Outstanding | 205861.91 | 186926.34 | 161779.73 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 173 | 112 | 121 |
| ii. PCARDBs | 581 | 594 | 536 |
| Total Paid up Capital | 7888.15 | 7888.15 | 7888.15 |
| Free Reserves | 23438.81 | 46240.28 | NR |
| Capital to Asset Ratio (%) | 15.12 | 32.96 | NR |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 131715.32 | 267090.94 | 272914.89 |
| - Collection | 55539.23 | 38348.95 | 30745.14 |
| - Balance | 76176.09 | 228741.99 | 242169.75 |
| - Recovery (%) | 42.17 | 14.36 | 11.27 |

NR - Not Reported.

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.

Nehru Sahakar Bhavan, 22 Godown Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur – 302 005

Email : rsldbmd@yahoo.in

Telephone No. 0141 - 2740440

Administrator : Smt. Shobita Sharma
Email : addl2ho.coop@rajasthan.gov.in
Mobile : --

Managing Director : Shri Vijay Kumar Sharma
Email : rsldbmd@yahoo.in
Mobile : 9929985290

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Number of PCARDBs | 36 | 36 | 36 |
| Membership at Ground Level | 1239628 | 1162102 | 1239689 |
| Loans Issued | 15676.95 | 15431.16 | 5259.43 |
| Loans Outstanding | 154929.12 | 158998.35 | 154139.15 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 50 | 44 | 44 |
| ii. PCARDBs | 221 | 201 | 188 |
| Total Paid up Capital | 4069.56 | 4134.55 | NR |
| Free Reserves | 71249.26 | 77969.54 | NR |
| Capital to Asset Ratio (%) | 14.42 | 14.96 | NR |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 128733.98 | 100503.50 | NR |
| - Collection | 21526.31 | 31482.49 | NR |
| - Balance | 107207.67 | 69201.01 | NR |
| - Recovery (%) | 16.72 | 31.32 | NR |

NR - Not Reported.

Tamil Nadu Cooperative State Agriculture and Rural Development Bank Ltd.,

No.181, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004.

Email : sldbchn@yahoo.co.in /tncsardbho@gmail.com

Telephone No. : 044 - 24993854

Managing Director : Shri. M. Murugan, Additional Registrar
Email : tncsardbho@gmail.com
Mobile : 7338850010

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Number of PCARDBs | 180 | 180 | 180 |
| Membership at Ground Level | 1266666 | 1672713 | 1487529 |
| Loans Issued | 76744.83 | 105536.34 | 108826.51 |
| Loans Outstanding | 73310.57 | 86085.39 | 115094.97 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 118 | 117 | 109 |
| ii. PCARDBs | 435 | 415 | 453 |
| Total Paid up Capital | 5255.10 | 5277.60 | 5277.60 |
| Free Reserves | 8148.31 | 17257.69 | 17257.69 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 22.74 | 39.10 | NR |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 121286.62 | 132580.86 | 149666.30 |
| - Collection | 94169.24 | 124759.13 | 142235.93 |
| - Balance | 27117.38 | 7821.73 | 7430.37 |
| - Recovery (%) | 77.64 | 94.10 | 95.03 |

NR - Not Reported.

Tripura Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

2nd Floor, O/O RCS, Palace Compound, Agartala – 799 001

Email : tcardsbld.2012@gmail.com

Telephone No.: 0381 - 2323972

Managing Director : Shri Manik Dasgupta

Email : tcardsbld.2012@gmail.com

Mobile : 8787506905

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Number of PCARDBs | 5 | 5 | 5 |
| Membership at Ground Level | 988197 | 955706 | 955733 |
| Loans Issued | 0 | 13.50 | 74.45 |
| Loans Outstanding | 885.47 | 784.72 | 793.62 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 20 | 19 | 19 |
| ii. PCARDBs | - | - | - |
| Total Paid up Capital | 963.93 | 955.71 | 957.10 |
| Free Reserves | 8.68 | 8.86 | 8.68 |
| Capital to Asset Ratio (%) | NR | NR | NR |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 971.06 | 885.47 | 784.72 |
| - Collection | 85.59 | 114.17 | 65.55 |
| - Balance | 885.47 | 771.30 | 719.17 |
| - Recovery (%) | 8.81 | 12.89 | 8.35 |

NR - Not Reported.

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.

10, Mall Avenue, Lucknow – 226 001

Email : upsgvb@yahoo.in / Website:www.upsgvb.in

Telephone Nos.: 0522-2238844, 2238855

Chairman : Shri Santraj Yadav

Email : santarajyadav@gmail.com

Mobile : 9415356478

Managing Director : Shri Shashi Ranjan Kumar Rao

Email : upsgvb@yahoo.in

Mobile : 9415634440

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021 -22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Number of Branches | 323 | 323 | 323 |
| Membership at Ground Level | 1482496 | 1421120 | 1410573 |
| Loans Issued | 24748.94 | 27066.62 | 40854.00 |
| Loans Outstanding | 259028.79 | 257862.28 | 269309.66 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 2618 | 2560 | 2520 |
| ii. PCARDBs | - | - | - |
| Total Paid up Capital | 27630.36 | 27536.51 | 28187.75 |
| Free Reserves | 25589.08 | 26142.73 | 26190.30 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 33.62 | 31.82 | 32.09 |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 250953.61 | 272842.24 | 226248.54 |
| - Collection | 72967.04 | 72858.84 | 61691.68 |
| - Balance | 177986.57 | 199983.40 | 164556.86 |
| - Recovery (%) | 29.08 | 26.70 | 27.27 |

West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, CIT Scheme- VIII (M), Ultadanga, Kolkata - 700 067

Email : wbcardb@gmail.com / Website:www.wbcardb.com

Telephone Nos.: 033 - 23560028, 23560065

Special Officer : Dr. Moinul Hassan
Email : moinulhassan@hotmail.com
Mobile : 9434100000

Managing Director : Shri Manasij Mukhopadhyay
Email : md@wbcardb.com
Mobile : 9748513071

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Number of PCARDBs | 24 | 24 | 24 |
| Membership at Ground Level | 389053 | 410226 | 388045 |
| Loans Issued | 27604.67 | 29196.97 | 28657.89 |
| Loans Outstanding | 133608.90 | 135856.18 | 136135.56 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 83 | 83 | 76 |
| ii. PCARDBs | 596 | 588 | 595 |
| Total Paid up Capital | 4264.10 | 4269.20 | 5814.73 |
| Free Reserves | 969.41 | 1604.78 | 4215.23 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 6.77 | 7.41 | 6.00 |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 100745.78 | 104759.11 | 107188.79 |
| - Collection | 38145.02 | 42036.87 | 41397.55 |
| - Balance | 62600.76 | 62722.24 | 65791.24 |
| - Recovery (%) | 37.86 | 40.13 | 38.62 |

STATE COOPERATIVE BANKS (SCB)

The Delhi State Cooperative Bank Ltd.

31, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi - 110 002

Email : bkg.dsrb@gmail.com

Telephone No.: 011-41705038

President : Dr. Bijender Singh

Managing Director : Smt. Anita Rawat

Staff Position :

At SCB : 451
HO : 48
Branches: 403

Interest rate :

On Loans: 7% to 18.50%
On Deposit Collection: 3% to 7.05%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Loans Outstanding | 83191.64 | 89513.49 | 97080.21 |
| Loans Disbursed | 14275.23 | 27775.86 | 26172.05 |
| Total Paid up Capital | 1889.53 | 2016.51 | 2093.68 |
| Free Reserves | 31058.73 | 33083.20 | 39103.33 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 57.06 | 53.78 | 53.75 |
| Deposit Outstanding | 136629.60 | 134549.02 | 133542.80 |
| Borrowings Outstanding | - | - | - |
| Net Profit | 2645.60 | 2714.39 | 2279.24 |
| Accumulated losses, if any | - | - | - |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 19846.57 | 19728.38 | 21987.90 |
| - Collection | 18919.28 | 18728.38 | 21004.48 |
| - Balance | 927.29 | 945.61 | 983.42 |
| - Recovery (%) | 95.33 | 95.21 | 95.53 |

The Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.

M.G. Road, Shillong – 793 001

Email : headoffice@megcab.com / Website:www.megcab.com

Telephone Nos : 0364–2225190, 2224160

Chairman : Shri Waibha K. Kyndiah

Managing Director : Shri Osmand E. J. Nongbri

Staff Position :
At Head Office : 131
At Branches : 329

Interest rate :
On Loans : 7% to 12.50%
On Deposit Collection : 3.50% to 7.50%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Loans Outstanding | 170989.96 | 169240.65 | 187334.25 |
| Loans Disbursed | 9223.66 | 13636.29 | 15888.96 |
| Total Paid up Capital | 959.17 | 1005.61 | 1022.45 |
| Free Reserves | 17689.55 | 19141.18 | 19101.49 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 4.52 | 4.82 | 4.54 |
| Deposit Outstanding | 348923.10 | 351069.90 | 376428.34 |
| Borrowing Outstanding | 5480.90 | 5233.81 | 6036.08 |
| Net Profit/ Loss | 1327.86 | 1477.46 | 1500.00 |
| Accumulated losses, if any | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recovery position at Ground Level | | | |
| - Demand | 22105.87 | 18461.22 | NR |
| - Collection | 10089.56 | 4355.27 | NR |
| - Balance | 12016.31 | 14105.95 | NR |
| - Recovery (%) | 45.64 | 23.60 | NR |

NR - Not Reported.

Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.

4-1-441, Troop Bazar, Hyderabad – 500 001

Email : mdoffice@tscab.org / Website:www.tscab.org

Telephone No : 040-24685528

Chairman : Shri. Marneni Ravinder Rao

Managing Director : Dr. B. Gopi, IAS

Staff Position :
At Head Office : 245
At Branches : 234

Interest rate :
On Loans: Not Reported
On Deposit Collection: Not Reported

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| Loans Outstanding | 933476.00 | 1161848.00 | 1297477.07 |
| Loans Disbursed | 900791.57 | 1080501.46 | 881453.62 |
| Total Paid up Capital | 28924.00 | 33086.44 | 37972.18 |
| Free Reserves | 61577.00 | 72857.00 | 90032.71 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 10.42 | 10.46 | 10.14 |
| Deposit Outstanding | 694195.00 | 740291.00 | 798073.68 |
| Borrowing Outstanding | 626180.00 | 850878.00 | 888834.00 |
| Net Profit/ Loss | 7154.00 | 9631.00 | 6917.89 |
| Accumulated losses, if any | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recovery position at Ground Level | | | |
| - Demand | 553814.70 | 768566.07 | 812159.27 |
| - Collection | 546139.84 | 759014.79 | 802139.13 |
| - Balance | 7674.86 | 9551.28 | 10020.14 |
| - Recovery (%) | 98.61 | 78.76 | 98.77 |

OTHER SCARDB

Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd.

Bhumi Vikas Bank Bhawan, Budh Marg, Patna – 800 001

Email : ldbpat@gmail.com

Telephone Nos. : 0612-2226221,2226222

Chairperson : Smt. Mamta Singh
Email : ldbpat@gmail.com
Tel. : 0612-2223853

Managing Director : Dr. Kaushalendra Singh
Email : ldbpat@gmail.com
Mobile : 9430265715

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Number of Branches | 151 | 151 | 151 |
| Membership at Ground Level | 702380 | 702362 | 702362 |
| Loans Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Loans Outstanding | 3547.36 | 3335.80 | 3178.76 |
| Staff | | | |
| i. SCARDBs | 366 | 363 | 361 |
| ii. PCARDBs | - | - | - |
| Total Paid up Capital | 2816.85 | 2812.33 | 2808.40 |
| Free Reserves | 1515.73 | 43935.04 | 43935.04 |
| Capital to Asset Ratio (%) | 2.73 | 2.68 | 2.60 |
| Recovery Position At Ground Level | | | |
| - Demand | 41071.62 | 42700.93 | 42461.04 |
| - Collection | 3770.53 | 4687.95 | 4430.96 |
| - Balance | 37301.09 | 38012.98 | 38030.08 |
| - Recovery (%) | 9.18 | 10.97 | 10.43 |

REPORT ON MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2023-24

Data on operations of 13 fully functional SCARDBs during 2023-24 are furnished in Statements given in the **Annexures** of this Report.

1. Loans Advances

The total advances of 13 fully functional SCARDBs as on 31 March 2024 were ₹5616.59 crores as against ₹5429.43 crores compared to the previous year. Aggregate lending by SCARDBs increased by ₹187.16 crores registering a growth of 3.45% during the year. Out of 13 fully functional SCARDBs, 8 have registered growth in lending during the year. While other SCARDBs showed a declining trend during the year. There was significant slide in Punjab SCADB which couldn't lend this year and Rajasthan RSBVB could lend 1/3rd of its last year lending.

2. Loans Outstanding

Total loans outstanding of SCARDBs as on 31.3.2024 stood at ₹21474.16 crores as against ₹21158.34 crores during the previous year indicating growth of ₹315.82 crores (1.49%) in overall business level.

3. Borrowings

The 13 fully Functional SCARDBs has total borrowings at ₹2967.89 crores during 2023-24 as against ₹3350.28 crores during 2022-23 registering decline of ₹382.40 crores. The composition of resources raised from different agencies shows that, 74% of borrowings was sourced from NABARD while NCDC and others including State Govt., NHB, SCB, etc. accounted for the balance of 26%. Further, 7 out of 13 fully functional SCARDBs confirmed to be non-recipient of NABARD's refinance during the year. Out of these 6 banks, 4 SCARDBs increased drawal of refinance.

4. Borrowings Outstanding

The total borrowings outstanding of fully functional SCARDBs stood at ₹12219.44 crores as on 31.3.2024 as against ₹12560.13 crores in the previous year with nominal decline of ₹340.70 crores. NABARD's borrowing outstanding during the year stood at ₹10249.36 crores accounted for 84% of the total borrowings outstanding which declined by 2.14% from ₹10495.32 crores during 2022-23 to ₹10249.36 crores during 2023-24.

5. Deposits Outstanding

Total outstanding deposits of SCARDBs, as on 31.3.2024 were ₹2259.51 crores as against ₹2222.72 crores as of March 31, 2023. Karnataka and Kerala SCARDBs, occupy first two positions in deposit mobilization followed by Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab while deposit mobilization is yet to pick up momentum in Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Out of 13 banks, 6 banks increased deposits outstanding at the end of 2023-24 and 6 banks suffered depletion compared to the previous year.

Deposits raised by 10 banks during the year stood at ₹1653.33 crores as against ₹1996.86 crores in the previous year

6. Financial Details

According to pre-audited data furnished by fully functional SCARDBs for 2023-24, 10 banks posted net profits during the year. Total profits earned by these banks during the year stood at ₹267.91 crore registering a decrease of ₹172.68 crores from ₹440.59 crores by same banks in the previous year. Out of 13 Banks, 3 banks which registered losses of ₹541.31 crores in 2023-24 from ₹40.48 crores in the previous year.

7. Non-Performing Assets (NPA)

The gross NPAs of 13 fully functional SCARDBs, slightly decreased to 36.43% in 2023-24 from 38.84% in the previous year. Only Kerala, Pondicherry and Tamil Nadu could contain the NPA at tolerable levels of 11.81%, 2.96% and 9.57% respectively. While gross NPAs of all other SCARDBs stood above 25%. In case of Karnataka SCARDB the NPA position for 2022-23 is considered for review as position for 2023-24 was not reported.

8. Recovery Position

DCB figures are reported by 12 SCARDBs out of 13 fully functional SCARDBs. Rajasthan RSBVB has not reported its DCB position for 2023-24.

DCB Position of SCARDBs has shown improvement during the year at apex level. Aggregate average recovery of SCARDBs at apex level stood at 45.36% compared to 44.86% during the previous year. Recovery at Ultimate Borrowers' level shown a slight decline during the year from 41.21% to 41.07%.

i. At Apex level

At Apex Level, the total demand of SCARDBs during 2023-24 stood at ₹12279.76 crores as against ₹14877.59 crores in previous year. The total amount of collections decreased by 16.54% from ₹6674.41 crores to ₹5569.51 crores during the year. The aggregate overdues at SCARDB level decreased from ₹8203.17 crores to ₹6710.25 crores during the year, which is a welcome trend.

ii. At Ground Level

At the Ultimate Borrowers level, total demand stood at ₹15358.63 crores in 2023-24 as against ₹16775.62 crores in 2022-23 registering a decline of 8.45%. Against this, recoveries during 2023-24 were ₹6308.51 crores compared to ₹6913.04 crores in the previous year registering a

decrease of 8.75%. The overdues at Ultimate Borrowers level also declined by 8.24% from ₹9862.58 crores in 2022-23 to ₹9050.12 crores in 2023-24.

9. Staff Position

The total staff position of 13 fully functional SCARDBs was 4371 during 2023-24 as against 4430 during the previous years showing a slight reduction in staff of 59. Similarly the total staff of PCARDBs were also reduced by 145 from 4035 in 2022-23 to 3890 in 2023-24.

10. Organizational Network (Outlets)

Total number of operational units increased from 1845 during 2022-23 to 1868 during 2023-24. While the number of branches of SCARDBs remained constant as in the previous year, the Supervisory Units, PCARDBs and Branches of PCARDBs were increased during the year to 84 from 83, 609 from 604 and 518 from 499 respectively compared to the previous year.

11. Membership

The total membership of 13 fully functional SCARDBs stood at 102.80 lakhs showing a decrease during 2023-24 as compared to 2022-23 which was at 109.35 lakhs. The number of borrowing membership decreased by 7.13 lakhs during the year under review from 40.07 lakhs (31.3.2023) to 32.94 lakhs (31.3.2024). While, the number of Non-borrowing membership increased slightly by 0.58 lakhs during 2023-24 at 69.86 lakhs as against 69.28 lakhs during 2022-23.

The above analysis is based on the data furnished by the member banks based on the unaudited figures of 2023-24 (tentative). For banks which did not report the required information for the year 2023-24, figures of 2022-23 was considered for review of operations.

ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Government of India, Ministry of Cooperation, NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Cooperation. The Board of Management places on record its gratitude to the Ministry of Cooperation, Government of India for their policy guidelines and continued support for economic revival through technology adoption for LTCCS.

NABARD from its inception has been extending refinance as well as development support to SCARDBs. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBs and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We express our profound gratitude to the Chairmen, CEOs and staff of all our member banks for their cooperation and support which enabled

Federation to deliver its services for the development of the sector during the year under report. The Board of Management also places on record the valuable contributions of Shri Dolar Kotecha, Chairman for his able leadership to the Federation and in taking up the issues concerning LTCCS with GOI and other agencies concerned effectively. We also express our gratitude to the Vice Chairpersons Shri K. Ravinder Rao, Dr. Moinul Hassan, Shri Suresh Kumar Goyal and Shri A.R. Shivaram who gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

Sd/-

Dolar Kotecha
Chairman

TABLE 1 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name of SCARDB | Loans Disbursed During 2023-24 | | | | | Loans Disbursed During 2022-23 | Loans Outstanding as on 31 March 2024 | | | | | Loans Outstanding as on 31 March 2023 |
|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | Farm Sector | Non Farm Sector | Rural Housing Sector | Others (S.T. Loans) | Total Loans Disbursed | | Farm Sector | Non Farm Sector | Rural Housing Sector | Others (S.T. Loans) | Total Loans Outstanding | |
| 1. | Gujarat | 27865.83 | 9574.30 | 44.18 | 0.00 | 37484.31 | 27553.15 | 10743.22 | 68813.21 | 3245.28 | 0.00 | 82801.71 | 64239.05 |
| 2. | Haryana | 3918.95 | 1454.00 | 669.70 | 324.50 | 6367.15 | 9592.25 | 114549.68 | 20827.89 | 16326.76 | 23223.51 | 174927.84 | 172025.63 |
| 3. | Himachal Pradesh | 7885.31 | 896.29 | 2228.93 | 0.00 | 11010.53 | 11663.14 | 31018.27 | 3331.44 | 8075.64 | 0.00 | 42425.35 | 37598.71 |
| 4. | Jammu & Kashmir | 523.80 | 64.10 | 299.58 | 735.53 | 1623.01 | 649.30 | 3162.53 | 308.15 | 554.12 | 956.44 | 4981.24 | 4801.26 |
| 5. | Karnataka | 33730.12 | 0.00 | 0.00 | 332.01 | 34062.13 | 30318.02 | 214898.00 | 198.80 | 460.19 | 2134.85 | 217691.84 | 211253.17 |
| 6. | Kerala | 128726.09 | 27285.65 | 96620.17 | 29993.89 | 282625.80 | 280886.27 | 306062.16 | 79279.46 | 359372.94 | 37501.69 | 782216.25 | 783396.77 |
| 7. | Pondicherry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4495.70 | 4495.70 | 3957.39 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 5257.29 | 5260.07 | 4824.25 |
| 8. | Punjab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.22 | 98077.14 | 1777.14 | 61538.26 | 400.00 | 161792.54 | 186926.34 |
| 9. | Rajasthan | 4840.87 | 11.50 | 407.06 | 0.00 | 5259.43 | 15431.16 | 128898.43 | 4979.22 | 20261.48 | 0.00 | 154139.13 | 158998.35 |
| 10. | Tamil Nadu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109144.45 | 109144.45 | 106158.46 | 2115.21 | 5878.81 | 2197.14 | 104903.81 | 115094.97 | 97267.32 |
| 11. | Tripura | 0.00 | 74.45 | 0.00 | 0.00 | 74.45 | 13.50 | 0.00 | 793.62 | 0.00 | 0.00 | 793.62 | 784.72 |
| 12. | Uttar Pradesh | 24495.14 | 10126.72 | 0.00 | 6232.14 | 40854.00 | 27066.57 | 193167.33 | 43836.62 | 3369.00 | 28783.18 | 269156.13 | 257862.27 |
| 13. | West Bengal | 23939.56 | 3457.98 | 1260.35 | 0.00 | 28657.89 | 29196.97 | 104023.44 | 12312.27 | 19799.85 | 0.00 | 136135.56 | 135856.18 |
| TOTAL [1 to 13] | | 255925.67 | 52944.99 | 101529.97 | 151258.22 | 561658.85 | 542943.40 | 1206715.41 | 242339.41 | 495200.66 | 203160.77 | 2147416.25 | 2115834.02 |

TABLE 2 - BORROWINGS DURING THE YEAR

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name of SCARDB | Raised During 2023-24 | | | | Grand Total | |
|---------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| | | NABARD | Central Govt. | State Govt. | Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.) | 2023-24 (3+4+5+6) | 2022-23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Gujarat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2. | Haryana | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 3200.00 | 4000.00 |
| 3. | Himachal Pradesh | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8800.00 | 8488.07 |
| 4. | Jammu & Kashmir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Karnataka | 40855.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 41605.00 | 41500.00 |
| 6. | Kerala | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 140154.89 |
| 7. | Pondicherry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1099.67 | 1099.67 | 1239.62 |
| 8. | Punjab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2137.24 |
| 9. | Rajasthan | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 34400.00 | 40400.00 | 43622.56 |
| 10. | Tamil Nadu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 115.25 |
| 11. | Tripura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Uttar Pradesh | 34302.47 | 0.00 | 0.00 | 18416.17 | 52718.64 | 59620.76 |
| 13. | West Bengal | 30107.59 | 0.00 | 0.00 | 18557.85 | 48665.44 | 33650.02 |
| | TOTAL [1 to 13] | 220065.06 | 0.00 | 3950.00 | 72773.69 | 296788.75 | 335028.41 |

TABLE 3 - BORROWINGS OUTSTANDING

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name of SCARDB | Borrowings Outstanding as on 31 March 2024 | | | | | Grand Total | |
|---------|------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| | | NABARD | Central Govt. | State Govt. | Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.) | As on 31/03/2024 (3+4+5+6) | As on 31/03/2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Gujarat | 5650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5650.00 | 9109.56 | |
| 2. | Haryana | 0.00 | 3441.00 | 104685.22 | 0.00 | 108126.22 | 104926.22 | |
| 3. | Himachal Pradesh | 25794.30 | 610.05 | 20.12 | 0.00 | 26424.47 | 23947.98 | |
| 4. | Jammu & Kashmir | 0.00 | 279.28 | 336.72 | 0.00 | 616.00 | 616.00 | |
| 5. | Karnataka | 123468.95 | 0.33 | 3427.30 | 0.00 | 126896.58 | 118097.97 | |
| 6. | Kerala | 595949.85 | 31.95 | 5.53 | 0.00 | 595987.33 | 627203.24 | |
| 7. | Pondicherry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.70 | 473.70 | 157.44 | |
| 8. | Punjab | 47948.59 | 37.85 | 0.00 | 12089.00 | 60075.44 | 77317.03 | |
| 9. | Rajasthan | 53283.02 | 321.26 | 321.26 | 6912.38 | 60837.92 | 94791.89 | |
| 10. | Tamil Nadu | 0.00 | 0.00 | 6389.87 | 22.50 | 6412.37 | 6412.37 | |
| 11. | Tripura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12. | Uttar Pradesh | 67855.50 | 0.00 | 27200.00 | 9472.33 | 104527.83 | 85456.53 | |
| 13. | West Bengal | 104985.37 | 0.01 | 0.01 | 20930.28 | 125915.67 | 107976.89 | |
| | TOTAL [1 to 13] | 1024935.58 | 4721.73 | 142386.03 | 49900.19 | 1221943.53 | 1256013.12 | |

TABLE 4 - DEPOSIT MOBILIZATION

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name of SCARDB | During 2022-23 | | | | During 2023-24 | | | |
|---------|------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | Deposits Outstanding at the beginning of the year | Deposits collected during the year | Deposits repaid during the year | Deposits Outstanding at the end of the year | Deposits Outstanding at the beginning of the year | Deposits collected during the year | Deposits repaid during the year | Deposits Outstanding at the end of the year |
| 1 | Gujarat | 23810.08 | 19345.07 | 19869.37 | 23285.78 | 23285.78 | 18280.80 | 19112.16 | 22454.42 |
| 2. | Haryana | 346.25 | NR | NR | 11.31 | 11.31 | NR | NR | 10.66 |
| 3. | Himachal Pradesh | 12513.05 | 2781.81 | 922.03 | 14372.83 | 14372.83 | 3328.25 | 1037.08 | 16664.00 |
| 4. | Jammu & Kashmir | 16465.20 | 11640.82 | 10982.41 | 17123.61 | 17123.61 | 4287.76 | 3182.48 | 18228.89 |
| 5. | Karnataka | 48431.17 | 55525.68 | 53365.97 | 50590.88 | 50590.88 | 16263.27 | 17052.48 | 49801.67 |
| 6. | Kerala | 30368.17 | 17680.62 | 14168.54 | 33880.25 | 33880.25 | 17473.09 | 14311.76 | 37041.58 |
| 7. | Pondicherry | 4106.19 | 3184.70 | 2525.49 | 4765.40 | 4765.40 | 4351.35 | 4314.80 | 4801.95 |
| 8. | Punjab | 24895.05 | 17244.17 | 24092.90 | 18046.32 | 18046.32 | 15779.99 | 18522.95 | 15303.36 |
| 9. | Rajasthan | 177.48 | NR | NR | 172.46 | 172.46 | NR | NR | 170.32 |
| 10. | Tamil Nadu | 29956.57 | 70487.27 | 67327.14 | 33116.70 | 33116.70 | 82401.25 | 81694.97 | 33822.98 |
| 11 | Uttar Pradesh | 3052.00 | 163.48 | 1807.78 | 1407.70 | 1407.70 | 174.95 | 652.45 | 930.20 |
| 12 | West Bengal | 25231.45 | 1632.70 | 1365.65 | 25498.50 | 25498.50 | 2992.60 | 1769.77 | 26721.33 |
| | TOTAL [1 to 12] | 219352.66 | 199686.32 | 196427.28 | 222271.74 | 222271.74 | 165333.31 | 161650.90 | 225951.36 |

Note: NR - Not Reported.

TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name of SCARDB | Profit / Loss as on | | Accumulated Loss as on | |
|---------|------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 |
| 1. | Gujarat | 5119.02 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Haryana | (2091.96) | (51876.73) | 43642.40 | 95519.13 |
| 3. | Himachal Pradesh | (165.21) | (404.89) | 939.25 | 1344.14 |
| 4. | Jammu & Kashmir | (1790.42) | (1848.98) | 15766.99 | 17615.97 |
| 5. | Karnataka * | 392.17 | 392.17 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Kerala | 3446.76 | 3549.65 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pondicherry | 21.65 | 109.83 | 431.84 | 322.01 |
| 8. | Punjab | 19679.64 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Rajasthan * | 411.32 | 411.32 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Tamil Nadu | 4463.77 | 4910.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Tripura | 15.98 | 0.08 | 1878.64 | 1878.56 |
| 12. | Uttar Pradesh | 9808.06 | 9831.08 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | West Bengal | 700.35 | 586.91 | 0.00 | 0.00 |

Note:- (1) Figures in brackets indicate loss.

(2) * Position as on 31.03.2023 is considered for review.

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name of SCARDB | As on 31 March 2023 | | | As on 31 March 2024 | | |
|---------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | Total Loan Outstanding | Total NPAs | NPA as % of Loans Outstanding | Total Loans Outstanding | Total NPAs | NPA as % of Loans Outstanding |
| 1. | Gujarat | 64239.05 | 28217.64 | 43.93 | 82801.71 | 24657.92 | 29.78 |
| 2. | Haryana | 172025.63 | 132244.32 | 76.87 | 174927.84 | 155684.82 | 89.00 |
| 3. | Himachal Pradesh | 40377.72 | 15308.60 | 37.91 | 42425.35 | 15203.66 | 35.84 |
| 4. | Jammu & Kashmir | 4801.26 | 2641.69 | 55.02 | 4981.24 | 2312.08 | 46.42 |
| 5. | Karnataka * | 199133.59 | 77032.65 | 38.68 | 199133.59 | 77032.65 | 38.68 |
| 6. | Kerala | 783678.24 | 64666.60 | 8.25 | 782475.17 | 92431.04 | 11.81 |
| 7. | Pondicherry | 4824.25 | 189.49 | 3.93 | 5260.07 | 155.84 | 2.96 |
| 8. | Punjab | 186489.85 | 115740.06 | 62.06 | 161500.00 | 122300.00 | 75.73 |
| 9. | Rajasthan | 158998.35 | 88355.80 | 55.57 | 154139.15 | 94652.26 | 61.41 |
| 10. | Tamil Nadu | 97267.32 | 11301.12 | 11.62 | 115094.97 | 11013.76 | 9.57 |
| 11. | Tripura | 784.72 | 771.41 | 98.30 | 793.62 | 708.64 | 89.29 |
| 12. | Uttar Pradesh | 227940.47 | 186787.75 | 81.95 | 240821.74 | 183462.43 | 76.18 |
| 13. | West Bengal | 135856.18 | 33520.66 | 24.67 | 136135.56 | 35331.06 | 25.95 |
| | TOTAL [1 to 13] | 2076416.63 | 756777.79 | 36.45 | 2100490.01 | 814946.16 | 38.80 |

Note : *Position as on 31.03.2023 is considered for review ..

TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name of SCARDB | At Apex Bank Level as on 31 March 2024 | | | | Recovery (%) as on 31.03.2023 | At Ultimate Borrowers' Level as on 31 March 2024 | | | | Recovery (%) as on 31.03.2023 |
|---------|------------------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | Demand | Collection | Balance | Recovery (%) | | Demand | Collection | Balance | Recovery (%) | |
| 1. | Gujarat | 58103.85 | 28243.66 | 29860.19 | 48.61 | 44.97 | 28243.66 | 29860.19 | 48.61 | 44.97 | |
| 2. | Haryana | 191211.90 | 11283.95 | 179927.95 | 5.90 | 11.95 | 10705.44 | 198907.08 | 5.11 | 14.71 | |
| 3. | Himachal Pradesh | 20254.67 | 4810.25 | 15444.42 | 23.75 | 28.12 | 6209.54 | 15444.42 | 28.68 | 33.44 | |
| 4. | Jammu & Kashmir | 3355.75 | 1006.86 | 2348.89 | 30.00 | 32.61 | 1006.86 | 2348.89 | 30.00 | 32.61 | |
| 5. | Karnataka | 108976.91 | 18464.80 | 90512.11 | 16.94 | 30.97 | 53536.27 | 24657.91 | 68.47 | 58.54 | |
| 6. | Kerala | 310555.23 | 263663.60 | 46891.63 | 84.90 | 86.46 | 251431.88 | 152737.19 | 62.21 | 63.62 | |
| 7. | Pondicherry | 3970.19 | 3580.98 | 389.21 | 90.20 | 91.14 | 3580.98 | 389.21 | 90.20 | 91.14 | |
| 8. | Punjab | 99334.17 | 22772.11 | 76562.06 | 22.92 | 42.75 | 30745.14 | 242169.75 | 11.27 | 14.36 | |
| 9. | Rajasthan | NR | NR | NR | NR | 16.72 | NR | NR | NR | 31.32 | |
| 10. | Tamil Nadu | 117581.08 | 105951.64 | 11629.44 | 90.11 | 89.00 | 142235.93 | 7430.37 | 95.04 | 94.10 | |
| 11. | Tripura | 784.72 | 65.55 | 719.17 | 8.35 | 12.89 | 65.55 | 719.17 | 8.35 | 12.89 | |
| 12. | Uttar Pradesh | 226248.54 | 61691.68 | 164556.86 | 27.27 | 26.70 | 61691.68 | 164556.86 | 27.27 | 26.70 | |
| 13. | West Bengal | 87599.10 | 35415.70 | 52183.40 | 40.43 | 43.27 | 41397.55 | 65791.24 | 38.62 | 40.13 | |
| | TOTAL [1 to 13] | 1227976.11 | 556950.78 | 671025.33 | 45.36 | 44.86 | 630850.48 | 905012.28 | 41.07 | 41.21 | |

Note :- NR - Not Reported.

TABLE 8 - STAFF POSITION DETAILS

(Number)

| Sr. No. | Name of SCARDB | Staff Position of SCARDBs During | | | | | | Staff Position of PCARDBs During | | | | | |
|---------|------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 2022-23 | | | 2023-24 | | | 2022-23 | | | 2023-24 | | |
| | | Male | Female | Toatal | Male | Female | Toatal | Male | Female | Toatal | Male | Female | Toatal |
| 1. | Gujarat | 539 | 85 | 624 | 516 | 82 | 598 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2. | Haryana | 48 | 4 | 52 | 41 | 7 | 48 | 431 | 43 | 474 | 408 | 50 | 458 |
| 3. | Himachal Pradesh | 128 | 51 | 179 | 123 | 49 | 172 | 49 | 8 | 57 | 46 | 8 | 54 |
| 4. | Jammu & Kashmir | 168 | 33 | 201 | 161 | 33 | 194 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5. | Karnataka | 162 | 80 | 242 | 157 | 77 | 234 | 301 | 144 | 445 | 295 | 143 | 438 |
| 6. | Kerala | 72 | 102 | 174 | 90 | 123 | 213 | 698 | 536 | 1234 | 641 | 527 | 1168 |
| 7. | Pondicherry | 24 | 4 | 28 | 23 | 4 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8. | Punjab | 83 | 29 | 112 | 87 | 34 | 121 | 538 | 56 | 594 | 487 | 49 | 536 |
| 9. | Rajasthan | 40 | 4 | 44 | 36 | 4 | 40 | NR | NR | 201 | NR | NR | 188 |
| 10. | Tamil Nadu | 67 | 51 | 118 | 60 | 49 | 109 | 346 | 89 | 435 | 344 | 109 | 453 |
| 11. | Tripura | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12. | Uttar Pradesh | 2279 | 281 | 2560 | 2235 | 285 | 2520 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 13. | West Bengal * | 63 | 14 | 77 | 62 | 14 | 76 | 521 | 74 | 595 | 521 | 74 | 595 |
| | TOTAL [1 to 13] | 3689 | 741 | 4430 | 3607 | 764 | 4371 | 2884 | 950 | 4035 | 2742 | 960 | 3890 |

Note :- (1) NA - Not Applicable.
 (2) NR - Not Reported.
 (3) * Position as on 31.03.2023 is considered for review.

TABLE 9 - ORGANISATIONAL NETWORK

(Number)

| Sr. No. | Name of SCARDB | Number of Branches (Unitary / Mixed Structures) | | No. of Supervisory Units (Regional/ Divisional/Zonal Offices) | | No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures) | | No. of Branches of PCARDBs (Federal Structure) | | Total Network | |
|---------|------------------------|---|------------|---|-----------|---|------------|--|------------|---------------|-------------|
| | | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 |
| 1. | Gujarat | 176 | 176 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 176 | 176 |
| 2. | Haryana | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 70 | 70 | 89 | 89 |
| 3. | Himachal Pradesh | 51 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 82 | 82 |
| 4. | Jammu & Kashmir | 51 | 51 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | 53 | 53 |
| 5. | Karnataka | 25 | 25 | 1 | 1 | 181 | 183 | 0 | 0 | 207 | 209 |
| 6. | Kerala | 14 | 14 | 14 | 14 | 76 | 77 | 175 | 194 | 279 | 299 |
| 7. | Pondicherry | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 |
| 8. | Punjab | 0 | 0 | 24 | 24 | 89 | 89 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 9. | Rajasthan | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 36 | 124 | 124 | 162 | 162 |
| 10. | Tamil Nadu | 0 | 0 | 21 | 22 | 180 | 180 | 0 | 0 | 201 | 202 |
| 11. | Tripura | 5 | 5 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 |
| 12. | Uttar Pradesh | 323 | 323 | 18 | 18 | NA | NA | NA | NA | 341 | 341 |
| 13. | West Bengal | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 | 24 | 100 | 100 | 135 | 135 |
| | TOTAL [1 to 13] | 657 | 657 | 83 | 84 | 606 | 609 | 499 | 518 | 1845 | 1868 |

Note:- NA - Not Applicable.

TABLE 10 - DETAILS OF MEMBERSHIP AND ELECTED BOARD (SCARDBs)

(Number)

| Sr. No. | Name of SCARDB | Borrowing Members | | Non-borrowing Members | | Total Membership (Borrowings+Non-Borrowings) | | Whether SCARDB has elected Board (Yes/No) | | Number of PCARDBs having elected Boards | |
|---------|------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 |
| 1. | Gujarat | 293211 | 293285 | 8548 | 7841 | 301759 | 301126 | Yes | Yes | NA | NA |
| 2. | Haryana | 76988 | 72638 | 653568 | 657559 | 730556 | 730197 | Yes | Yes | 19 | 14 |
| 3. | Himachal Pradesh | 39912 | 34768 | 56210 | 80174 | 96122 | 114942 | Yes | Yes | 1 | 1 |
| 4. | Jammu & Kashmir | 77836 | 78016 | 21699 | 21792 | 99535 | 99808 | No | No | NA | NA |
| 5. | Karnataka | 663271 | 696775 | 514009 | 545782 | 1177280 | 1242557 | Yes | Yes | 179 | 181 |
| 6. | Kerala | 1241112 | 547757 | 693642 | 870386 | 1934754 | 1418143 | Yes | Yes | 74 | 76 |
| 7. | Pondicherry * | 3285 | 3285 | 17240 | 17240 | 20525 | 20525 | No | No | NA | NA |
| 8. | Punjab | 62752 | 56835 | 771516 | 775645 | 834268 | 832480 | Yes | Yes | 81 | 87 |
| 9. | Rajasthan * | 729207 | 729207 | 510482 | 510482 | 1239689 | 1239689 | No | No | 10 | 10 |
| 10. | Tamil Nadu | 153908 | 168211 | 1518805 | 1319318 | 1672713 | 1487529 | Yes | No | 179 | 0 |
| 11. | Tripura | 24269 | 24296 | 931437 | 931437 | 955706 | 955733 | Yes | No | NA | NA |
| 12. | Uttar Pradesh | 419186 | 378541 | 1001934 | 1032032 | 1421120 | 1410573 | Yes | Yes | NA | NA |
| 13. | West Bengal | 221946 | 209945 | 228614 | 216253 | 450560 | 426198 | No | No | 7 | 7 |
| | TOTAL [1 to 13] | 4006883 | 3293559 | 6927704 | 6985941 | 10934587 | 10279500 | - | - | 550 | 376 |

Note:- (1) NA - Not Applicable.

(2) *Position as on 31.03.2023 is considered for review.



171st Meeting of Board of Management of the NAFCARD held on 29 May 2023 at NAFED HO, New Delhi.
(Seen on Dias are Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri Ravinder Rao, Dr. Moinul Hassan, Shri ParimalAzhagan, Shri Suresh Kumar Goyal, Vice Chairmen, NAFCARD Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NAFCARD and Other delegates of the Board)



172nd Board Meeting and Annual General Meeting on 10th September 2023 in Jaipur.
(Seen on Dias are Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri Ravinder Rao & Dr. Moinul Hassan, Vice Chairman, NAFCARD and Dr. Bijender Singh, President, Delhi SCB)



Smt Shilpi Pande, Administrator and Shri Vijay Kumar Sharma, Managing Director, Rajasthan RSBVB Welcoming Shri K.K. Ravindran on the occasion of Workshop on Business Development Plans of ARDBs on 11th September 2023 in Jaipur.)



Delegates of 172nd Board & Annual General Meeting held on 10th September 2023 in Jaipur.



State Level Training Programme on 'Internal Reforms in LTCCS' for CEOs of PCARDBs and Senior Officials of Karnataka SCARDB during 8th - 10th January, 2024 at Dharwad, Karnataka.



174th Meeting of Board of Management on 30th March 2024, at NAFED HO. New Delhi.
(Seen on Dias are Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri Ravinder Rao, Dr. Moinul Hassan, Shri A.R. Shivram, Vice Chairmen, NAFCARD and Director, Dr. Bijender Singh, Shri K. Sivadasan Nair and Other delegates of the Board)



The Study Team from Institute of Rural Management Anand (IRMA), Gujarat headed by Prof Indranil De met Shri K.K. Ravindran, Managing Director at Federation's Office in Mumbai on 4th April 2024 for discussions on the Terms of Reference of the Study on Expand Business Growth in "Amrit Kaal (2022-2047)". (Also seen are Prof Sunil Sangwan and Research Assistants Dr. S.K. Esther Ali and Dr. Sangram Mane of IRMA team along with Federations' Officers.)



At RICM, with Federation former Chairman, Shri K. Sivadasan Nair, IFFCO & NCUI Chairman, Shri Dileep Sanghani, NIRB Director Shri R. Venkataswamy and Former Chief Executive of our Federation Shri P.V. Prabhu etc.on 17.7.2023



Shri KK Ravindran, Managing Director NAFCARD is welcomed by Shri B.C. Sateesh, Managing Director & Shri Kumar, Secretary of Karnataka SCARDB, in connection with the meeting on 17.7.2023 in Bangalore



ICA-Asia & Pacific Committee Meeting on Credit and Banking held on 07.11.2023 in Manila, Philippines in conjunction with the '16th ICA Asia & Pacific Regional Assembly.'



Shri K K Ravindran Chairman ICA AP Credit and Banking Committee & MD NAFCARD presented report of the Committee at ICA Regional Assembly held in Manila, Philippines on 9.11.2023.

चौसठवां वार्षिक रिपोर्ट २०२३-२४



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

७०३ए, बीएसईएल टेक पार्क, ७वीं मंजिल, ए - विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन : (०२२) २७८१ ४११४, २२६
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com/ncardbf.org@gmail.com

फैक्स : (०२२) २७८१ ४२२३
वेबसाइट : www.nafcard.org

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लि. फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

सूचना

वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लि. की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक **29 अगस्त 2024 को शाम 5.00 बजे 489, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद 380 009** स्थित गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के मण्डलागार में निम्नांकित व्यवसाय प्रबन्धन हेतु आहूत किए जाने की एतद्द्वारा सूचना निर्गत की जाती है।

1. दिनांक 10 सितम्बर 2024 को होटल क्लार्क आमेर जयपुर में सम्पन्न फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि किया जाना।
2. वर्ष 2023-24 की लेखा परीक्षित खातों के विवरण पत्रों पर विचार।
3. 31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष की सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर विचार।
4. वर्ष 2023-24 की सम्प्रेक्षण अनुपालन आख्या पर विचार।
5. वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।
6. वर्ष 2024-25 के लिये सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति तथा सम्प्रेक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार।
7. वर्ष 2025-26 के लिये वार्षिक बजट पर विचार।
8. बहुराज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप फेडरेशन के उप-नियम संख्या 37 (ii) तथा 40 में संशोधन किया जाना।

कृपया अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करे।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा फेडरेशन की उपविधियों के अनुसार सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि, जो या तो सम्बन्धित सदस्य बैंक के निदेशक मण्डल के प्रस्ताव, अथवा प्रशासक द्वारा, जहां निदेशक मण्डल नहीं है, जिस नाम से भी कहा गया हो, नामित अध्यक्ष / सभापति अथवा मुख्य कार्यकारी, अधिकारी होगा। तदनुसार, सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह फेडरेशन को, सामान्य सभा के लिये अपने अपने प्रतिनिधि का नाम, निदेशक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य सभा की बैठक से न्यूनतम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

फेडरेशन के निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सीन : नवी मुम्बई
तिथि : 09 अगस्त 2024

हस्ताक्षरित / -
(**के. के. रविन्द्रन**)
प्रबन्ध निदेशक

आर्थिक परिदृश्य

कोविड-19 के बाद की दुनिया में भारत ने 2023-24 के दौरान भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के गौरव को बनाये रखा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की नवीनतम विज्ञप्ति के अनुसार, 2022-23 में 7.27% की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के अतिरिक्त 2023-24 में वास्तविक जीडीपी में 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत जो अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2026 में जापान तथा 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सुदृढ़ घरेलू मांग विकास का मुख्य आधार बन गयी है जिसने व्यापार और वित्त के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते एकीकरण के बावजूद अर्थव्यवस्था को कई बाहरी बाधाओं से काफी हद तक बचाया है। 2023-24 के दौरान अर्थव्यवस्था ने मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करके, बैंकों तथा कम्पनियों की वित्तीय स्थिति को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाकर, योजना के अनुसार राजकोषीय समेकन में प्रगति करके तथा सशक्त विदेशी मुद्रा भण्डार के साथ सुविधाजनक बाहरी सन्तुलन बनाए रखते हुए उल्लेखनीय

लचीलापन प्रदर्शित किया है। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा किए गये आर्थिक नीतियों में व्यापक सुधारों के साथ-साथ भौतिक एवं डिजिटल दोनों प्रकार की आधारभूत संरचनात्मक निवेश में तीव्र वृद्धि से स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अर्थव्यवस्था की मध्यम और दीर्घकालिक विकास क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने 2070 तक नेट जीरो मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनायें प्रारम्भ की हैं, जिसमें 1 गीगा वॉट की प्रारम्भिक क्षमता के लिए अपतटीय पवनऊर्जा उत्पादन का दोहन, बायोमास पृथक्करण को प्रोत्साहन, विनिर्माण में प्रोत्साहन तथा आधारभूत संरचना को गतिमान बनाये रखते हुए विद्युतचलित वाहन क्षेत्र (ईवी क्षेत्र) का विस्तार किया जाना सम्मिलित है। सरकार ने आर्थिक विकास में सहकारी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं तथा अमृतकाल (2022-2047) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में सहकारी क्षेत्र की वर्तमान हिस्सेदारी 10% से बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्माण, श्रम तथा आधारभूत संरचना के विकास में लगी सहकारी संस्थाओं को अब बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास का लाभ उठाने के समान अवसर दिये गये हैं।

कृषि 2023-24

कृषि क्षेत्र, वित्तीय वर्ष 2024 में जिसका भारत के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में 18 प्रतिशत के योगदान होने का अनुमान है, देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट तथा जलवायु में अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों के होते हुए भी कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय दृढ़ता तथा लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, तथा भारत के आर्थिक सुधार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2005 से वित्तीय वर्ष 2014 तक इस क्षेत्र की वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के साथ

वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2023 तक इस क्षेत्र की वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 2023 में इस क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के साथ 4.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गतवर्ष की तुलना में 14.1 मिलियन टन की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2023 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन था। वित्तीय वर्ष 2005 से 2014 तक 233 मिलियन टन के प्रतिवर्ष औसत खाद्यान्न उत्पादन कह

तुलना में वित्तीय वर्ष 2015 से 2023 तक 289 मिलियन टन रहा। चावल, गेहूँ, दालें, पोषक/मोटे अनाज और तिलहन के उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि देखी गई। भारत का वैश्विक प्रभुत्व कृषि वस्तुओं से परे फैला हुआ है जिससे यह पूरे विश्व में दूध, दालों और मसालों को सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इसके अतिरिक्त, भारत फलों, सब्जियों, चाय, खेत की मछली, गन्ना, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि निर्यात में पर्याप्त वृद्धि से भी उपलब्धि में सुधार परिलक्षित है, जो गत वर्ष अर्जित उपलब्धि से ऊपर उठते हुए वित्तीय वर्ष 2023 में 4.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अवसर एवं यथोचित नीति व्यवस्था मिलने पर भारत के किसानों ने शेष दुनिया की खाद्यान्न की मांग को पूरा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। सम्भावनायें अभी भी बहुत हैं।

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र की वृद्धि और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए युक्तिपूर्ण उपाय लागू किये हैं। एक उल्लेखनीय व्यवधान 22 रबी और खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में निरन्तर वृद्धि है। कृषि वर्ष 2018-19 से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक फसल के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि सुनिश्चित की है। इस मूल्य समर्थन का उद्देश्य भारत की आयात निर्भरता को कम करना तथा दालों, तेलों एवम वाणिज्यिक फसलों की ओर विविधीकरण को बढ़ावा देना है। तदनुसार, 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में सबसे अधिक वृद्धि मसूर के लिए रु 425.00 प्रति क्विण्टल के साथ ही सफेद सरसों व सरसों के लिए रु 200.00 प्रति क्विण्टल की वृद्धि स्वीकृत की गई।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई),

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी नीतिगत फसलों ने किसानों की आय तथा उनको वित्तीय सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की है। 2019 में प्रारम्भ की गई पीएम-किसान योजना के माध्यम से वर्ष के दौरान तीन बराबर किश्तों में प्रति चार माह में रु 6000/- का नियमित हस्तांतरण किया जाना भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। 12 दिसम्बर 2023 तक 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रु 2.8 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सरकार पीएम - केएमवाई योजना के अन्तर्गत नामांकित 23.4 लाख छोटे और सीमान्त किसानों को पेन्शन लाभ भी देती है। 2016-17 से 55.5 करोड़ किसानों के बीमा आवेदनों और दावों के रूप में रु 1.5 करोड़ के भुगतान से अनपेक्षित अनिरोध्य प्राकृतिक आपदाओं के सापेक्ष सरल सुगम वहनीय फसल बीमा प्रदान करनेवाली पीएमएफबीवाई की सफलता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है।

सरकार ने उत्पादकता में वृद्धि प्रदान कराने के लिए डिजिटल समावेशन तथा मशीनीकरण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। 2016 में डिजिटल प्लेटफॉर्म -ईनेम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) के शुभारम्भ ने कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) मण्डियों के एकीकरण की सुविधा प्रदान की है तथा किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), क्रेताओं एवं व्यापारियों को बहु आयामी लाभ प्रदान किये हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़े बाजारों की संख्या 2016 में 250 से बढ़कर 2023 में 1,389 हो गई है जिससे 209 कृषि एवं बागवानी उत्पादों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिली है। इस प्लेटफॉर्म पर 1.8 करोड़ से अधिक किसानों तथा 2.5 लाख व्यापारियों का पंजीकरण हुआ है,

जिससे पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली तथा ऑनलाइन भुगतान सुविधा के माध्यम से बाजार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर व्यापार की बहुमूल्यता अगस्त 2017 में रु 0.3 लाख करोड़ से बढ़कर नवम्बर 2023 में रु 3 लाख करोड़ से अधिक हो गयी है।

किसानों के लिए ड्रोन तकनीक को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये सरकार के दबाव सहित किये जा रहे प्रयासों से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। किसानों के खेतों पर ड्रोन के प्रदर्शन के लिए ड्रोन की लागत तथा आकस्मिक व्यय के 100 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण करके सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ करने के लिये कदम उठा रही है। एक ही राष्ट्रीय साफ्टवेयर के माध्यम से 62,318 क्रियाशील प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को नाबार्ड से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण प्रणाली में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने एग्रीस्टेक का भी सृजन किया है, जो प्रभावी नियोजन, निगरानी, नीति-निर्माण, रणनीति निर्धारण तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वित सृजन है। सामूहिक रूप से, ये पहल किसानों की गुणवत्तापूर्ण इनपुट, समय पर सूचना, ऋण, बीमा और बाज़ार के अवसरों तक पहुंच को कम लागत तथा अधिक सुविधा के साथ बढ़ाने में योगदान देती है।

कृषि अवसंरचना कोष और प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेवाईएस) के माध्यम से फसल के बाद अवसंरचना निवेश में वृद्धि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई – पीडीएमसी) के प्रति जल की बूंद अधिक फसल घटक जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना

तथा कृषि को और अधिक लचीला बनाने के लिए प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दिया जाना है।

विशेषरूप से कमजोर वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकारी नीतियों की आधारशिला है। खाद्यान्नों की समय पर और सुघड़ खरीद एवं वितरण सर्वोपरि हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के अन्तर्गत 19 जून 2023 तक केन्द्रीय पूल के लिए 830 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक धान की खरीद की गई है। 2022-23 के खरीफ विपणन सत्र के लिए चल रहे धान खरीद कार्यों से 1.2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है, जिसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रवाह से सीधे उनके खातों में स्थानान्तरित किया गया है। चालू अवधि में 19 जून 2023 तक गेहूँ की खरीद गत वर्ष की कुल खरीद से 74 लाख मीट्रिक टन की अर्जित उपलब्धि आगे निकल कर 262 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, कृषकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, सरकार द्वारा वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना प्रारम्भ की गई। इन खरीद कार्यों के अतिरिक्त कोविड-19 के दौरान पीएमजीकेवाई के अन्तर्गत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों (अंत्योदय अन्न योजना परिवारों तथा प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों) को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) को 1 जनवरी 2024 से प्रारम्भ होने वाले आगामी पांच वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

यद्यपि, कृषि क्षेत्र ने निरन्तर अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी विविध और पौष्टिक खाद्यान्नों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि प्रणाली में निरन्तर नवाचार, फसलों की विविधता में सुधार सहित नई तकनीक को अपनाया जाना

आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, नीतिगत स्थिरता तथा निरन्तरता, जो किसानों के लिए बाजार और उत्पादन विकल्पों का विस्तार करती है, साथही जो देश में व्यापक पर्यावरणीय परिवेष्टिक विचारों तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखती हैं, कृषकों को नई प्रौद्योगिकियों एवं परिपाटियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में उपयोगी होंगी।

साहकार-से-समृद्धि-सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख उपक्रम

देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने, जुलाई 2021 में गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार-से-समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए अब तक 50 से अधिक उपक्रम किए गये हैं। इन उपक्रमों को नीचे प्रमुख शीर्षकों के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

1. प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) को बहु-उद्देश्यीय बनाने के लिए आदर्श उप-नियम।

सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए हैं। मॉडल उपनियम पैक्स को ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक ऋण तथा गैर-ऋण सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने में सुविधा प्रदान करते हैं। आदर्श उपनियम, ग्राम वासियों की सम्पूर्ण ऋण तथा गैर-ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने वाली पैक्स को बहुउद्देश्यीय समितियों में परिवर्तित करने की एक प्रमुख पहल है। 31 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पैक्स के आदर्श उपनियमों को पहले ही अपना लिया है और शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपनियमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कार्यान्वयन के अधीन है।

2. कम्प्यूट्रीकरण के माध्यम से पैक्स को सुदृढ़ करना

पैक्स की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, पैक्स/वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियां (एलएएमपीएस) का कम्प्यूट्रीकरण किया जाना प्रारम्भ किया गया है। कुल 63,000 पैक्स/वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियों को नाबार्ड के माध्यम से एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क से जोड़ा गया है।

3. प्रत्येक ग्राम पंचायत/गांव में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी/दुग्ध/मत्स्य पालन समितियों की स्थापना

फरवरी 2023 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने उन ग्राम पंचायतों/गांवों में जहां अभी तक आगामी 5 वर्षों में अब तक बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी/दुग्ध/मत्स्य पालन समितियों की स्थापना नहीं की गई थी, में उक्त प्रकार की 2 लाख नई समितियों की स्थापना के लिए योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना वर्तमान में 23 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन के अधीन हैं।

4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा विकेन्द्रीकृत अनाज भण्डारण कार्यक्रम

मई 2023 में सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ी खाद्य भण्डारण योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस योजनाके अन्तर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि बुनियादी ढांचे जैसे गोदाम,

कस्टम हायरिंग सेण्टर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल की दुकानें आदि का निर्माण किया जाएगा।

5. ई-सेवाओं तक बेहतर पहुँच के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएसी) के रूप में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स)

पैक्स के माध्यम से सीएसी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड के मध्य 02.02.2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसके बाद पैक्स अब सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो गये हैं। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में इस परियोजना का उद्घाटन किया। जनवरी 2024 तक देश की सभी कार्यशील पैक्स/वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियां (लैम्पस) का कम्प्यूट्रीकरण कर उनके माध्यम से सीएससी सुविधाएं प्रदान करने की योजना है।

6. पैक्स द्वारा नये कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन

कृषक उत्पादक संगठन योजना के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को 1100 अतिरिक्त एफपीओ आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। अब प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के रूप में कृषि से जुड़े अन्य आर्थिक कार्य भी कर सकेंगी। यह पहल सहकारी समितियों के सदस्यों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक बाजार सम्पर्क उपलब्ध कराने में भी सहायक होगा। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 14 जुलाई 2023 को आईसीसी, प्रगति मैदान नई

दिल्ली में इस परियोजना का उद्घाटन किया। एनसीडीसी द्वारा 16 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के 629 अनाच्छादित विकास खण्डों में कृषक उत्पादन संगठन के गठन के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।

7. एलपीजी वितरण के लिए पैक्स की पात्रता

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने पैक्स को एलपीजी वितरक बनाने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है, जिसके बाद पैक्स भी एलपीजी वितरित कर सकेंगी। पैक्स द्वारा एलपीजी वितरक दायित्व प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं।

8. पैक्स द्वारा संचालित थोक उपभोक्ता पेट्रोल पम्प को खुदरा बिक्री केन्द्र में परिवर्तित करने की अनुमति

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्तमान थोक उपभोक्ता लाइसेन्सधारी पैक्स को खुदरा बिक्रय केन्द्रों में परिवर्तित करने की भी सहमति प्रदान कर दी है। भारत सरकार ने पैक्स द्वारा संचालित थोक उपभोक्ता पेट्रोल पम्पों को खुदरा बिक्रय केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।

9. नये पेट्रोल/डीजल पम्प डीलरशिप के लिए पैक्स को प्राथमिकता

नये पेट्रोल/डीजल पम्प डीलरशिप में पैक्स को प्राथमिकता दी जाएगी। संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी-2) के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए तेल विपणन कम्पनियां/पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया है। भारत सरकार ने नए पेट्रोल/डीजल पम्पों के लिए पैक्स से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

10. ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए जन औषधि केन्द्र के रूप में पैक्स का गठन

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सुझाव के आधार पर, अगस्त 2003 तक 1,000 जन औषधि केन्द्र तथा दिसम्बर 2023 तक 2000 औषधि केन्द्र निर्धारित पैक्स पर खोलने का निर्णय लिया गया है। इस पहल से गाँव/विकास खण्ड स्तर पर आम लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होंगी तथा पैक्स को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।

11. प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में पैक्स (पीएमकेएसके)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने उर्वरक वितरण केन्द्रों के रूप में पहले से ही काम कर रहे पैक्स को प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (पीएमकेएसके) के रूप में उनका अभ्युत्थान करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्धारित किया गया है कि पैक्स को उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में काम करने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ड्रोन का उपयोग सम्पत्ति के सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकता है। इससे पैक्स के लिए नये व्यवसायिक अवसर उत्पन्न होंगे और उनका लाभ बढ़ेगा। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 22 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 29,111 पैक्स को पीएमकेएसके में अभ्युत्थान किया गया है, शेष का कार्य प्रगति पर है।

12. नाबार्ड की सहायता से बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम उपलब्ध कराये जाएंगे

डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंकों का बैंक मित्र भी बनाया गया है। इनके

व्यवसाय में सरलता, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'सुविधाजनक वित्तीय सुविधाएं' (डोर स्टेप वित्तीय सुविधाएं) प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम भी दिये जा रहे हैं।

13. सहकारी समितियों के सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और क्षमता का विस्तार करने तथा ग्रामीण सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक नकदी उपलब्ध कराने के लिए गुजरात के पंचमहल तथा बनासकांठा जिलो में एक अग्रगामी परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के सभी सदस्यों के बैंक खाते सम्बन्धित ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में खोले जा रहे हैं तथा नाबार्ड के सहयोग से खाताधारकों को रूपे-किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं। रूपे-किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहकारी समितियों के सदस्यों को उचित दर पर ऋण उपलब्ध होगा तथा सदस्य अन्य वित्तीय व्यवहार के लिए भी इसका उपयोग कर सकेंगे। इस अग्रगामी परियोजना को आने वाले दिनों में पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। अबतक 73,503 केसीसी वितरित किए जा चुके हैं।

14. पानी समिति के रूप में पैक्स

ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिख कर पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव (ओ एड एम) का काम करने के लिए 'पानी समिति' के रूप में योग्य बनाने के लिए कहा है।

15. पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम योजना का अभिसरण

13 करोड़ किसान सदस्यों से सीधे जुड़े पैक्स की संरचना और पहुंच का लाभ उठाकर पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकृत सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे पैक्स से जुड़े किसान अपनी उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, पैक्स और इसके सदस्य किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोत मिलेंगे।

16. मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (एफपीपीओ) का गठन

मछुआरों को बाजार सम्पर्क प्रदान करने तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एनसीडीसी ने प्रारम्भिक चरण में 69 एफपीपीओ पंजीकृत किए हैं। मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार ने एनसीडीसी को 1000 वर्तमान मत्स्य सहकारी समितियों को एफपीपीओ में परिवर्तित करने के लिए 225.50 करोड़ रुपए के स्वीकृत परिव्यय के साथ आवंटित किया है।

17. राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहु-राज्यीय सहकारी समितियां

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन तथा माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय ने निर्यात, प्रमाणित बीज तथा जैविक उत्पादों, के लिये निम्नलिखित तीन नई बहु-राज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया है।

(i) निर्यात हेतु नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम-2002 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक छत्र संगठन के रूप में एक नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात

लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की गई है। प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियां, जिनमें जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के महासंघ तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियां सम्मिलित हैं, इनकी सदस्य बन सकती हैं।

(ii) प्रामाणिक बीजों हेतु नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत केवल एक ही ब्राण्ड नाम से उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन तथा वितरण के लिए एक छाता संगठन के रूप में एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना की गई है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (प्राथमिक, जिला, राज्य स्तर) की सहकारी समितियां इसकी सदस्य बन सकती हैं। यह समिति किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाएगी, फसलों की उत्पादकता बढ़ाएगी और किसानों की आय में वृद्धि करेगी।

(iii) जैविक खेती हेतु नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

नेशनल कोआपरेटिव आर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक छत्र संगठन के रूप में की गई है, जो प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन तथा वितरण व विपणन के लिए काम करेगा। जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के महासंघ, बहु-राज्यीय सहकारी समितियां तथा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सहित प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां इसके सदस्य बन सकते हैं। इससे जैविक उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को लाभ बढ़ेगा।

18. सहकारी समितियों के लिए बने आयकर कानून में राहत

(i) सहकारी समितियों के लिए आयकर पर अधिभार में कमी

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र तथा कम्पनियों के मध्य समानता लाने के उद्देश्य से अथक प्रयास किये हैं। 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपये तक की आयवाली सहकारी समितियों के लिए आयकर पर अधिभार को कम्पनियों के समान 12% घटाकर 7% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों पर आयकर का बोझ कम होगा तथा सदस्यों के लाभ के लिए समितियों के पास अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

(ii) सहकारी समितियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) में कमी

सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है। इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों और कम्पनियों के मध्य इस परिप्रेक्ष्य में समानता आ गई है। इससे सहकारी समितियां सुदृढ़ होंगी तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार होगा।

(iii) पैक्स तथा पीसीएआरडी बैंक द्वारा नकद जमा तथा नकद ऋण राशि की सीमा में वृद्धि

पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडी) द्वारा नकद जमा तथा नकद ऋण की सीमा 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी गई है। इस प्रावधान से उनको कार्य सम्पादन में सुविधा मिलेगी तथा उनका व्यवसाय बढ़ेगा और समितियों के सदस्यों को लाभ होगा।

(iv) नई विनिर्माणकारी सहकारी समितियों के लिए आयकर में कटौती

31 मार्च 2024 तक विनिर्माण कार्य प्रारम्भ करने वाली सहकारी समितियों पर अधिभार सहित 30% तक वर्तमान कर दर की तुलना में 15% की एक समान दर से कर लगाया जाएगा। इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों तथा कम्पनियों में मध्य समानता आ गई है। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(v) नकद आहरण में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा में वृद्धि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार ने बजट 2023-24 के माध्यम से सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती के बिना नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी जिसका उपयोग वे अपने सदस्यों के हित में कार्य करने में कर सकेंगे।

(vi) आय कर अधिनियम की धारा 269 एसटी के अन्तर्गत नकद लेन-देन में राहत

आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी किसी भी व्यक्ति को एक दिन में या एक ही लेन-देन में किसी व्यक्ति से एक घटना अथवा अवसर से सम्बन्धित लेन-देन के सम्बन्ध में कुल 2 लाख रुपए या उससे अधिक धनराशि नकद में प्राप्त करने से रोकती है। आयकर विभाग पहले दुग्ध सहकारी समिति तथा उसके वितरक के मध्य 'अनुबन्ध' को एक प्रसंग के रूप में मानता था और यदि पूरे वर्ष में उस वितरक

के साथ सभी लेन-देन में संचयी नकद प्राप्ति की धनराशि 2 लाख रुपए से अधिक थी, तो ऐसी सहकारी समितियों पर आयकर अर्थदण्ड लगाया जाता था। आयकर विभाग ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि अब सहकारी समितियों द्वारा अपने वितरकों के साथ किए गये 'अनुबन्ध' को 'एक प्रसंग' नहीं माना जाएगा। इस स्पष्टीकरण के साथ, सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ एक दिन में किए गये 2 लाख से कम नकद लेन देन को अलग से माना जाएगा, और उन पर आयकर अर्थदण्ड नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य और जिला दुग्ध संघ अब अपने वितरकों से प्रतिदिन 2 लाख रुपए से कम का भुगतान नकद में प्राप्त कर सकेंगे तथा बैंक अवकाश के दौरान सदस्य दुग्ध उत्पादकों को नकद भुगतान कर सकेंगे।

19. केन्द्रीय निबन्धक कार्यालय का कम्प्यूट्रीकरण

केन्द्रीय निबन्धक का कार्यालय बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम 2002 के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है। बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केन्द्रीय निबन्धक के कार्यालय को कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। इससे, केन्द्रीय 18 निबन्धक कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से समयबद्ध पद्धति से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता मिलेगी। इसमें ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, एमएससीएस अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, वीसी के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना तथा अन्य संचार के लिए प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 06 अगस्त 2023 को इस डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया।

20. बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023

बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023 का उद्देश्य बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम, 2002 में संशोधन करके 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल करना तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों में शासन को सुदृढ़ बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, उत्तरदायित्व बढ़ाना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना आदि हैं। यह विधेयक 7 दिसम्बर, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था तथा 20 दिसम्बर 2022 को इसे दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। यह विधेयक को लोकसभा ने 25 जुलाई 2023 को तथा राज्यसभा ने 01 अगस्त 2023 को पारित किया है। बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023, 3 अगस्त 2023 से लागू हो गया है।

21. सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

(i) सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत

सहकारी चीनी मिलों को किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य अथवा राज्य परामर्षित मूल्य तक उच्च गन्ना मूल्य के भुगतान पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। इस प्रावधान से सहकारी चीनी मिलें अब अपने सदस्यों को गन्ने का उचित मूल्य दे सकेंगी तथा उन्हें इस उच्च व्यय पर आय कर में छूट मिलेगी। दिनांक 25.10.2021 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार यह प्रावधान 01.04.2016 से लागू है तथा तबसे सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से किसान सदस्यों को यह लाभ मिल रहा है।

(ii) सहकारी चीनी मिलों के आयकर से सम्बन्धित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान

आयकर की धारा 155 में एक नई उपधारा 19(1) जोड़ी गई

है, जिसके अनुसार चीनी मिलों द्वारा 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को किए गये भुगतान को व्यय माना जाएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार इससे सहकारी चीनी मिलों को 46,524 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, जिससे दशकों से लम्बित आयकर सम्बन्धी मामले सुलझ गये हैं।

(iii) सहकारी चीनी मिलों को सुदृढ़ बनाने के लिए एनसीडीसी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की योजना

सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिलों को सुदृढ़ करने के लिए एनसीडीसी को अनुदान सहायता नाम से एक नई योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान एनसीडीसी को 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। एनसीडीसी इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान कराने के लिए करेगी, जिसका उपयोग वे इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने या सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए अथवा तीनों उद्देश्यों के लिए कर सकेंगे। अब तक एनसीडीसी द्वारा 24 सहकारी चीनी मिलों के लिए 3010.57 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये हैं।

(iv) सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल की खरीद में प्राथमिकता तथा कोजेन पावर प्लांट की स्थापना

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के अन्तर्गत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इथेनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को निजी कम्पनियों के बराबर रखा जाएगा। गन्ने की खोई से सह-उत्पादन बिजली संयंत्र लगाने का काम भी प्रगति पर है। इन कदमों से सहकारी चीनी मिलों का व्यवसाय बढ़ेगा तथा परिणामस्वरूप उनका लाभ भी बढ़ेगा।

(v) सहकारी चीनी मिलों की मदद के लिए गुड़ पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% की गई

सरकार ने गुड़ पर जीएसटी को वर्तमान दर 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय किया है। इससे डिस्टिलरी की तरलता बढ़ेगी क्योंकि गुड़ उनके संखलन के लिए कच्चा माल है। जीएसटी कम होने से उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। सहकारी चीनी मिलें जिनके पास इथेनॉल या डिस्टिलररी प्लांट नहीं हैं, वे अपने गुड़ को उच्च मार्जिन वाली डिस्टिलरी को बेच कर अधिक लाभ कमा सकती हैं।

22. सहकारी बैंकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों का निवारण

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के हस्तक्षेप पर सहकारी बैंकों के कारोबार में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई पहल की गई, जो नीचे सूचीबद्ध हैं।

- (i) अर्बन सहकारी बैंक (यूसीबी) अब अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोल सकेंगे।
- (ii) सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की भांति बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान कर सकेंगे।
- (iii) अर्बन कोआपरेटिव बैंको को दिए गये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय सीमा दी गई है।
- (iv) अर्बन कोआपरेटिव बैंकों के साथ नियमित विचार विनिमय के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्बन कोआपरेटिव बैंकों को अपने ग्राहकों को उनके घर तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है।

- (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्बन कोआपरेटिव बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा को दोगुने से भी अधिक कर दिया है।
- (vii) ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक अचल सम्पत्ति आवासीय भवन निर्माण क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनमें विविधता आयेगी।
- (viii) सहकारी बैंकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारण्टी निधि (सीजीटीएमएसई) के सदस्य ऋण वितरित करने वाली संस्थाओं (एमएलआई) के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसमें अब सदस्य सहकारी बैंक दिए गये ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को अब सहकारी बैंकों से बिना किसी गारण्टी के ऋण भी मिल सकेगा।
- (ix) सहकारी बैंकों को आधुनिक 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (ईपीएस) से जोड़ने के लिए लाइसेन्स शुल्क को लेन-देन की संख्या से जोड़ कर कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सहकारी वित्तीय संस्थाओं को उत्पादन से पूर्व के चरण के पहले तीन माह के लिए यह सुविधा निःशुल्क भी मिल सकेगी। इससे अब किसानों को अपने घर पर ही अपनी उंगलियों के निशान से बैंकिंग की सेवा मिल सकेगी।
- (x) **अर्बन कोआपरेटिव बैंकों के लिये कार्यसूची निर्धारण मानदण्ड**
- अर्बन कोआपरेटिव बैंक जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबन्धित (एफएसडब्ल्यूएम) मानदण्ड को पूरा करते हैं तथा विगत दो वर्षों से तीसरे और चौथे स्तर के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमाराशि बनाए रखते हैं, अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची II में सम्मिलित होंगे

और अनुसूचित श्रेणी पानें के पात्र हैं। वर्तमान में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रूप में वर्गीकृत 84 बैंक हैं।

- (xi) भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को पूरा करने वाले अर्बन कोआपरेटिव बैंकों के लिए बुलेट पुर्नभुगतान योजना के अन्तर्गत स्वर्ण ऋण के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख से बढ़ा कर 4 लाख कर दिया है।
- (xii) **अर्बन कोआपरेटिव बैंकों के लिए छत्र संगठन**

आरबीआई ने नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड को मंजूरी दे दी है, (एनएफसीयूबी), यूसीबी क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गनाइजेशन, (यूओ) के गठन के लिए है, जो लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचा और संचालन सहायता प्रदान करेगा।

23. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार

- (i) **एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों के लिए नई योजनाओं का प्रारम्भ**

एनसीडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयं शक्ति सहकार', दीर्घकालीन कृषि ऋण के लिए 'दीर्घकालीन कृषक सहकार'; दुग्ध योजनाके लिए 'दुग्ध योजना सहकार' और महिला सहकारी संस्थाओं के लिए 'नन्दिनी सहकार' आदि। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, एनसीडीसी ने 41045 करोड़ रुपए (अंतिम) की वित्तीय सहायता प्रदान कराई, जो कि 2021-22 में वितरित ₹34,221 करोड़ से लगभग 20% अधिक है। वर्ष 2023-24 में लगभग ₹50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य है। सभी राज्य और राज्य सहकारी समितियां एनसीडीसी

की ऋण योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। भारत सरकार ने एनसीडीसी द्वारा 2000 करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को निर्दिष्ट नियमों तथा शर्तों के पालन के अधीन, शासकीय गारण्टी के साथ ₹2000 करोड़ मूल्य के बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी है। अब एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षाकृत कम दरों पर ₹2000 करोड़ के अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण वितरित कर सकेगा।

(ii) गहरे समुद्री में चलने वाले ट्रालरों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता

एनसीडीसी मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के समन्वय से गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रालरों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीडीसी ने महाराष्ट्र की मत्स्य सहकारी समितियों के लिए 14 गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रालरों की खरीद के लिए ₹20.30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

24. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल ने सहकारी समितियों को 1 जून 2022 को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 09 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सहकारी समितियों को जेम पोर्टल पर ऑन-बार्डिंग का ई-लॉच किया। सहकारी समितियां अब जेम के एकल मंच पर देश भर में उपलब्ध लगभग 60 लाख प्रामाणिक विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से क्रय कर सकेंगी। अब तक 559 सहकारी समितियों को जी-ई-एम पोर्टल पर क्रेता के रूप में ऑन-बोर्ड किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों को जी-ई-एम पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

25. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का गठन

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकारिता से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश में नई सहकारिता नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों तथा देश भर के विशेषज्ञों एवं हितधारकों की 49 सदस्यों वाली एक बहु-विषयक और राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है। अबतक विशेषज्ञ समिति की 17 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई तथा नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति शीघ्र ही तैयार होने की आशा है।

26. नई राष्ट्रीय डेटाबेस सहकारिता नीति

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अवधारणा है कि सहकारिता क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए डेटाबेस आवश्यक है, इसलिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से चरणबद्ध ढंग से एक व्यापक, प्रामाणिक और अद्यतन राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण के अन्तर्गत फरवरी 2023 में पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख समितियों का प्रतिचित्रण पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में राष्ट्रीय सहकारी समितियों और संघों के प्रतिचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अबतक अंतिम चरण में लगभग 7.88 लाख सहकारी समितियों को डेटा बेस में सम्मिलित किया जा चुका है।

27. सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अवधारणा है कि सहकारी क्षेत्र का नियोजित विकास एवं सशक्तीकरण प्रशिक्षित जनशक्ति से ही हो सकता है, जिसके लिए

सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्व विद्यालय की स्थापना की योजना बनाई जा रही हैं। यह विश्वविद्यालय प्रशिक्षित जनशक्ति की सतत, पर्याप्त तथा गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करेगा तथा वर्तमान कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए कार्य करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विशिष्ट विश्वविद्यालय होगा।

28. एनसीसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करना

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), सहकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्ता संस्थान है, जो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सहकारी विभागों के कर्मियों सहित पूरे देश में सहकारी समितियों के कर्मियों, सदस्यों तथा बोर्ड के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

29. कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबैंकों) का कम्प्यूटरीकरण

दीर्घकालीन सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कम्प्यूटरीकरण के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें हार्डवेयर क्रय, व्यापक उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) समाधान, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करना तथा सॉफ्टवेयर का रखरखाव आदि जैसे विभिन्न घटक होंगे। इस योजना में होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत एआरडी बैंकों द्वारा तथा शेष 75 प्रतिशत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। कम्प्यूटरीकरण से एआरडी बैंकों को अनेक लाभ होंगे, जैसे कि दक्षता में वृद्धि, ऋण वितरण गतिशीलता, लेन देन लागत में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि और कम भुगतान असंतुलन आदि।

30. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के निबन्धक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना

सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय में सरलता में वृद्धि करने तथा सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में पारदर्शी पृष्ठरहित विनियमन के लिए एक डिजिटल परिवेश सृजित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के निबन्धक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत विकसित सॉफ्टवेयर संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के सहकारी अधिनियम पर आधारित होगा।

31. सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को धन वापसी

सहकारिता मंत्रालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, उसपर लिए गये निर्णय दिनांक 29.03.2023 के अन्तर्गत सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव लि., सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लि., हमारा इण्डिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि. तथा स्टार्स मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसायटी लि.) के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विवरण के लिए सहारा-सैबी रिफण्ड खाते से 5000 करोड़ रुपए केन्द्रीय सहकारी समितियों के निबन्धक को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में 'केन्द्रीय निबन्धक - सहारा रिफण्ड पोर्टल' (<https://mocreftund.crcs.gov.in>) का शुभारम्भ किया तथा जमाकर्ताओं को प्रथम चरण के भुगतान की प्रक्रिया 04 अगस्त 2023 से प्रारम्भ हो गई है। 11.12.2023 तक 3.35 करोड़ जमाकर्ताओं से सीआरसीएस- सहारा रिफण्ड पोर्टल पर ₹81,291.50 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं। सहारा सहकारी समितियों के 2,36,066 जमाकर्ताओं को 215 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है।

ग्रामीण साख परिदृश्य

ऐतिहासिक रूप से, भारत में किसान संसाधन-विपन्न है, जो उत्पादन को सुगम बनाने तथा उपभोग प्रणाली को सुचारुरूप से चलाने के लिए ऋण पर बहुत अधिक निर्भर है। वर्षा आधारित परिस्थितियों में कृषि की पारम्परिक अनिश्चितताओं के साथ शोषणकारी ब्याज दरों पर किसानों की बढ़ती सतत ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की विशेषता रही हैं। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के अंत तक, संस्थागत ऋण की कोई व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि कृषकों को कभी-कभी, विशेषकर सूखे के वर्षों में सरकार द्वारा ऋण दिया जाता था। किसानों को ऋण देने के लिए सहकारी समितियां बनाने का विचार 20वीं सदी के प्रारम्भ में ही आया। इस विचार के परिणामस्वरूप अंततः 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ। सहकारी समितियां शनै-शनै पूरे देश में कृषि ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत बन गईं। 20वीं सदी के आरम्भ से निरन्तर ही ग्रामीण ऋण पर सरकार का ध्यान था। 1904 के मूल अधिनियम के उपरान्त 1912 में सहकारी ऋण समितियों को विधिक मान्यता प्रदान करने के लिए एक नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अवधि के दौरान, प्रांतीय सहकारी बैंकों की स्थापना और इसके परिणामस्वरूप त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना का सृजन होना, एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि, साख सहकारी समितियों का संचालन अल्पकालीन ऋणों तक ही सीमित था, फिर भी, किसानों को अपनी भूमि को पिछले ऋणों के चंगुल से मुक्त करने के लिए दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता थी जो उन ऋणों के ब्याज के रूप में किसानों की फसलों का एक बड़ा भाग ले लेते थे। किसानों की ऐसी दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1920 के दशक के आरम्भ में भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना की गई। 1920 में पंजाब में पहले भूमि बंधक बैंक की स्थापना के बाद प्रान्तों में राज्य एवं प्राथमिक स्तर पर ऐसे बैंकों का गठन किया गया। इन सब प्रयासों के बावजूद 1951 तक केवल 3.3 प्रतिशत किसानों को सहकारी

समितियों से ऋण प्राप्त हुआ था तथा केवल 1 प्रतिशत से भी कम किसान वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सफल रहे थे। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने 1954 में पाया कि कृषि ऋण सही मात्रा में नहीं मिलता, वह सही प्रकार का नहीं होता, सही उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तथा अक्सर सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। समिति ने किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी समितियों के कार्य निष्पादन में अनेक कमियां देखीं, किन्तु पाया कि किसानों की ऋण उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और निष्कर्ष निकाला कि 'सहकारिता विफल हो गई है, किन्तु सहकारिता को सफल होना चाहिए। 1963 में सहकारी ग्रामीण साख संरचना, विशेष रूप से भूमि विकास बैंकों को दीर्घकालीन वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गई थी। ग्रामीण ऋण की उपलब्धता की समीक्षा करने तथा कृषि ऋण के प्रवाह में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए 1966 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की स्थापना की गई। समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण ऋण देने में सहकारी समितियों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों को भी अनुपूरक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की अवधारणा के बीजारोपण ने ग्रामीण ऋण व्यवस्था में वाणिज्यिक बैंकों को बड़े पैमाने पर लाने में उत्प्रेरक का कार्य किया। उसी वर्ष विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए लीड बैंक योजना भी प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद को एक लीड बैंक के साथ रखा गया। तथापि, ये सभी उपक्रम कृषि में ऋण प्रवाह में वांछित सुधार ला पाने में इस लिए विफल रहे, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक लघु और सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे, जबकि सहकारी समितियों के पास ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी थी। और इन्ही आधारों की पृष्ठभूमि

पर नरसिंहन कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की परिकल्पना एक अलग बैंकिंग संरचना के रूप में की गई थी, जिसमें स्थानीय भावना तथा ग्रामीण समस्याओं की जानकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों की व्यावसायिकता और संसाधन के आधार के सहकारी लाभों को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार, 70 के दशक के अंत में ग्रामीण ऋण के लिए सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों तथा आरआरबी से मिलकर एक बहु-अभिकरण प्रणाली का अविर्भाव हुआ। तदनन्तर, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति की संस्तुतियों के उपरान्त, 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई, जिसने एआरडीसी के सम्पूर्ण परिचालन तथा कृषि एवं ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में आरबीआई के पुनर्वित्त कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। नाबार्ड ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा संस्थागत विकास को सुविधाजनक बनाने में केन्द्रीय भूमिका निर्वहन करता है। 1990 के दशक में वित्तीय प्रणाली पर समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहन 1991) की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का प्रारम्भ हुआ। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण वित्तीय प्रणाली पर कई समितियां

भी गठित की गई, जिनमें वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण पर उच्चस्तरीय समिति (आर. वी. गुप्ता 1998), सहकारी ऋण प्रणाली की कार्यपद्धति का अध्ययन करने तथा सुदृढीकरण के उपाय सुझाने के लिए टास्कफोर्स अध्ययन (जगदीश कपूर 1999), ग्रामीण ऋण पर विशेषज्ञ समिति (वी. एस. व्यास, 2001), 2000 के दशक के प्रारम्भ में वैद्यनाथन टास्क फोर्स-I और II आदि सम्मिलित हैं। 1990 के दशक से भारत में वित्तीय सुधार मुख्य रूप से उपयुक्त समितियों की संस्तुतियों के आधार पर किए गये। हालांकि, यह देखा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों तथा आरआरबी से सम्बन्धित संस्तुतियों को अधिकांशतः लागू कर दिया गया, लेकिन ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ करने से सम्बन्धित सिफारिशों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। एसटीसीसीएस पर वैद्यनाथन टास्कफोर्स की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, जबकि एलटीसीसीएस पर वैद्यनाथन टास्क फोर्स की रिपोर्ट को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया और उसे बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया।

इसके कार्यान्वयन से कृषि के लिए ऋण प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दी हुई तालिका से देखा जा सकता है, जिसमें 2004-05 से 2023-24 तक कृषि ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शायी गई हैं।

(धनराशि ₹ करोड़ों में)

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धियां |
|---------|---------------------|-------------------|
| 2004-05 | 1,05,000 (आधारवर्ष) | 1,25,309 |
| 2005-06 | 1,41,500 (34.29%) | 1,80,486 (44.03%) |
| 2006-07 | 1,75,000 (24.11%) | 2,29,401 (27.10%) |
| 2007-08 | 2,25,000 (28.57%) | 2,50,000 (8.98%) |
| 2008-09 | 2,80,000 (24.44%) | 3,02,908 (21.16%) |
| 2009-10 | 3,25,000 (16.07%) | 3,84,541 (26.95%) |
| 2010-11 | 3,75,000 (15.39%) | 4,68,291 (21.78%) |
| 2011-12 | 4,75,000 (26.67%) | 5,11,029 (9.13%) |
| 2012-13 | 5,75,000 (21.05%) | 6,07,375 (18.85%) |

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| 2013-14 | 7,00,000 (21.74%) | 7,30,765 (20.32%) |
| 2014-15 | 8,00,000 (14.29%) | 8,45,328 (15.68%) |
| 2015-16 | 8,50,000 (6.25%) | 9,15,509 (8.30%) |
| 2016-17 | 9,00,000 (5.88%) | 10,65,755 (16.41%) |
| 2017-18 | 10,00,000 (11.11%) | 11,62,617 (9.09%) |
| 2018-19 | 11,00,000 (10.00%) | 12,54,762 (7.93%) |
| 2019-20 | 13,50,000 (22.73%) | 13,73,766 (9.48%) |
| 2020-21 | 15,00,000 (11.11%) | 15,75,398 (14.68%) |
| 2021-22 | 16,50,000 (10.00%) | 18,63,364 (18.28%) |
| 2022-23 | 18,50,000 (12.12%) | 21,55,163 (16%) |
| 2023-24 | 20,00,000 (8.11%) | - |

स्रोत : rbi.org.in, वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन, नाबार्ड

पिछले कुछ दशकों में, विशेषकर 1990-91 के बाद से, दीर्घकालीन ऋण का अंश निरन्तर घटता जा रहा है, जिसका अर्थ है कि कृषक दीर्घकालीन निवेश के स्थान पर आवर्ती व्यय के लिए ऋण ले रहे हैं। यद्यपि उत्पादन ऋण का प्रवाह वर्ष प्रति वर्ष निरन्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन निवेश ऋण की हिस्सेदारी में गिरावट तथा पूँजी निर्माण एवं उत्पादकता वृद्धि की दर में मंदी के कारण कृषि उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है।

संस्थागत ऋण वितरण तंत्र के पास दीर्घकालीन संसाधन नहीं हैं। नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा केवल बैंकों को तरलता सहायता के माध्यम से दी जाती हैं। वाणिज्यिक बैंक आमतौर पर अपने निवेश ऋण सहायता के लिए पुनर्भुगतान अवधि को कम कर देते हैं, जिससे किसानों को बिना किसी आय के भी अपने ऋण चुकाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण में एआरडी बैंकों की भागीदारी बढ़ाने पर वाई.सी.नन्दा कार्य समूह की निम्नांकित टिप्पणियां उद्घृत करने योग्य हैं। “सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास निवेश ऋण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक संसाधन नहीं हैं। एआरडी बैंकों ने नाबार्ड के पुनर्वित्त सहयोग के साथ

अथवा कभी उसके सहयोग के बिना भी अपने सदस्यों की निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। यदि एआरडी बैंकों द्वारा निवेश ऋण का हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उन्हें नाबार्ड या किसी अन्य उच्च वित्त पोषण एजेन्सी से उदार वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि एआरडी बैंक ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसे जानबूझकर दीर्घकालिक निवेश ऋण सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसलिए, नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसे प्रतिबन्धित ऋण नीतियों को अपनाने के स्थान पर एआरडी बैंकों को सहयोग प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निर्वहन करनी चाहिए। वास्तव में, नाबार्ड अपनी स्थापना के बाद से ही सबसे पहले एआरडी बैंकों से अपनी पुनर्वित्त बकाया वसूली करता रहा है, भले ही वे उधार लेने वाले सदस्यों से वसूली करने की स्थिति में न हों। नाबार्ड की इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है तथा उसे एआरडी बैंकद्वारा अपने पुनर्वित्त किस्तों का पुनर्भुगतान बाद में किये जाने की नीति अपनानी चाहिए। इस प्रकार के दृष्टिकोण से एआरडी बैंकों को विभिन्न सामाजिक राजनैतिक कारणों से उत्पन्न प्रतिकूल ऋण वसूली परिवेश से निपटने में पर्याप्त सहायता मिलेगी

तथा नाबार्ड भी जोखिम साझा करने के दृष्टिकोण में भाग लेगा।

किसानों द्वारा निवेश ऋण के लिए देय उच्च ब्याज दरें एक और मुद्दा है जिसे प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने फसली ऋण की ब्याज दर को सस्ती दरों पर रखने के लिए कदम उठाए हैं। फसली ऋण पर 3% की ब्याज में छूट के बाद देय अधिकतम ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष हो गई है। राज्य सरकारों द्वारा फसली ऋण के ब्याज में अतिरिक्त छूट दिये जाने के साथ अब कुछ राज्यों में फसली ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध है। यद्यपि कृषि ऋण की लागत को कम करने के लिए इनमें से कोई भी उपाय कृषि निवेश पर दिये गये ऋणों तक नहीं बढ़ाया गया है। निवेश ऋणों के लिए बैंकों को नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली पुर्नवित्त सहायता पर प्रतिवर्ष लगभग 8.50% की ब्याज दर लागू होती है, जिससे अंतिम ऋणी सदस्य स्तर पर ऋण की लागत 12-14% प्रतिवर्ष हो जाती है। फसली ऋण तथा निवेश ऋण की ब्याज दरों के मध्य बड़ा अंतर कृषि निवेश के लिए एक प्रमुख अवरोधक बन गया है।

सरकार ने नाबार्ड में दीर्घकालीन ग्रामीण ऋण कोष की

स्थापना की है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को दिए जाने वाले ऋण में कमी की प्रतिपूर्ति के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। नाबार्ड इस कोष का उपयोग अधिकतम पांच वर्षों तक की अवधि के लिए कम दर पर निवेश ऋण पुर्नवित्त देने के लिए कर रहा है। तथापि, एससीएआरडी बैंक की निधियों की लागत में एलटीआरसीएफ का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नाबार्ड से प्राप्त कुल वित्त पोषण में एलटीआरसीएफ का अंश बहुत कम है।

विगत 10 वर्षों में सिंचित कृषि भूमि के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि, कृषि के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। विशेष रूप से वर्षा आधारित परिस्थितियों में कृषि को वित्त पोषित करना उच्च जोखिम से जुड़ा है। वर्तमान में, कृषि वित्त पोषण में सम्मिलित पूरा जोखिम ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके पास एनपीए का उच्च स्तर होता है। सहकारी ऋण संरचना में एआरडी बैंक सहित बड़ी संख्या में संस्थानों के लिए, जो मुख्य रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों को सेवा प्रदान करते हैं, एनपीए सहनीय स्तर से परे है।

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना – विहंगावलोकन

संरचना का संक्षिप्त विवरण

वर्तमान में संरचना में 16 एससीएआरडी बैंक हैं जिनमें प्राथमिक स्तर पर 1,868 कार्यशील इकाइयों के नेटवर्क के साथ 13 पूर्णतया कार्यात्मक हैं। इन बैंकों की कुल सदस्य संख्या 1,02,79,500 ग्रामीण परिवार हैं जिसमें से 32,93,559 पर अदत्त बकाया है। 31 मार्च 2024 तक जिनका ऋण अवशेष तथा अदत्त बकाया क्रमशः ₹21,474.16 करोड़ तथा

₹12,219.44 है। पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों के पास 31.03.2023 को ₹2,222.72 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2024 तक इन बैंकों की कुल जमा राशि ₹2,259.51 करोड़ है। इनकी कुल वितरित ऋण राशि गतवर्ष के ₹5,429.43 करोड़ के सापेक्ष 2023-24 के दौरान ₹5,616.59 करोड़ थीं इन बैंकों की कुल वसूली गत वर्ष के 41.21% की तुलना में इस वर्ष 41.07% (31 मार्च 2024 तक) रहीं।

विगत 2 वर्षों का दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना का विहंगावलोकन

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | विवरण | वर्ष के दौरान | |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2022-23 | 2023-24* |
| 1. | एससीएआरडी बैंकों की संख्या | | |
| | i. पूर्णतया कार्यात्मक | 13 | 13 |
| | ii अन्य | 3 | 3 |
| 2. | निस्सरण केन्द्रों का संजाल | | |
| | i. एससीएआरडी बैंकों की शाखाएं | 657 | 657 |
| | ii. पर्यवेक्षीय इकाइयां | 83 | 84 |
| | iii. पीसीएआरडी बैंक | 606 | 609 |
| | iv. पीसीएआरडी बैंक और उनकी शाखाएं | 499 | 518 |
| | योग | 1,845 | 1,868 |
| 3. | ऋणी सदस्यता | 1,09,34,587 | 1,02,79,500 |
| 4. | ऋणी सदस्यों की संख्या | 40,06,883 | 32,93,559 |
| 5. | बकाया ऋण | 21,158.34 | 21,474.16 |
| 6. | वितरित ऋण | 5,429.43 | 5,616.59 |
| 7. | अदत्त उधार राशियां | 12,560.13 | 12,219.44 |
| 8. | अदत्त जमा | 2,222.72 | 2,259.51 |
| 9. | 31 मार्च को अदत्त ऋण वसूली की स्थिति | | |
| A. | अंतिम उधारकर्ता स्तर पर | 2022-23 | 2023-24 |
| | i. मांग | 16,775.62 | 15,358.63 |
| | ii. वसूली | 6,913.04 | 6,308.51 |
| | iii. अवशेष | 9,862.58 | 9,050.12 |
| | iv. वसूली % | 41.21 | 41.07 |
| B. | एससीएआरडीबी स्तर पर | 2022-23 | 2023-24 |
| | i. मांग | 14,877.59 | 12,279.76 |
| | ii. वसूली | 6,674.41 | 5,569.51 |
| | iii. अवशेष | 8,203.17 | 6,710.25 |
| | iv. वसूली % | 44.86 | 45.36 |
| 10. | लाभ की धनराशि | 440.59 | 267.91 |
| | लाभ पाने वाले बैंकों की संख्या | 10 | 10 |
| 11. | हानि की धनराशि | 40.48 | 541.31 |
| | हानि वाले बैंकों की संख्या | 3 | 3 |
| 12. | कर्मचारियों की स्थिति | | |
| | i. एससीएआरडी बैंक स्तर पर | 4,430 | 4,371 |
| | ii. पीसीएआरडी बैंक स्तर पर | 4,035 | 3,890 |
| | योग | 8,465 | 8,261 |

*आकड़े अनन्तिम हैं।

प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियां

- एलटीसीसीएस को एक गैर स्रोत आधारित ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में आकल्पित किया गया।
 - इस संरचना की संस्थाओं को बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाली बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है। फलस्वरूप, इन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की भ्रांति अपने स्रोत बढ़ाने हेतु बाजार से जमा संग्रहण की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
 - ऋण देने के संसवाधनों हेतु नाबार्ड के पुर्नवित्त पर बहुत अधिक निर्भर है।
 - तथापि, राज्य सरकार की गारण्टी की व्यवस्था करने में कठिनाइयों और जोखिम रेटिंग के आधार पर पुर्नवित्त की पात्रता शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण वर्ष 2000 के प्रारम्भ से नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा पुर्नवित्त सहयोग शनैः शनै कम होता जा रहा है।
 - इस परिप्रेक्ष्य में, एआरडी बैंकों की निवेश ऋण में भागीदारी को बढ़ाने के लिये नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री वाइ. सी. नन्दा की अध्यक्षता में निवेश ऋण में एआरडी बैंकों की हिस्सेदारी पर गठित कार्यदल (2017) नाबार्ड को संस्तुति की थी, कि वह एससीएआरडी बैंको को उनकी भारमुक्त गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियों तथा अन्य गुणात्मक मापदण्डों के आधार पर बिना गारण्टी अथवा जमानत के पुर्नवित्त दिये जाने हेतु पुर्नवित्त की एक नई व अतिरिक्त प्रणाली सृजित करें। नाबार्ड ने अभी तक इस संस्तुति को लागू नहीं किया है।
- दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों को फसली ऋण दे पाने में असमर्थता के कारण कृषि निवेश तथा ऋण अदायगी प्रभावित हो रही है।

- भारत सरकार की फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना को एआरडी बैंकों पर लागू नहीं किया गया है।
- एआरडी बैंकों के दीर्घकालिक ऋणी सदस्य सामान्यतया अन्य अभिकरणों से फसली ऋण लेने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनकी भूमि एआरडी बैंकों के पक्ष में बन्धक की गई होती है।
- फसली ऋण की अनुपलब्धता से इन किसानों की आय और ऋण भुगतान क्षमता प्रभावित होती है।
- ❖ ऋण वसूली बिगड़ता परिवेश
 - विगत कुछ वर्षों में बुनियादी स्तर पर कुल सुधार 50 प्रतिशत के आसपास रहा है।
 - यद्यपि वितरित ऋण भूमि के बन्धक बनाये जाने से सुरक्षित होते हैं, फिर भी कई राज्यों में कृषि भूमि का विक्रय कर ऋण की वसूली करना कठिन है।
 - निवेश ऋण के साथ-साथ उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी के लिये ऋण दे पाने में सहकारी दीर्घकालीन साख संरचना की असमर्थता, उन ऋणी सदस्यों को बैंक से प्राप्त निवेश के पूर्ण लाभ से वंचित करती हैं जो अन्य अभिकरणों से अल्प अवधि ऋण प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं हैं।
 - अल्पावधि ऋण उत्पादों तथा बचत उत्पादों के अभाव में, एआरडीबैंक अपने ऋणी सदस्यों के साथ नियमित सम्पर्क बनाये रखने में असमर्थ रहते हैं जो ऋण की अदायगी में सुधार के लिए आवश्यक है।
 - ऋण माफी, भले ही संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए एक बार के उपाय के रूप में की गई हो, भविष्य में और अधिक ऋण माफी की उम्मीदों को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप वे लोग भी

ऋण चूक जाते हैं, जो भुगतान करने की क्षमता रखते हैं।

- वित्तीय क्षेत्र सुधारों से एआरडीबैंकों को बाहर रखा जाना
 - सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में भारी बकाये, पर्याप्त अतिरिक्त लाभ की अनुमति दिए बिना दीर्घ अवधि की विनियमित ब्याज दरों की व्यवस्था तथा योजना के अन्तर्गत माफ किए गये ऋणों की पूरी प्रतिपूर्ति किए बिना 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के कारण 90 के दशक से सहकारी दीर्घकालीन साख संरचना के वित्तीय निष्पादन में गिरावट आना प्रारम्भ हुआ।
 - जबकि 90 के दशक से पुर्नपूँजीकरण सहित वित्तीय क्षेत्र के सुधारों ने बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अल्पकालीन सहकारी साख समितियों को ऐसी हानि को कम करने में सहायता प्रदान की, एआरडी बैंकों को वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से बाहर रखा गया है।
 - यद्यपि, वैद्यनाथन कार्यदल-II (2006) द्वारा, सुधारों तथा पुर्नपूँजीकरण हेतु पुनरुद्धार पैकेज दिया जाने की संस्तुति की किन्तु, जिसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है।

सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से उठाये गये मुद्दे एवं सुझाव

- (i) एआरडी बैंकों का कम्प्यूट्रीकरण – वर्तमान में, किसी भी राज्य में एआरडी बैंक कोर बैंकिंग समाधान के साथ पूरी तरह से कम्प्यूट्रीकृत नहीं है। सहकारिता मंत्रालय ने वर्तमान में अब सूचना प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को सुदृढ करने की केन्द्र प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत

एआरडी बैंकों को कम्प्यूट्रीकरण की योजना प्रारम्भ की हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 13 पूर्णकालिक एससीएआरडी बैंकों की 1851 परिचालित इकाइयों को 119.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। दीर्घकालीन साख संरचना की संस्थाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्हें सुदृढ बनाने के लिये सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई ऐतिहासिक पहल के लिए फेडरेशन तथा एससीएआरडी बैंक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

- (ii) एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस – भारत सरकार द्वारा गठित कपूर समिति (1999), वैद्यनाथन कार्यदल-II (2006) तथा अभी हाल में नाबार्ड के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित एआरडी बैंकों में सुधार पुर्नगठन तथा नवाचारों पर अध्ययन सहित सरकार द्वारा नियुक्त की गई अनेक समितियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को विवेकपूर्ण शर्तों के अधीन एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार करने तथा इसके लिए मानदण्ड तैयार करने की सिफारिश की। सहकारिता मंत्रालय (एमओसी) ने 06 दिसम्बर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, नेफकार्ड (एनएएफसीएआरडी) तथा गुजरात एससीएआरडी बैंक की संयुक्त बैठक आहूत की, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए अनुरोध किया गया, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए मानदण्ड तैयार करने के विषय पर विचार करने का वादा किया। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभीतक एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस देने की घोषणा नहीं की है।

- (iii) फसली ऋण ब्याज छूट योजना में एआरडी बैंकों को

- सम्मिलित किया जाना – दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना में दीर्घकालिक ऋणी सदस्यों के लिए फसली ऋण की सुविधा की अनुपलब्धता एक गम्भीर मुद्दा है जो उनकी आय तथा पुर्नभुगतान क्षमता को प्रभावित करता है। सहकारिता मंत्रालय ने पहले ही इस मुद्दे को कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के समक्ष उठाया है।
- (iv) नाबार्ड के दीर्घकालीन ग्रामीण ऋण कोष (एलटीआरसीएफ) की तरह एनसीडीसी के साथ दीर्घकालीन कोष की स्थापना की जाएगी, जिसकी स्थापना वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को दिए जाने वाले ऋणों में कमी को पूरा करने के लिए की गई है। इसमें एनसीडीसी को ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों को बाज़ार दर से अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण देने के लिए धन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
- (v) एआरडी बैंकों के जमा संचयन को जमा बीमा तथा ऋण गारण्टी निगम (डीआईसीजीसी) में सम्मिलित करना— यद्यपि एआरडी बैंको को सदस्यों के जमा संचयन के अन्तर्गत जमा राशियों तथा जनता से उनकी निवल सम्पत्ति तक सावधि जमा स्वीकारने की अनुमति है, लेकिन जमा राशियों के लिए बीमा कवरेज की कमी के कारण जमा संचयन जुटाने में अधिक प्रगति नहीं हुई है।
- (vi) एआरडी बैंकों को ट्रांस यूनियन सिबिल सदस्यता— वर्तमान में एआरडी बैंकों को ट्रांस यूनियन सिबिल सदस्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उनके पास भारतीय रिजर्व बैंक का लाइसेन्स नहीं है। फलस्वरूप, एआरडी बैंको वितरित ऋणों का क्रेडिट और पुर्नभुगतान इतिहास क्रेडिट रेटिंग कम्पनियों द्वारा दी गई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट में नहीं दिखाया

जाता है। परिणामस्वरूप, ऋणी सदस्य एआरडी बैंक के साथ अपना ऋण चुका बिना आसानी से अन्य एजेन्सियों से ऋण प्राप्त कर लेते हैं। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना में ऋण अदायगी में सुधार लाने तथा क्रेडिट रेटिंग कम्पनियों के क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट को अधिक विश्वसनीय और तथ्यात्मक बनाने के लिए ट्रांस यूनियन सिबिल तथा अन्य क्रेडिट रेटिंग कम्पनियों में एससीएआरडी बैंकों की सदस्यता आवश्यक है।

- (vii) एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन तथा नवोन्मेषों पर अध्ययन – सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड के कन्सलटेन्सी सर्विसेज (नैबकान्स) के माध्यम से एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन एवं नई प्रणालियों का एक अध्ययन कराया है। अध्ययन रिपोर्ट में इस क्षेत्र के सभी मुद्दों को विस्तार से सम्मिलित किया गया है तथा उनके समाधान के लिए संस्तुतियां की गई हैं। वर्तमान में, अध्ययन रिपोर्ट सहकारिता मंत्रालय के विचाराधीन है। सहकारिता मंत्रालय ने संस्तुतियों पर चर्चा करने के लिए (दिनांक 11 और 13 दिसम्बर 2023 तथा 21 मार्च 2024 को) तीन बैठके आमंत्रित की हैं। अध्ययन दल की संस्तुतियों को लागू करने के लिए समय सीमा के साथ कार्य योजना को यथा शीघ्र अंतिम रूप दिये जाने की आशा है।
- (viii) एआरडी बैंक, देश में सबसे पुरानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान कराने वाली संस्थायें हैं, जिनके पास कृषि अवसंरचना के वित्त पोषण में 100 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यद्यपि, कृषि अवसंरचना निधि योजना जो कृषकों को ब्याज छूट तथा ऋण गारण्टी सहायता का लाभ प्रदान करती है, एआरडी बैंकों को नहीं दी गई है। कृषि अवसंरचना निधि का कार्यक्षेत्र

एससीएआरडी बैंकों तक विस्तारित करने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं।

(ix) नाबार्ड की पुर्नवित्त नीतियों में सुधार – कम जोखिम वाली श्रेणी में आने वाले एससीएआरडी बैंकों के मामलों में भी पुर्नवित्त प्रदान करने के लिए 135% के बराबर शासकीय गारण्टी/बन्धक सावधि जमा की शर्त को माफ करना, पात्रता मानदण्डों को खड़ा करके एससीएआरडी बैंकों को पुर्नवित्त के वार्षिक आवंटन में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति को

उलटना, ऋणी सदस्यों की उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए प्रावधान करना, ग्रामीण परिवारों की विविध ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुर्नवित्त के लिए पात्र उद्येश्यों को व्यापक बनाना, कृषि ऋण में जोखिम को साझा करना आदि कृच्छ ऐसे सुधार हैं जिन्हें एआरडी बैंकों के सम्बन्ध में नाबार्ड की पुर्नवित्त नीतियों में बिना किसी देरी के किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान प्रमुख विकास गतिविधियों / घटनाओं की प्रमुखताएं

एससीएआरडी बैंकों की व्यवसायिक विकास योजनाएं

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान फेडरेशन ने एससीएआरडी बैंकों की व्यवसायिक विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जिसका उद्देश्य कम से कम कृषि ऋण की समग्र वृद्धि दर, जो लगभग 20 प्रति वर्ष है, के बराबर व्यावसायिक वृद्धि अर्जित करना है।

व्यवसाय विकास योजना अगले 5 वर्षों में 2027-28 तक वार्षिक लक्ष्य तथा 2032-33 से 2047-48 तक 5 वर्षीय तथ्यात्मक उपलब्धियों के लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं, जो ऋण देने, संसाधन जुटाने तथा गैर निष्पादित परिसम्पत्तियां (एनपीए) में कमी के प्रमुख परिचालन क्षेत्रों के लिए हैं। एससीएआरडी बैंकों के लिए व्यावसायिक अपेक्षाओं का सारांश नीचे दिया गया है।

व्यवसाय विकास योजना ऋण वितरण अनुमान

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | बैंक का नाम | वर्ष | दीर्घकालीन ऋण | | अल्प कालीन ऋण | | कुल वितरित ऋण |
|-------------|-------------|---------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | कृषि क्षेत्र | आवास ऋण सहित गैर-कृषि क्षेत्र | फसली ऋण | ऋण सीमा तथा अन्य | |
| 1 | गुजरात | 2022-23 | 215.82 | 59.71 | - | - | 275.53 |
| | | 2023-24 | 300.00 | 90.00 | 25.00 | 25.00 | 440.00 |
| | | 2024-25 | 400.00 | 125.00 | 40.00 | 50.00 | 615.00 |
| | | 2025-26 | 525.00 | 175.00 | 70.00 | 60.00 | 830.00 |
| | | 2026-27 | 675.00 | 250.00 | 120.00 | 70.00 | 1115.00 |
| | | 2027-28 | 850.00 | 325.00 | 200.00 | 80.00 | 1455.00 |
| 2 | हरियाणा | 2022-23 | 59.29 | 36.63 | - | - | 95.92 |
| | | 2023-24 | 75.00 | 50.00 | - | 10.00 | 135.00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|----------------|
| | | 2024-25 | 150.00 | 75.00 | 10.00 | 25.00 | 260.00 |
| | | 2025-26 | 250.00 | 125.00 | 25.00 | 50.00 | 450.00 |
| | | 2026-27 | 400.00 | 200.00 | 50.00 | 80.00 | 730.00 |
| | | 2027-28 | 550.00 | 250.00 | 80.00 | 120.00 | 1000.00 |
| 3 | हिमांचल प्रदेश | 2022-23 | 84.53 | 30.47 | - | - | 115.00 |
| | | 2023-24 | 110.00 | 50.00 | - | 10.00 | 170.00 |
| | | 2024-25 | 150.00 | 65.00 | 3.00 | 12.00 | 230.00 |
| | | 2025-26 | 200.00 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 300.00 |
| | | 2026-27 | 260.00 | 95.00 | 8.00 | 17.00 | 380.00 |
| | | 2027-28 | 340.00 | 110.00 | 10.00 | 25.00 | 485.00 |
| 4 | जम्मू एवं कश्मीर | 2022-23 | 1.71 | 5.04 | - | - | 6.75 |
| | | 2023-24 | 35.00 | 21.00 | 1.00 | 8.00 | 65.00 |
| | | 2024-25 | 45.00 | 25.00 | 1.50 | 13.50 | 85.00 |
| | | 2025-26 | 50.00 | 35.00 | 2.50 | 12.50 | 100.00 |
| | | 2026-27 | 55.00 | 38.00 | 4.00 | 18.00 | 115.00 |
| | | 2027-28 | 60.00 | 44.00 | 5.00 | 21.00 | 130.00 |
| 5 | कर्नाटक | 2022-23 | 295.68 | - | - | 7.50 | 303.18 |
| | | 2023-24 | 350.00 | 110.00 | 25.00 | 15.00 | 500.00 |
| | | 2024-25 | 450.00 | 150.00 | 75.00 | 25.00 | 700.00 |
| | | 2025-26 | 575.00 | 185.00 | 100.00 | 40.00 | 900.00 |
| | | 2026-27 | 700.00 | 200.00 | 135.00 | 65.00 | 1100.00 |
| | | 2027-28 | 800.00 | 250.00 | 160.00 | 90.00 | 1300.00 |
| 6 | केरल | 2022-23 | 780.96 | 1247.03 | - | 780.38 | 2808.37 |
| | | 2023-24 | 1100.00 | 1600.00 | 50.00 | 850.00 | 3600.00 |
| | | 2024-25 | 1300.00 | 1700.00 | 75.00 | 925.00 | 4000.00 |
| | | 2025-26 | 1450.00 | 1800.00 | 100.00 | 1050.00 | 4400.00 |
| | | 2026-27 | 1650.00 | 1900.00 | 150.00 | 1100.00 | 4800.00 |
| | | 2027-28 | 1850.00 | 2000.00 | 200.00 | 1150.00 | 5200.00 |
| 7 | पॉण्डिचेरी | 2022-23 | - | - | - | 39.57 | 39.57 |
| | | 2023-24 | - | - | - | 50.00 | 50.00 |
| | | 2024-25 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 110.00 |
| | | 2025-26 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 90.00 | 170.00 |
| | | 2026-27 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 220.00 |
| | | 2027-28 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 350.00 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| 8 | पंजाब | 2022-23 | 2.64 | 2.43 | - | - | 5.07 |
| | | 2023-24 | 300.00 | 20.00 | - | 10.00 | 330.00 |
| | | 2024-25 | 425.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 500.00 |
| | | 2025-26 | 570.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 700.00 |
| | | 2026-27 | 760.00 | 50.00 | 80.00 | 60.00 | 950.00 |
| | | 2027-28 | 1000.00 | 60.00 | 110.00 | 80.00 | 1250.00 |
| 9 | राजस्थान | 2022-23 | 144.81 | 12.18 | - | 0.15 | 157.14 |
| | | 2023-24 | 200.00 | 40.00 | 50.00 | 10.00 | 300.00 |
| | | 2024-25 | 250.00 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 450.00 |
| | | 2025-26 | 400.00 | 110.00 | 90.00 | 50.00 | 650.00 |
| | | 2026-27 | 490.00 | 230.00 | 100.00 | 80.00 | 900.00 |
| | | 2027-28 | 600.00 | 300.00 | 150.00 | 100.00 | 1150.00 |
| 10 | तमिलनाडू | 2022-23 | - | - | - | 1061.59 | 1061.59 |
| | | 2023-24 | 80.00 | 20.00 | - | 1200.00 | 1300.00 |
| | | 2024-25 | 120.00 | 50.00 | 10.00 | 1300.00 | 1480.00 |
| | | 2025-26 | 170.00 | 80.00 | 30.00 | 1400.00 | 1680.00 |
| | | 2026-27 | 250.00 | 120.00 | 60.00 | 1500.00 | 1930.00 |
| | | 2027-28 | 350.00 | 160.00 | 90.00 | 1600.00 | 2200.00 |
| 11 | त्रिपुरा | 2022-23 | - | - | - | - | - |
| | | 2023-24 | - | - | - | - | - |
| | | 2024-25 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| | | 2025-26 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| | | 2026-27 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 |
| | | 2027-28 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 210.00 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 2022-23 | 178.14 | 92.53 | - | 0.00 | 270.67 |
| | | 2023-24 | 360.00 | 170.00 | - | 20.00 | 550.00 |
| | | 2024-25 | 450.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 750.00 |
| | | 2025-26 | 540.00 | 250.00 | 75.00 | 85.00 | 950.00 |
| | | 2026-27 | 640.00 | 310.00 | 95.00 | 105.00 | 1150.00 |
| | | 2027-28 | 750.00 | 360.00 | 115.00 | 125.00 | 1350.00 |
| 13 | पश्चिम बंगाल | 2022-23 | 254.17 | 37.80 | - | - | 291.97 |
| | | 2023-24 | 340.00 | 85.00 | - | 25.00 | 450.00 |
| | | 2024-25 | 400.00 | 120.00 | 25.00 | 55.00 | 600.00 |
| | | 2025-26 | 470.00 | 190.00 | 55.00 | 85.00 | 800.00 |
| | | 2026-27 | 600.00 | 240.00 | 90.00 | 120.00 | 1050.00 |
| | | 2027-28 | 750.00 | 280.00 | 120.00 | 150.00 | 1300.00 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | महायोग | 2022-23 | 2017.75 | 1523.82 | - | 1889.19 | 5430.76 |
| | | 2023-24 | 3250.00 | 2256.00 | 151.00 | 2233.00 | 7890.00 |
| | | 2024-25 | 4170.00 | 2635.00 | 409.50 | 2590.50 | 9805.00 |
| | | 2025-26 | 5260.00 | 3100.00 | 632.50 | 2987.50 | 11980.00 |
| | | 2026-27 | 6590.00 | 3678.00 | 937.00 | 3345.00 | 14550.00 |
| | | 2027-28 | 8090.00 | 4229.00 | 1330.00 | 3731.00 | 17380.00 |

संसाधन संग्रहण, ऋण वसूली तथा गैर-निष्पादित राशियां (एनपीए)

(₹ करोड़ में)

| दशक | राज्य | वर्ष | नियमित ऋण वसूली, एनपीए | व्यतिरिक्त ऋण वसूली, एनपीए | वर्तमान | अग्रिम | उपलब्ध | वर्तमान ऋण वसूली |
|-----|------------------|---------|------------------------|----------------------------|---------|--------|--------|------------------|
| 1 | गुजरात | 2022-23 | 86.00 | - | 261.91 | 40.00 | 14.00 | 335.00 |
| | | 2023-24 | 195.00 | 20.00 | 290.00 | 45.00 | 13.00 | 300.00 |
| | | 2024-25 | 275.00 | 50.00 | 325.00 | 55.00 | 12.00 | 265.00 |
| | | 2025-26 | 350.00 | 90.00 | 375.00 | 65.00 | 11.00 | 230.00 |
| | | 2026-27 | 460.00 | 140.00 | 410.00 | 70.00 | 10.00 | 195.00 |
| | | 2027-28 | 570.00 | 180.00 | 450.00 | 75.00 | 9.00 | 150.00 |
| 2 | हरियाणा | 2022-23 | 0.00 | - | - | 10.22 | 76.57 | 2069.79 |
| | | 2023-24 | 60.00 | 20.00 | 50.00 | 12.50 | 72.00 | 1850.00 |
| | | 2024-25 | 120.00 | 30.00 | 70.00 | 20.00 | 69.00 | 1650.00 |
| | | 2025-26 | 185.00 | 50.00 | 100.00 | 35.00 | 50.00 | 1450.00 |
| | | 2026-27 | 300.00 | 80.00 | 140.00 | 50.00 | 45.00 | 1250.00 |
| | | 2027-28 | 430.00 | 120.00 | 200.00 | 60.00 | 40.00 | 1050.00 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 2022-23 | 84.88 | 0.00 | 143.73 | 41.88 | 39.00 | 169.10 |
| | | 2023-24 | 129.00 | 1.00 | 165.00 | 50.15 | 36.00 | 150.00 |
| | | 2024-25 | 185.00 | 5.00 | 190.00 | 55.94 | 33.00 | 130.00 |
| | | 2025-26 | 240.00 | 10.00 | 220.00 | 60.70 | 30.00 | 115.00 |
| | | 2026-27 | 305.00 | 15.00 | 255.00 | 64.84 | 27.00 | 100.00 |
| | | 2027-28 | 380.00 | 20.00 | 295.00 | 69.05 | 24.00 | 84.55 |
| 4 | जम्मू एवं कश्मीर | 2022-23 | 0.00 | 6.16 | 172.84 | 32.41 | 21.60 | 24.36 |
| | | 2023-24 | 60.00 | 15.00 | 200.00 | 35.00 | 20.00 | 22.23 |
| | | 2024-25 | 70.00 | 20.00 | 230.00 | 45.00 | 18.00 | 19.78 |
| | | 2025-26 | 80.00 | 25.00 | 265.00 | 55.00 | 16.00 | 16.50 |
| | | 2026-27 | 90.00 | 30.00 | 305.00 | 60.00 | 14.00 | 14.96 |
| | | 2027-28 | 100.00 | 35.00 | 350.00 | 65.00 | 12.00 | 13.56 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 5 | कर्नाटक | 2022-23 | 400.00 | 15.00 | 508.06 | 57.54 | 35.00 | 350.40 |
| | | 2023-24 | 450.00 | 30.00 | 520.00 | 52.00 | 32.00 | 310.00 |
| | | 2024-25 | 500.00 | 50.00 | 550.00 | 60.00 | 29.00 | 270.00 |
| | | 2025-26 | 550.00 | 70.00 | 580.00 | 65.00 | 26.00 | 230.00 |
| | | 2026-27 | 600.00 | 90.00 | 610.00 | 70.00 | 23.00 | 200.00 |
| | | 2027-28 | 650.00 | 100.00 | 650.00 | 75.00 | 20.00 | 175.00 |
| 6 | केरल | 2022-23 | 1401.54 | - | 438.41 | 63.53 | 8.25 | 1500.00 |
| | | 2023-24 | 1600.00 | 50.00 | 510.00 | 68.80 | 7.50 | 1350.00 |
| | | 2024-25 | 1800.00 | 100.00 | 590.00 | 73.48 | 7.00 | 1200.00 |
| | | 2025-26 | 2000.00 | 250.00 | 680.00 | 78.27 | 6.50 | 1050.00 |
| | | 2026-27 | 2150.00 | 220.00 | 790.00 | 84.12 | 6.00 | 900.00 |
| | | 2027-28 | 2350.00 | 300.00 | 910.00 | 89.69 | 5.00 | 750.00 |
| 7 | पॉण्डिचेरी | 2022-23 | - | - | 47.67 | 89.47 | 8.07 | 4.34 |
| | | 2023-24 | - | - | 50.00 | 90.00 | 7.00 | 4.00 |
| | | 2024-25 | 20.00 | 20.00 | 55.00 | 92.00 | 6.00 | 3.50 |
| | | 2025-26 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 94.00 | 5.00 | 3.00 |
| | | 2026-27 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 96.00 | 4.00 | 2.50 |
| | | 2027-28 | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 98.00 | 3.00 | 2.00 |
| 8 | पंजाब | 2022-23 | 21.37 | - | 180.51 | 13.56 | 58.85 | 2282.69 |
| | | 2023-24 | 250.00 | 10.00 | 200.00 | 25.00 | 52.00 | 2050.00 |
| | | 2024-25 | 360.00 | 20.00 | 250.00 | 35.00 | 47.00 | 1820.00 |
| | | 2025-26 | 500.00 | 40.00 | 300.00 | 45.00 | 42.00 | 1610.00 |
| | | 2026-27 | 600.00 | 60.00 | 350.00 | 55.00 | 37.00 | 1380.00 |
| | | 2027-28 | 730.00 | 70.00 | 400.00 | 65.00 | 32.00 | 1140.00 |
| 9 | राजस्थान | 2022-23 | 114.20 | 288.60 | 0.00 | 36.00 | 53.48 | 675.00 |
| | | 2023-24 | 250.00 | 300.00 | 1.00 | 38.00 | 50.00 | 625.00 |
| | | 2024-25 | 350.00 | 350.00 | 2.00 | 45.00 | 45.00 | 575.00 |
| | | 2025-26 | 450.00 | 400.00 | 3.00 | 50.00 | 40.00 | 500.00 |
| | | 2026-27 | 550.00 | 450.00 | 4.00 | 55.00 | 35.00 | 425.00 |
| | | 2027-28 | 650.00 | 500.00 | 5.00 | 60.00 | 30.00 | 350.00 |
| 10 | तमिलनाडु | 2022-23 | - | 1.15 | 317.87 | 94.10 | 11.54 | 78.22 |
| | | 2023-24 | 90.00 | 10.00 | 320.00 | 95.00 | 10.00 | 75.00 |
| | | 2024-25 | 180.00 | 20.00 | 350.00 | 96.00 | 9.00 | 60.00 |
| | | 2025-26 | 260.00 | 40.00 | 375.00 | 97.00 | 8.00 | 65.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| | | 2026-27 | 330.00 | 70.00 | 400.00 | 98.00 | 7.00 | 60.00 |
| | | 2027-28 | 400.00 | 100.00 | 425.00 | 99.00 | 5.00 | 55.00 |
| 11 | त्रिपुरा | 2022-23 | - | - | - | 12.89 | 98.29 | 7.71 |
| | | 2023-24 | - | - | - | 20.00 | 80.00 | 7.00 |
| | | 2024-25 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 70.00 | 6.00 |
| | | 2025-26 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 5.00 |
| | | 2026-27 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 50.00 | 4.00 |
| | | 2027-28 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 40.00 | 3.00 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 2022-23 | 255.58 | 50.09 | 14.07 | 31.00 | 81.50 | 1583.00 |
| | | 2023-24 | 450.00 | 200.00 | 25.00 | 33.00 | 70.00 | 1400.00 |
| | | 2024-25 | 575.00 | 225.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 1250.00 |
| | | 2025-26 | 700.00 | 250.00 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 1100.00 |
| | | 2026-27 | 820.00 | 280.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 950.00 |
| | | 2027-28 | 950.00 | 300.00 | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 790.00 |
| 13 | पश्चिम बंगाल | 2022-23 | 297.20 | 39.31 | 255.47 | 40.13 | 24.67 | 627.22 |
| | | 2023-24 | 400.00 | 50.00 | 300.00 | 42.50 | 23.00 | 550.00 |
| | | 2024-25 | 500.00 | 100.00 | 350.00 | 48.00 | 22.00 | 500.00 |
| | | 2025-26 | 600.00 | 150.00 | 400.00 | 55.00 | 21.00 | 430.00 |
| | | 2026-27 | 700.00 | 200.00 | 450.00 | 60.00 | 20.00 | 370.00 |
| | | 2027-28 | 900.00 | 250.00 | 500.00 | 65.00 | 19.00 | 320.00 |

व्यवसाय विकास योजनाओं के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं:-

- दीर्घकालीन ऋण वितरण में वर्ष-दर-वर्ष 20% की वृद्धि अर्जित करना।
- कृषको की आय और पुर्नभुगतान क्षमता बढ़ाने के लिए गैर-कृषि/कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण के लिये उत्प्रेरित करना।
- दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों को फसली ऋण उपलब्ध कराना। वर्तमान में, एआरडी बैंकों के अधिकांश ऋणी सदस्य अन्य एजेन्सियों से फसली ऋण प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी भूमि दीर्घकालीन ऋण की सुरक्षा के रूप में बैंक पक्ष में प्रतिभूत की गई है। यद्यपि एआरडी बैंक प्रत्यक्ष रूप

से मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) हेतु ऋण आवंटन तथा फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना के लिए पात्र नहीं हैं, फिर भी यह सम्भव है कि इन सुविधाओं को नाबार्ड द्वारा निर्धारित विशेष आवंटन के रूप में एससीबी/डीसीसीबी के माध्यम से प्रवाहित किया जा सकता है।

- फसली ऋण के अतिरिक्त उनकी अल्प अवधि के ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों को सामान्य ऋण सीमा प्रदान करना, ताकि ऋण के लिए अनौपचारिक स्त्रोतों पर उनकी निर्भरता को कम किया जा सके, जो एआरडी बैंकों में ऋण बकाये का एक प्रमुख कारण है।

- अकृषि क्षेत्र (एनएफएस) सहित एआरडी बैंकों द्वारा प्रदत्त कराये जाने वाली दीर्घकालीन ऋण सुविधा 2022-23 में 3540 करोड़ रुपए से बढ़ कर 2027-28 में 12319 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, तथा फसली ऋण अल्पकालिक ऋण 2022-23 में 1889 करोड़ रुपए से बढ़ कर 2027-28 में 5061 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। एआरडी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले वर्षभर के कुल ऋण 2022-23 में 5430.76 करोड़ रुपए से बढ़कर 2027-28 में 17,380 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।
- 'अमृत काल' के दौरान एससीएआरडी बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष वितरित ऋण 2027-28 में 17,380 करोड़ रुपए से बढ़कर 2047-48 में 2,94,080 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
- उर्पयुक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष ऋण वितरण के लिए आवश्यक धनराशि का लगभग 60% उधार के माध्यम से तथा लगभग 20% जमा संचयन से तथा अवशेष राशि को निजी कोषों के पुर्नरावर्तन करके पूरा किया जाए।

सदस्य बैंकों को फेडरेशन द्वारा पहले से ही निर्गत दिशा निर्देशों के आधार पर व्यवसाय विकास योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करना आवश्यक हैं।

फेडरेशन ने व्यवसाय विकास योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एससीएआरडी बैंकों को वित्त पोषण तथा नीतिगत समर्थन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु व्यवसाय विकास योजना को सरकार और नाबार्ड के पास भेज दिया है।

‘सूचना प्रौद्योगिकी के संरक्षणात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने’ की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत एआरडी बैंकों का कम्प्यूट्रीकरण।

एआरडी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में भारत सरकार द्वारा एआरडी बैंकों के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने की सिफारिश की गई। उपरोक्त सिफारिश के आधार पर, केन्द्र द्वारा एआरडी बैंकों में कम्प्यूट्रीकरण के लिए प्रायोजित योजना के वर्तमान में क्रियान्वयन किए जाने के अनुरूप फेडरेशन ने सहकारिता मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सहकारिता मंत्रालय ने प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा नाबार्ड और फेडरेशन के साथ तीन संयुक्त बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें निम्नांकित निर्णय लिए गये:-

- एआरडी बैंकों का कम्प्यूट्रीकरण एक सामान्य साफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए विकसित किए गये सामान्य साफ्टवेयर में एआरडीबी द्वारा किए जाने वाले सभी ऋण और गैर-ऋण संचालन तथा ऋण, जमा संचयन, निवेश तथा सम्बन्धित कार्यों के लिए आवश्यक माड्यूल भी सम्मिलित हैं। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए विकसित किए गए सामान्य साफ्टवेयर को तदनु रूप उपयोगी बना कर एआरडी बैंक को भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के साझा साफ्टवेयर को अपनाने से भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर साफ्टवेयर में बदलाव करना भी सरल हो जायेगा, क्योंकि भारत सरकार के पास इसका स्रोत कोड (संकेत – शब्दावली) है जिसे नाबार्ड के पास रखा गया है। एआरडी बैंकों को पहले 5 वर्षों

- के लिए डेटा सेण्टर तथा सॉफ्टवेयर रखरखाव सहित हैण्ड होल्डिंग सहायता भी दी जायेगी।
- (ii) नाबार्ड कार्यान्वयन एजेन्सी होगी।
- (iii) 13 पूर्णतः कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों के नेटवर्क में 1851 इकाइयां (जिनमें 1712 प्राथमिक फुटकर इकाइयां, एससीएआरडी बैंकों की 619 शाखाएं, 606 पीसीएआरडी बैंकों की 487 शाखाएं, 126 पर्यवेक्षी इकाइयां तथा 13 मुख्यालय सम्मिलित हैं), के कम्प्यूट्रीकरण पर विचार किया जाएगा।
- (iv) कम्प्यूट्रीकरण योजना में सम्मिलित घटक तथा अनुमोदित इकाई लागत निम्नवत है:-
- (अ) हार्डवेयर तथा सह उपकरण : ₹1,22,158
- (ब) डिजिलिटीकरण तथा अवलम्बन प्रणाली : ₹1,86,910
- (स) सॉफ्टवेयर और डेटा सेण्टर का अनुकूलन : ₹72,103
- (द) प्रशिक्षण : ₹10,198
- (ई) प्रशासनिक शुल्क तथा आकस्मिकता (योग) : ₹1.46 करोड़
- (v) हार्डवेयर एवं सहायक उपकरण तथा डिजिलिटीकरण (उपर अंकित मद अ और ब) की लागत केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित एआरडी बैंक के मध्य क्रमशः 45:30:25 के अनुपात में साझा की जाएगी। अन्य सभी लागतें (मद स, द और ई) केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- (vi) विभिन्न स्तरों पर हार्डवेयर एवं सहायक उपकरणों की आवश्यकता का अनुमान अनन्तिम रूप से नीचे दिया गया है।
- 1) फुटकर इकाइया, (एससीएआरडी बैंक की शाखाएं/पीसीएआरडी बैंक/पीसीएआरडी बैंक की शाखाएं) : 2 प्रत्येकी

- 2) पर्यवेक्षीय इकाइयां : 3 प्रत्येकी
- 3) प्रधान कार्यालय (औसत) : 25 प्रत्येकी

मुख्यालय के लिए वास्तविक पात्रता व्यवसाय की मात्रा तथा औसत दैनिक लेनदेन पर आधारित होगी।

उर्पयुक्त निर्णयों के आधार पर फेडरेशन ने संशोधित प्रस्ताव दिनांक 9 जून 2023 को नाबार्ड के समक्ष प्रस्तुत किया।

सहकारिता मंत्रालय ने "प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप से सहकारिता को सुदृढ़ करने" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एआरडी बैंकों में कम्प्यूट्रीकरण किये जाने की योजना का अनुमोदन 6 अक्टूबर 2023 को कर दिया तथा दिनांक 16 नवम्बर 2023 को योजना के क्रियान्वयन के लिये विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए।

इस योजना में जीएसटी सहित 119.40 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से 13 पूर्णतः कार्यशील एससीएआरडी बैंकों की 1851 कार्यरत इकाइयों के कम्प्यूट्रीकरण किये जाना निर्धारित किया गया।

इस योजना के निम्नांकित घटक हैं :-

- 1) हार्डवेयर तथा उपकरण (4127 इकाइयां) - ₹63.06 करोड़
- 2) 1851 इकाइयों का डिजिलिटीकरण - ₹24.03 करोड़
- 3) समर्थन प्रणालियां (1851 कार्यशील इकाइयां) - ₹16.80 करोड़
- 4) सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा तथा डेटा सेण्टर का अनुकूलन - ₹15.51 करोड़

नमूनों को साझा करना

कुल 119.40 करोड़ रुपए की लागत में से सॉफ्टवेयर अनुकूलन, साइबर सुरक्षा तथा डेटा सेण्टर के लिए अनुकूलन 15.51 करोड़ रुपए पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। नमूनों को साझाकरण के अनुसार, 103.89 करोड़ रुपए की शेष लागत का 25%, जो 25.97

करोड़ रुपए है, एआरडी बैंकों द्वारा वहन किया जाना है तथा शेष 77.92 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य, 60:40 पहाड़ी राज्यों में, 90:10 अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 80:20 के

अनुपात में साझा की जाएगी। कुल लागत का राज्यवार विवरण तथा एआरडी बैंकों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा लागत का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है।

एआरडी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण-संशोधित लागत अनुमान (जैसा मंत्रालय ने अनुमादित किया)

(₹ लाखों में)

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | इकाई लागत के घटक | | | | | | जीएसटी सहित कम्प्यूटरीकरण की कुल लागत जो एआरडी बैंक, केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा (सॉफ्टवेयर अनुकूलन, के अतिरिक्त) साझा होगी | एआरडी बैंकों का हिस्सा (कुल लागत का 25%) | अवशेष धनराशि जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाएगी | केन्द्र सरकार का भाग (60%/80% /90% जो लागू हो।) | राज्य सरकार का भाग (40%/20% /10% जो लागू हो।) |
|---------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|--|---|---|
| | | हार्डवेयर व उपकरण स्विकृत इकाइयाँ @₹152798/इकाई | | कार्यशील 1851 इकाइयों का डिजिटलीकरण @₹129821/इकाई | | कार्यशील 1851 इकाइयों के लिये समर्थन प्रणाली @₹90762/इकाई | | | | | | |
| | | स्वीकृत इकाइयाँ | लागत | कार्यशील इकाइयाँ | लागत | कार्यशील इकाइयाँ | लागत | | | | | |
| 1. | गुजरात | 440 | 672.31 | 195 | 253.15 | 195 | 176.99 | 1102.45 | 275.61 | 826.84 | 496.10 | 330.73 |
| 2. | हरियाणा | 203 | 310.18 | 90 | 116.84 | 90 | 81.69 | 508.70 | 127.18 | 381.53 | 228.92 | 152.61 |
| 3. | हिमांचल प्रदेश | 202 | 308.65 | 88 | 114.24 | 88 | 79.87 | 502.77 | 125.69 | 377.07 | 226.24 | 150.83 |
| 4. | जम्मू कश्मीर | 115 | 175.72 | 51 | 66.21 | 51 | 46.29 | 288.22 | 72.05 | 216.16 | 172.93 | 43.23 |
| 5. | कर्नाटक | 467 | 713.57 | 207 | 268.73 | 207 | 187.88 | 1170.17 | 292.54 | 877.63 | 526.58 | 351.05 |
| 6. | केरल | 559 | 854.14 | 255 | 331.04 | 255 | 231.44 | 1416.63 | 354.16 | 1062.47 | 637.48 | 424.99 |
| 7. | पॉण्डिचेरी | 17 | 25.98 | 2 | 2.60 | 2 | 1.82 | 30.39 | 7.60 | 22.79 | 18.23 | 4.56 |
| 8. | पंजाब | 272 | 415.61 | 113 | 146.70 | 113 | 102.56 | 664.87 | 166.22 | 498.65 | 299.19 | 199.46 |
| 9. | राजस्थान | 351 | 536.32 | 163 | 211.61 | 163 | 147.94 | 895.87 | 223.97 | 671.90 | 403.14 | 268.76 |
| 10. | तमिलनाडु | 432 | 660.09 | 200 | 259.64 | 200 | 181.52 | 1101.25 | 275.31 | 825.94 | 495.56 | 330.38 |
| 11. | त्रिपुरा | 15 | 22.92 | 6 | 7.79 | 6 | 5.45 | 36.15 | 9.04 | 27.12 | 24.40 | 2.71 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 740 | 1130.71 | 342 | 443.99 | 342 | 310.41 | 1885.10 | 471.27 | 1413.82 | 848.29 | 565.53 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 314 | 479.79 | 139 | 180.45 | 139 | 126.16 | 786.40 | 196.60 | 589.80 | 353.88 | 235.92 |
| योग (1से 13) | | 4127 | 6305.97 | 1851 | 2402.99 | 1851 | 1680.00 | 10388.96 | 2597.24 | 7791.72 | 4730.96 | 3060.76 |

दिशा निर्देशों के प्रमुख बिन्दु नीचे दिए गये हैं:

नाबार्ड इस योजना को तीन वर्षों की अवधि में क्रियान्वित करेगा, जिसमें योजना के संचालन के बाद दो वर्षों तक सहायता और सहयोग मिलते रहना सम्मिलित है।

एआरडी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के राष्ट्रीय साफ्टवेयर के अनुकूलित संस्करण का उपयोग किया जाएगा।

योजना के हार्डवेयर घटक में पीसीएआरडी बैंक और उनकी शाखाओं के लिए दो कम्प्यूटर सिस्टम तथा पर्यवेक्षी इकाइयों के लिए तीन कम्प्यूटर सिस्टम एवं प्रधान कार्यालयों के लिए औसतन 25 कम्प्यूटर सिस्टम होंगे, वास्तविक संख्या व्यवसाय के परिणाम पर निर्भर करेगी।

राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार के ई पोर्टल (जी ईएम पोर्टल) के माध्यम से परियोजनाओं के लिए हार्डवेयर क्रय करेंगे।

नाबार्ड, पीएसीएस परियोजना के कम्प्यूट्रीकरण के लिए पहले से गठित राष्ट्रीय स्तर की उपश्रवण एवं क्रियान्वयन समिति (एनएलएमआईसी) के मार्गदर्शन एवं निर्देशों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर परियोजना को क्रियान्वित करेगा।

इस उद्देश्य के लिए सहकारिता मंत्रालय अधिकारियों का एक अंतरंग समूह गठित करेगा, जिसे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) के कम्प्यूट्रीकरण के लिए बनाई गई वर्तमान परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। नाबार्ड भारत सरकार की ओर से सामान्य रूप से सुलभ सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, डाटा-डिपॉज़िटरी और सॉफ्टवेयर पर सृजन/समाहित किए गये सभी वित्तीय एवं व्यक्तिगत डेटा के संरक्षक के रूप में भी कार्य करेगा।

परियोजना के पूरा होने के बाद, नाबार्ड राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके प्रणाली का प्रबन्धन करेगा तथा इसके स्थाइत्व के लिए उत्तरदाई होगा।

कोई भी पीसीएआरडी बैंक, एससीएआरडीबैंक, उसकी शाखाएं, पर्यवेक्षी इकाइयां तथा मुख्यालय, जिन्होंने एआरडी बैंक परियोजना के कम्प्यूट्रीकरण से पहले स्वयं कम्प्यूट्रीकरण का कार्य किया है, इस शर्त पर वे हार्डवेयर घटक के लिए प्रति परिचालन इकाई 50,000 रुपए की दर से प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, कि उन्होंने परियोजना के लिए विकसित किए जा रहे सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर को अपनाया है।

परियोजना में सम्मिलित विभिन्न एजेन्सियों की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-

सहकारिता मंत्रालय

ए. एनएलएमआईसी की बैठकों को आमंत्रित करना।

बी. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देशों को रूपान्तरित करना।

सी. अनुश्रवण एवं समीक्षा सहित समग्र परियोजना को क्रियान्वयन को संचालित करना।

डी. विद्यमान दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के भाग को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निर्गत करना।

ई. यदि आवश्यक हो तो परियोजना के समग्र बजट परिव्यय के अन्दर परियोजना के घटक के लिए निधियों के विनियोजन पर विचार करना और उसे अधिकृत करना।

एफ. केन्द्रीय पीएमयू की स्थापना करना।

नाबार्ड

ए. राष्ट्रीय स्तर की अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति तथा सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर एआरडी बैंकों के कम्प्यूट्रीकरण परियोजना के लिए योजना को कार्यान्वित करना तथा प्रबन्धक के रूप में कार्य करना।

बी. इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, कम्प्यूट्रीकरण परियोजना के लिए गठित अधिकारियों के विद्यमान अंतरंग समूह का उपयोग करना, जिसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पेशेवर एवं विशेषज्ञों द्वारा संचालित वर्तमान परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

सी. पहले से विकसित सॉफ्टवेयर को अनुकूलित करने के लिए, नाबार्ड एनएल – एसपीवी के साथ एक समझौता कर सकता है।

डी. एससीएआरडी बैंक, पीसीएआरडी बैंक तथा एसआईएस कामिकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करना तथा सॉफ्टवेयर उपयोग और हार्डवेयर रख-रखाव का प्रशिक्षण देना।

ई. एनएलएसपीवी, पीएमयू आदि को भूगतान करने के लिए निधियों का उपयोग करना।

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबीएस)

ए. इस परियोजना के लिए बैंक के अन्दर सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षित प्रशिक्षकों से युक्त एक समर्पित एआरडी बैंक कम्प्यूटरीकरण प्रकोष्ठ का गठन करना।

बी. पीसीएआरडीबी तथा एसएलआईएमसी के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाना।

सी. एआरडीबैंक की सम्बन्धित इकाइयों से उनकी ओर से एसआई या किसी अन्य हितधारकों के साथ समझौते करने के लिए अधिकार प्राप्त करना।

डी. परियोजना की समग्र समय सीमा के अन्दर परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अन्य कार्य करना।

प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबीएस)

ए. एससीएआरडी बैंक को प्राधिकरण पत्र निर्गत करना, जिससे एससीएआरडी बैंक को इस परियोजना के लिए अपनी ओर से समझौता करने के लिए अधिकृत किया जा सके।

बी. ऑनसाइट डेटा तथा आधारभूत संरचना की तैयारी सुनिश्चित करना।

सी. स्थानान्तरगमन के उपरान्त साफ्टवेयर का नियमित उपयोग करना।

डी. परियोजना के अन्तर्गत प्रदान की गई अपेक्षित सहायता का पूर्ण लाभ उठाना।

ई. यदि एआरडीबैंक ऑफ लाइनमोड पर काम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय डेटा संग्रह कोष में डेटा का नियमित हस्तान्तरण सुनिश्चित करना।

एफ. एसआई द्वारा सुझाये गये चरणों का पालन करके सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण की शुद्धता बनाये रखना सुनिश्चित करना।

जी. परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न किसी भी समस्या की सूचना देना, जिसका समाधान एससीएआरडी बैंकों द्वारा किया जाएगा।

एच. एसआई के साथ निकटता से सम्बन्ध बनाये रख कर यह सुनिश्चित करना कि एआरडी बैंकों और खातों की सभी गतिविधियों को समुचित रूप से अभिग्रहीत किया जा रहा है।

एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन तथा नवोन्मेश पर अध्ययन

एआरडी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की संस्तुतियों के आधार पर, सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड के नाबकान्स के माध्यम से एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन तथा नवोन्मेश पर अध्ययन आरम्भ किया है। यह अध्ययन नाबकान्स द्वारा श्री ए. के. श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित दल द्वारा किया गया था। अध्ययन दल ने एआरडी बैंको की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए फेडरेशन तथा अनेक राज्यों के एससीएआरडी बैंकों एवं पीसीएआरडी बैंको का भ्रमण किया तथा अपना आख्या प्रालेख सरकार के समक्ष हाल ही में प्रस्तुत किया है।

अध्ययन दल के आख्या प्रालेख में निम्नांकित महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गई हैं।

व्यवसाय विस्तार

सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है अथवा एक आदर्श एआरडी बैंक अधिनियम को अपनाकर ऋण के प्रयोजनों, ऋण की अवधि, आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत अधिकतम उधार लेने की क्षमता बढ़ाने, ऋण की अधिकतम सीमा, अन्य बैंकों की भांति ऋण के लिए गैर भूमि प्रतिभूति स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध को हटाया जा सकता है।

एससीएआरडी बैंकों को ऋण तथा जमा संचयन पर ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता।

कृषि भूमि को बंधक किये जाने को लागू करने में कठिनाई को देखते हुए, एआरडी बैंक को, जैसा कि अन्य बैंकों में किया जाता है, अन्य प्रकार की प्रतिभूति जैसे सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार, बीमा पालिसियों को बन्धक रखना, स्वर्ण आभूषण, तीसरे पक्ष की गारण्टी, परिसम्पत्तियों को बन्धक बनाना, समूह ऋण के माध्यम से वसूली का लाभ उठाना आदि अन्य प्रकार की प्रतिभूति स्वीकार करनी चाहिए।

राज्य स्तर पर ऋण गारण्टी योजना या भारत सरकार माध्यम से एससीएआरडी बैंक और सदस्यों से वित्तीय सहायता के साथ नेफकार्ड द्वारा एलटीसीसीएस के लिए जोखिम निधि की स्थापना करके ऋण जोखिम को दूर करने के लिए उपाय किये जाएंगे।

गैर-निधि आधारित व्यवसाय

एआरडी बैंकों के अधिनियम/उपनियमों में सामान्य सेवा केन्द्र, विपणन केन्द्र, भण्डारण, कस्टम हायरिंग केन्द्र, सुरक्षित जमा लॉकर्स आदि जैसी गैर-ऋण सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम प्राविधान किए जाएंगे।

एससीएआरडी बैंकों को नाबार्ड से अनुदान सहायता प्राप्त कर व्यवसाय योजना तथा ऋण वसूली प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए।

एआरडी बैंकों को मूल्य श्रृंखला वित्तीय पोषण का कार्य करना चाहिए तथा कृषि अवसंरचना निधि के क्रियान्वयन के लिए भी उन्हें पात्र बनाया जाना चाहिए। इसके लिए नेफकार्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

एआरडी बैंकों को व्यवसाय अभिकर्ताओं/एजेण्टों के

माध्यम से व्यवसाय विस्तार तथा पहुँच के लिए नीति विकसित करनी चाहिए।

नेटवर्क विस्तार तथा सुव्यवस्थीकरण के माध्यम से नवोन्मेष, कम लागत वाले सम्पर्क माध्यम प्रारम्भ करना आदि।

पारस्परिक लाभ के लिए एलटीएससीसीएस और एसटीसीसीएस के मध्य समन्वय। नेफकार्ड इसके लिये अग्रणी भूमिका निभाएगा।

ऋण वितरण के स्रोत जमाराशि, निवेश तथा बैंकिंग लाइसेन्स

एससीएआरडी बैंकों को केवाईसी मानदण्डों को स्वीकार करना होगा, पर्याप्त मात्रा में तरल निधि बनाये रखना होगा, राज्य सरकारों को बीयूडीएस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एआरडी बैंक की जमा संचयन योजनाओं को अनुमति देनी होगी, राज्य स्तर पर जमा बीमा योजना की स्थापना करके या डीआईसीजीसी द्वारा जमा बीमा के कवरेज का विस्तार करके जमा की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी होगी।

नेफकार्ड अन्य हितधारकों के सहयोग से जमा राशियों की गारण्टी सहित एक संस्थागत संरक्षण प्रणाली तैयार करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक विवेकपूर्ण शर्तों के अधीन एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स देने के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

एससीएआरडी बैंक को डेट म्यूचुअल फण्ड तथा मनी म्यूचुअल फण्ड में निवेश की अनुमति मिलनी चाहिए।

नाबार्ड से पुनर्वित्त

एआरडी बैंकों को एलटीआरसीएफ के अन्तर्गत कम ब्याज दर पर पृथक आवंटन किया जाना चाहिए तथा

पूरे वर्ष के दौरान उसके आहरण की अनुमति दी जानी चाहिए।

नाबार्ड को शासकीय गारण्टी पर जोर दिए बिना वित्तीय दृढ़ता के आधार पर पुनर्वित्त प्रदान करने में अन्य उपयुक्त संस्थानों के समान व्यवहार करना चाहिए।

एनआरसी (एलटीओ) फण्ड में योगदान के माध्यम से नाबार्ड की लागत मुक्त निधि में वृद्धि करना।

अन्य संस्तुतियां

वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिये एससीएआरडी बैंकों वित्त पोषित करने पर विचार करेंगे।

एससीएआरडी बैंकों को बाज़ार से ऋण लेने में सक्षम बनाने के लिए स्वतंत्र रेटिंग एजेन्सियों के माध्यम से अपनी रेटिंग करानी होगी।

बहुराज्यीय एआरडी बैंक का सृजन-एससीएआरडी बैंक को बहुराज्यीय बैंक में परिवर्तित करने पर केवल प्रस्तावित नई इकाई की वित्तीय व्यवहार्यता के अधीन विचार किया जा सकेगा।

एक समान लेखा मानक

एससीएआरडी बैंकों को एक समान लेखा मानकों का पालन करना होगा।

एआरडी बैंकों की संरचना

व्यवहार्यता के आधार पर नेटवर्क (एसएआरडी बैंक/पीसीएआरडी बैंक की शाखाओं) का युक्तिकरण।

विभिन्न राज्यों में विद्यमान संरचनात्मक स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

तथापि, एसीएआरडी बैंक को वैधानिक पर्यवेक्षी शक्तियों के माध्यम से पीसीएआरडी बैंक के क्रिया कलापों पर बेहतर नियंत्रण रखना होगा।

मानव संसाधन, शासन एवं प्रबन्धन

वर्तमान व्यवसाय की मात्रा और उभरते अवसरों तथा व्यवसाय विस्तार की योजनाओं के आधार पर सभी स्तरों पर आवश्यक जनशक्ति का आकलन।

आईबीपीएस, लोकसेवा आयोग जैसी व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी लिपिक सवर्ग में भरती।

बोर्ड के सदस्यों, कर्मचारियों के साथ साथ सदस्यों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रस्तावित सहकारी विश्वविद्यालय में एलटीसीसीएस से संबंधित पाठ्यक्रमों सहित एआरडीबी अधिकारियों के लिए एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करना, ताकि कर्मचारियों को स्वयं के खर्च पर प्रशिक्षण शिक्षा के माध्यम से प्रासंगिक अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

राज्य सरकार को परिचालन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना है।

निम्नांकित को सुगम बनाने हेतु अधिनियम में संशोधन:-

- नाबार्ड के परिचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना, निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदण्ड, निदेशक मण्डल में पेशेवर निदेशको का मनोनयन, पेशेवर रूप से योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति, प्रबन्धन मण्डल को नीतियां बनाने में सहायता के लिए निदेशक मण्डल के अधीन प्रबन्धन बोर्ड का गठन करना।

स्वीकार्यता एवं कार्य के समान अवसर

एससीएआरडीबैंकों को ट्रान्स यूनियन सिबिल की सदस्यता प्रदान कराई जा सकती है।

एससीएआरडी बैंकों को निर्धारित मानदण्डों के अधीन सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (सीजीटीएमएसई), आवास (एनएचबी), सूक्ष्म इकाइयों (एनसीटीजीसी) तथा एफपीओ जैसी ऋण गारण्टी योजनाओं की सदस्यता प्रदान कर दी जानी चाहिए।

सरकार की फसल ऋण ब्याज माफी योजना का कार्य क्षेत्र एआरडी बैंकों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

एससीएआरडी बैंक को भारत सरकारी की विभिन्न ऋणों पर अनुदान वाली योजनाओं को लागू करने वाले बैंको की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

राज्य अधिनियम के अधीन ऋण वसूली की शक्तियां जिस प्रकार राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला सहकारी बैंकों को प्रदान की गई है उसी तरह गुजरात एससीएआरडी बैंक को भी प्रदान कराई जानी चाहिए।

नाबार्ड को एससीएआरडी बैंकों का नियामक प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में एआरडी बैंकों को भी जोड़ा जाय।

पुनर्भुगतान / ऋण वसूली

राज्य सरकार को भूमि की एक न्यूनतम सीमा तय करके, जिसे प्रवर्तन की परिधि से बाहर रखा जा सकता हो, एआरडी बैंको द्वारा सुरक्षा के रूप में ली गई भूमि के बन्धक की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए साथ ही ऋण वसूली उपायों के लिए विभागीय सहयोग सुनिश्चित कर,

सरकार को उस भूमि पर अधिपत्य स्थापित कर लेना चाहिए जिसका उपयोग सार्वजनिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया जा सकता है।

कृषकों की ऋण सहायता संवर्धन हेतु ऋण वसूली के समर्थन में वक्तव्य जारी करने के लिए राजनैतिक नेतृत्व को सम्वेदनशील बनाया जाना चाहिए।

नैफकार्ड ऋण वितरण एवं वसूली के लिए आदर्श नीतियां/आलेख निर्गत करेगा, ऋण मूल्यांकन तथा अनुवर्ती कार्यवाही में सुधार के लिए तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा ऋण सदुपयोगिता तथा पुनर्भुगतान के बारे में ऋणी सदस्यों को जागरुक करेगा।

एससीएआरडी बैंकों को ऋण की महत्वपूर्ण शर्तों तथा नियमों को प्रसारित करने सहित ऋण दाताओं के साथ निष्पक्ष कार्यशैली संहिता का पालन करना होगा।

एससीएआरडी बैंकों को नैफकार्ड द्वारा निर्धारित आदर्श ऋण वसूली नीति का पालन करना होगा।

एससीएआरडी बैंकों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रारम्भ करने तथा ऋणी सदस्यों के साथ सम्पर्क की आवृत्ति में सुधार करने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

राज्य सरकार एससीएआरडी बैंकों/पीसीएआरडी बैंकों को सरकारी खरीद एजेन्सी का कार्य सौंपेगी जिससे ऋण वसूली में सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार कृषि में पूँजी निर्माण के महत्व को देखते हुए शीघ्र पुनर्भुगतान के लिये प्रोत्साहन की योजना प्रारम्भ करेगी।

राज्य सरकार दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट तथा ऋण राहत की प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न बकाया राशि का भुगतान कर सकती है।

जवाबदेही

एससीएआरडीबैंकों/पीसीएआरडीबैंकों के बोर्ड के चुनावों को स्थगित या विलम्बित नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों को एससीएआरडी बैंकों के नित्य के प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

राज्य सरकारें वर्तमान में शासकीय अधिकारियों के पास निहित शक्तियों जैसे विक्रय शक्तियों को बैंक के अधिकारियों को हस्तान्तरित करेगी तथा बैंक पर वित्तीय भार डालने वाले सरकारी अधिकारियों को बैंक में प्रतिनियुक्त कराने से बचेगी।

राज्य सरकारें एससीएआरडी बैंकों में न्यूनतम अंश धारिता सुनिश्चित करेंगी।

राज्य सरकारें तथा भारत सरकार इस क्षेत्र में सुधार पहल का नेतृत्व करेंगी।

नैफकार्ड अध्ययन दल के व्यापक सुझावों के आधार पर आदर्श एआरडी बैंक अधिनियम तैयार करेगा।

प्रौद्योगिकी

एआरडी बैंक के कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक योजना को भारत सरकार/नाबार्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित किया जा सकता है।

नवप्रवर्तन

नैफकार्ड हितधारकों के मध्य साझा करने के लिए नियमित आधार पर प्राथमिक स्तर पर नई पहलों तथा अच्छे तरीकों के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रणाली विकसित करेगी।

वित्तीय पैकेज

प्रस्तावना

अध्ययन दल द्वारा विश्लेषित भविष्य का परिदृश्य

विकल्प- I। पूर्ण विकसित बैंक बनने पर

अध्ययन दल ने इसे सर्वोत्तम विकल्प बताया है तथा कहा है कि इससे दो राज्य स्तरीय बैंकिंग सहकारी समितियां अस्तित्व में आएंगी, जिससे ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में जीवंतता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा बेहतर कुशल सेवाएं मिलेंगी।

विकल्प- II- दो संरचनाओं को एकीकरण

अध्ययन दल ने व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए इस विकल्प का समर्थन नहीं किया।

विकल्प- III

अपने दीर्घ कालिक कार्यशैली एवं अनुभव के साथ, दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) कृषि, विशेषरूप से लघु एवं सीमान्त किसानों की दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकरण है।

तथापि, इसके लिए वित्तीय पैकेज को लागू करके संरचना को वित्तीय रूप से सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन दल द्वारा अनुशासित वित्तीय पैकेज-

व्यापक दृष्टिकोण एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त

एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंक दोनों के लिए वित्तीय स्वास्थ्य की स्वीकार्यता लाने के लिए पैकेज।

संरचना को वित्तीय रूप से संवहनीय बनाने के लिए पैकेज को प्रभावी बनाने हेतु उदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

पीसीएआरडी बैंक को दीर्घकालीन वित्तपोषण की पारम्परिक भूमिका को आगे बढ़ाते हुए बेहतर स्वीकार्यता के लिए ऋण उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जैसा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा व्यवसाय विविधीकरण के मामलों में किया जाता है।

पीसीएआरडी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां आधार स्तर पर पूरक भूमिका निभाएंगे। पीसीएआरडी बैंकों के पुनरुद्धार से ग्रामीण ऋण में संस्थागत अंतर को भरा जा सकेगा।

राजनैकित दलों और राज्य सरकारों की नीतियों के कारण भूमि पर बन्धन के प्रवर्तन के माध्यम से ऋण वसूली कर पाना लगभग असम्भव होगया हैं।

पूर्वशर्तें

सभी हितधारकों, विशेषकर राज्य सरकारों को वित्तीय पैकेज के अन्तर्गत सहायता के लिए पूर्व शर्तों के रूप में अध्ययन दल द्वारा अनुशांसित संरचना तथा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों पर सहमत होना चाहिए।

वित्तीय पैकेज के प्रमुख पहलू

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना वित्तीय व्यवस्था का एक मात्र ऐसा प्रभाग है, जिस पर सरकार द्वारा अबतक वित्तीय पैकेज के लिए विचार नहीं किया गया था। यद्यपि सरकार ने २००८-०९ के केन्द्रीय बजट में वैद्यनाथन कार्यदल-११ द्वारा अनुशांसित दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए वित्तीय पैकेज के क्रियान्वयन की घोषणा की थी, लेकिन अंततः इसे भी लागू नहीं किया गया। पुनरुद्धार

पैकेज को लागू करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप और अधिक हानि हुई, इसलिए अध्ययन दल वर्तमान स्थिति के आधार पर अपनी संस्तुति करता है।

उपयुक्त संस्थान और मानदण्ड

१६ एससीएआरडी बैंकों में से ३ एससीएआरडी बैंक (आसाम, बिहार – (बहुराज्यीय) तथा उड़ीसा) पूर्णतः कार्यशील नहीं हैं तथा लम्बे समय से निष्क्रिय हैं। इसलिए अध्ययन दल इन राज्यों के लिए कोई सुसंगत पुनरुद्धार नहीं मानता है तथा इन पर निर्णय लेने का कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकारों पर छोड़ता है।

इसी प्रकार, अध्ययन दल ने जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा तथा पाण्डिचेरी के एससीएआरडी बैंकों पुनर्जीवित करने का निर्णय भारत सरकार तथा राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है, क्योंकि इनमें बकाया ऋणों का स्तर कम है, संचित घाटा है, गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों का हिस्सा अधिक है, व्यापार विस्तार की सम्भावना सीमित तथा वर्तमान में स्थितियां भी सीमित हैं।

शेष १० एससीएआरडी बैंकों में से, हरियाणा का मामला, जहां राज्य सरकार दिन प्रतिदिन के प्रबन्धन में निकटता से सम्मिलित है, तथा कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला है, का निर्णय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अलग अलग किया जाना है।

अध्ययन दल ने संस्तुति की है कि शेष ९ एससीएआरडी बैंकों को वित्तीय पैकेज के कार्यान्वयन के साथ स्थाई आधार पर पुनरुद्धार की सम्भावना है।

पीसीएआरडी बैंकों का पुनर्जीवित करना – सहायता के लिए पात्रता

संघीय संरचना के अनुरूप दीर्घकालीन सहकारी

साख संरचना में पीसीएआरडी बैंकों का पुनरुद्धार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पुनरुद्धार सहायता के लिए पीसीएआरडी बैंकों की पात्रता सरल और सुगमता से सत्यापन योग्य मानदण्डों पर आधारित होनी चाहिए।

अध्ययन दल ने ऋण वसूली के लिए वसूली निश्पादन को मुख्य मानदण्ड के रूप में प्रस्तावित किया है। विगत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में न्यूनतम 25% ऋण वसूली वाले सभी पीसीएआरडी बैंकों को पुनरुद्धार सहायता के लिए पात्र चाहिए।

जबकि उपर्युक्त वसूली को 70% भारांक दिया जाएगा, संचित घाटे, ऋणात्मक निवल मूल्य तथा ऋण वितरण जैसे वित्तीय मापदण्डों को 30% भारांक दिया जाएगा जिनमें से प्रत्येक को 10% भारांक दिया जाएगा।

इन तीनों मापदण्डों (संचित घाटा, ऋणात्मक निवल मूल्य तथा ऋण वितरण) के लिए न्यूनतम मापदण्ड (बेन्चमार्क) राज्य सरकार, नाबार्ड तथा एससीएआरडी बैंक द्वारा संयुक्त रूप से राज्यवार निर्धारित किया जाना चाहिए।

मानदण्डों को उदार बनाये रखने के लिए, सम्बन्धित मुद्दों के विस्तृत विश्लेषण के बिना इसमें और अधिक ढील की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर अयोग्य पीसीएआरडी बैंक यदि कार्यान्वयन की अवधि के दौरान पात्र हो जाते हैं, तो उन्हें भी पैकेज दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिए। सामान्यतः भारी संचित घाटे वाले पीसीएआरडी बैंकों को, जिनके निकट भविष्य में वित्तीय व्यवहार्यता प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं है, पैकेज के बाहर रखा जाना चाहिए। एकात्मक संरचना में शाखाओं के लिए कोई अलग से मापदण्ड का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपेक्षा की जाती है कि अव्यवहार्य

शाखाओं को बन्द करना, विलय करना एससीएआरडी बैंकों की अपनी तर्क संगत कार्य का हिस्सा होगा।

सहयोग के विषय

वित्तीय पैकेज को एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों की तुलन पत्रों को साफ सुथरा बनाये रखने तथा भविष्य में एक सुदृढ़ संस्थान के रूप में उनके कार्य निश्पादन को सक्षम करने के लिए सम्मिलित किया गया है।

संचित घाटा, पूँजी जोखिम का अनुपात के न्यूनतम स्तर में कमी, राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले एनपीए के विरुद्ध प्रावधानों में कमी, संघीय ढांचे में असंतुलन, तकनीकी सहायता (कम्प्यूटरीकरण, भौतिक अवसंरचना आदि), मानव संसाधन विकास तथा कार्यान्वयन की लागत वित्तीय पैकेज के अन्तर्गत समर्थन के लिए अनुशासित मदें हैं।

31.03.2022 तक तुलन पत्र के आंकड़ों के आधार पर अध्ययन दल द्वारा अनुमानित राशि निम्नानुसार है:-

(धनराशि करोड़ रु में)

| | एससीएआरडी बैंक | पीसीएआरडी बैंक | योग |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| संचित घाटा | 586.24 | 6348.00 | 6934.24 |
| असंतुलन | 2165.00 | NA | 2165.00 |
| प्रावधानों में कमी | 1276.12 | NA | 1276.12 |
| कम्प्यूटरीकरण | 240.00 | - | 240.00 |
| योग | 4267.36 | 6348.00 | 10,615.36 |

सहकारिता मंत्रालय ने अध्ययन दल की कार्यान्वयन योग्य संस्तुतियों को तथा कार्यान्वयन की समय सीमा पर चर्चा हेतु नाबार्ड और फेडरेशन की तीन संयुक्त बैठकों का आयोजन किया है। फेडरेशन ने संस्तुतियों पर मंत्रालय को विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। आशा है कि अध्ययन दल की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने के लिये समय सीमा के साथ एक कार्ययोजना को मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

अमृत काल (2022–2047) में व्यवसाय संवृद्धि को प्रसारित करने तथा आईआरएमए द्वारा एमएससीएस (बहुराज्यीय सहकारी समिति) अधिनियम 2002 की धारा 24 के अनुपालन के लिए अध्ययन

फेडरेशन ने ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान आनन्द (आईआरएमए) को अमृतकाल (2022 –2047) के दौरान व्यापार विस्तार के लिए सदस्य बैंकों को अपनी सेवाओं को बढ़ाने सहित फेडरेशन की कार्यप्रणाली पर एक अध्ययन निर्दिष्ट किया है। इस अध्ययन को पूर्णतः वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा बताये गये अध्ययन के प्रसंग निम्न लिखित हैं:—

- अध्ययन फेडरेशन की व्यावसायिक सेवाओं/ गतिविधियों, व्यापार की मात्रा, लाभ, निर्यात की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने तथा 25% वार्षिक वृद्धि की दर के लक्ष्य के साथ कारोबार बढ़ाने की 25 वर्षीय योजना तथा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने पर केन्द्रित होगा।
- सहकारिता मंत्रालय के कार्य आवंटन की दृष्टि से राष्ट्रीय सहकारी समिति की भूमिका।
- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा-24 के अन्तर्गत परिभाषित प्रत्येक कार्य का अनुपालन
 - ए. सहकारी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
 - बी. अपने सदस्य सहकारिता के विचारार्थ आदर्श उप-नियम एवं नीतियां बनाना;
 - सी. विशेष प्रशिक्षण, शिक्षा तथा डाटा-बेस सूचना प्रदान करना;
 - डी. अपने सदस्य सहकारी समितियों के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन तथा परिप्रेक्ष्य विकास योजनाओं की तैयारी में सहायता करना;

- ई. सदस्य सहकारी समितियों के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना;
- एफ. सदस्य सहकारी समितियों को उनके मध्य उत्पन्न विवादों के निदान में सहायता करना;
- जी. यदि सामान्य निकाय अथवा प्रबन्धन मण्डल के प्रस्तावों या सदस्य सहकारी समितियों के उपनियमों द्वारा या उसके अधीन विशेष रूप से अपेक्षित हो, तो सदस्य सहकारी समिति की ओर से व्यावसायिक सेवा के दायित्व वहन करना;
- एच. सदस्य सहकारी समिति को प्रबन्धन विकास सेवाएं उपलब्ध कराना;
- आई. सदस्य सहकारी समिति द्वारा अनुपालन हेतु आचार संहिता विकसित करना;
- जे. सदस्य सहकारी समिति के लिए व्यवहार्यता मापदण्ड विकसित करना;
- के. सदस्य सहकारी समिति को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करना;
- एल. सदस्य सहकारी समिति को स्वयं सहायता संगठित करने में सहायता प्रदान करना;
- एम. बाज़ार सूचना प्रणाली, ब्राण्ड चिन्ह तथा ब्राण्ड-सम्वर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीक उन्नयन विकसित करना;
- राष्ट्रीय सहकारी समितियों को सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रमुख मुद्दों पर अबतक के लिए गये निर्णयों से कैसे जोड़ सकते हैं।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के सक्रिय उपयोग द्वारा प्राथमिक स्तर की समितियों (ग्राम स्तर तक) संचार तथा पहुंच के लिए रणनीति बनाना।
- आईआईटी, आईआईएम अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय

ख्याति प्राप्त संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के पेशेवरों के माध्यम से जांच परीक्षण कराना।

- यदि आवश्यकता हो तो फेडरेशन की सदस्यता के आधार पर उनकी सामर्थ्य सीमा को ध्यान में रखते हुए क्रियाकलापों के विविधीकरण की सम्भावना पर सुझाव प्रस्तुत करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समितियों की सफलतम कार्यशैली का अनुसरण करना।
- अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट समय सीमा (6 माह से कम) निर्धारित की जाय।

ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान आनन्द (आईआरएमए) ने प्रोफेसर इन्द्रनील डे की अध्यक्षता में निम्नांकित व्यक्तियों की सदस्यता में एक अध्ययन दल का गठन किया :-

1. प्रोफेसर सुनील संगवान
2. प्रोफेसर शास्वत बिस्वास
3. प्रोफेसर सुशान्त कुमार शर्मा
4. डाक्टर एस्थर अली, अनुसंधान सहायक
5. डाक्टर संग्राम माने, अनुसंधान सहायक

अध्ययन दल ने 4 अप्रैल 2024 को फेडरेशन के साथ प्रारम्भिक चर्चा पूरी कर ली है तथा मई/जून 2024 के दौरान कुछ एससीएआरडी बैंकों पर भ्रमण के लिए कार्यक्रम निर्धारण को अंतिम रूप दे दिया है। प्रालेख आख्या अगस्त 2024 तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

धारा 80पी (2) के अन्तर्गत सहकारी समितियों को आयकर में राहत के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का आदेश

आयकर अधिनियम की धारा 80पी (2) सहकारी समितियों को उनके सदस्यों के साथ व्यापार में आयकर छूट प्रदान करती है। यद्यपि, आयकर अधिनियम को 2007-08 में संशोधित करके धारा 80 (4) को सम्मिलित किया गया था,

जो धारा 80पी के अन्तर्गत कर छूट को केवल उन्हीं सहकारी समितियों तक सीमित करता है जो किसी भी बैंकिंग गतिविधि में सम्मिलित नहीं हैं। उपर्युक्त संशोधन के उपरान्त, आयकर विभाग अपने सदस्यों को ऋण प्रदान कर रही सभी प्रकार की समितियों की सहकारी समितियों पर इस आधार पर कर निर्धारण कर रहा है कि ऋण वितरण ऋण कार्य एक बैंकिंग कार्य है।

यद्यपि ऐसे कई प्रकरणों में आयकर विभाग की कर मांग को न्यायाधिकरणों एवं उच्च न्यायालयों द्वारा निरस्त कर दिया गया था, किन्तु भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले कभी भी इस प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं दिया था।

मुम्बई के आयकर आयुक्त ने सिविल अपील संख्या 8719/2022 दायर कर मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, जिसमें क्यूपेम अर्बन कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड पर कर की मांग को खारिज कर दिया गया था। आयकर विभाग द्वारा दायर याचिका पर अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि "केवल अपने सदस्यों को ऋण देने मात्र से किसी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी बैंक नहीं कहा जा सकता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत बैंकिंग क्रियाकलाप की पूर्णतया अलग-अलग गतिविधियां हैं। केवल अपने सदस्यों को ऋण देने वाली साख समितियों तथा आम जनता को ऋण सहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों के मध्य बहुत बड़ा अन्तर है।"

"केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) परिपत्रों तथा यहां तक कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत बैंक की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी और कर दाता को सहकारी बैंक/बैंक नहीं कहा जा सकता है, अतः इसलिए धारा 80पी(4) लागू नहीं होगी और प्रतिवादी/करदाता आयकर अधिनियम की धारा 80पी(2) के अन्तर्गत छूट/लाभ के लिए अधिकृत होगा।"

उपर्युक्त निर्णय का विभिन्न राज्यों में एआरडी बैंकों तथा

आयकर अधिकारियों के मध्य चल रहे विवादों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत बैंक के रूप में परिभाषित नहीं की गई सहकारी साख संस्था को धारा 80 पी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय एआरडी बैंकों पर समान रूप से लागू होता है जो बैंकिंग लाइसेन्स के बिना सहकारी क्रेडिट संस्थाएं हैं।

तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने हाल ही में निम्नलिखित तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना का अनुमोदन किया है:-

1. आनन्द गुजरात में अपने प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड
2. भारतीय बीज सहकार (इण्डिया सीड कोआपरेटिव लिमिटेड), नई दिल्ली।
3. नेशनल कोआपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड गुजरात

राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड का लक्ष्य वैश्विक जैविक बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी (वर्तमान में केवल 3%) को बढ़ाना है, जो अनुमानतः 10 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें अधिकांश अमेरिका, जर्मनी, तथा फ्रांस जैसे विकसित देशों की हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लि. की स्थापना 500 करोड़ रुपए की अधिकृत अंश पूंजी तथा 100 करोड़ रुपए की आरम्भिक प्रदत्त पूंजी के साथ की गई है, जिसमें गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (एएमयूएल), नैफेड, एनसीसीएफ, एनडीडीबी तथा एनसीडीसी द्वारा बराबर योगदान दिया जाएगा। एनडीडीबी एनसीओएल का मुख्य प्रवर्तक है।

राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लि. प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पाद उपलब्ध कराकर, ऐसे उत्पादों की आपूर्ति एवं उपभोग को प्रोत्साहित करने, ब्राण्डिंग एवं विपणन, सस्ती लागत पर परीक्षण प्रमाणन आदि करके जैविक कृषि

से क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का प्रबन्धन करेगा।

भारतीय बीज सहकार, नई दिल्ली

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 11 जनवरी 2023 को बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी बीज सहकारी समिति की स्थापना का अनुमोदन किया, जो गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्राण्डिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भण्डारण तथा विपणन के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी। समिति आईसीएआर तथा राष्ट्रीय बीज निगम के सहयोग से देश भर में स्वदेशी प्रजाति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए रणनीतिक अनुसंधान और विकास तथा एक प्रणाली को भी प्रोत्साहित करेगी। इफको, कृभको, नेफेड, एनडीडीबी तथा एनसीडीसी प्रत्येक भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड की प्रारम्भिक प्रदत्त पूंजी में 50 करोड़ रुपये का अंशदान करेंगे।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि., नई दिल्ली

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 2000 करोड़ रुपए की अधिकृत अंश पूंजी तथा 500 करोड़ रुपए की आरम्भिक प्रदत्त पूंजी, जिसमें इफको, कृभको, नेफेड, अमूल तथा एनसीडीसी द्वारा समान रूप से अंश दान किया जाएगा, के साथ राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी। नई सहकारी समिति का उद्देश्य भारतीय सहकारी समितियों के उत्पादों के लिए निर्यात बाजार का विस्तार करना है। अमूल पहले से ही ब्राज़ील, फिलीपीन्स, केन्या तथा कनाडा जैसे देशों को अपने उत्पाद निर्यात कर रहा है। इफकों का नैनो उर्वरक एक दूसरा उत्पाद है जिसे ये नई सहकारी समिति अपने प्रारम्भिक चरण में निर्यात कर रही है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) निर्यात में कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के साथ-साथ सहकारी समितियों के हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं

को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2025 तक सहकारी निर्यात को दोगुना करना है।

बहुराज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023

सरकार ने 3 अगस्त 2023 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से बहुराज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023 किया। बहुराज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) नियम भी 4 अगस्त 2023 को प्रकाशित किए गए। संशोधन के माध्यम से प्रमुख अधिनियम में निम्नलिखित प्रमुख सुधार लाए गए -

- ❖ सरकार अथवा प्राधिकारियों द्वारा धारित शेयरों का मोचन, अंकित मूल्य पर किया जाएगा, जैसा कि समिति तथा अन्य प्राधिकारियों के मध्य सहमति हो।
- ❖ सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

प्राधिकारी के कार्यों में बहु राज्यीय सहकारी समितियों के चुनाव कराना तथा मतदाता सूची तैयार करने से सम्बन्धित प्रकरणों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण करना सम्मिलित है।

प्रबन्धन मण्डल में आकस्मिक रिक्तियों को निर्वाचित निदेशकों की संख्या के एक तिहाई तक प्रबन्धन मण्डल द्वारा भरा जा सकता है, यदि बोर्ड का कार्यकाल उसके मूल कार्यकाल के आधे से कम है। यदि आकस्मिक रिक्तियां एक तिहाई से अधिक हैं, तो विशेष रिक्तियों को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।

प्राधिकारी द्वारा चुनाव कराने का व्यय सम्बन्धित बहुराज्यीय समिति द्वारा वहन किया जाएगा।

समिति के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान प्रबन्धन मण्डल के कार्यकाल की समाप्ति से छः माह पूर्व

प्राधिकारी से निर्धारित समयावधि में चुनाव कराने का अनुरोध करेगे। प्राधिकरण रिटर्निंग आफिसर तथा यदि आवश्यक हो तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी करेगा। रिटर्निंग आफिसर बोर्ड चुनाव समाप्त होने के पश्चात पदाधिकारियों का चुनाव भी करेगा (जैसा कि 4 अगस्त 2023 को अधिसूचित नियमों में उल्लेख किया गया था)।

निदेशक मण्डल की बैठक के लिए गणपूर्ति उसके निर्वाचित निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।

- ❖ बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 21 और 70 वर्ष निर्धारित की गई है। 70 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के 3/4 द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है अथवा जारी रखा जा सकता है। उस स्थिति में ऐसे प्रस्ताव के लिए सूचना के साथ तथ्य प्रकाशक वक्तव्य संलग्न करते हुए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को इंगित करेगा।
- ❖ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बोर्ड के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखों के प्रालेख प्रस्तुत करने की समय-सीमा 30 दिन से बढ़ा कर 45 दिन कर दी गई।
- ❖ बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अपने शुद्ध लाभ का 1% सहकारी शिक्षा कोष में देंगीं, जिसका रख-रखाव केन्द्रीय निबन्धक द्वारा किया जाएगा। अधिसूचित नियमों के अनुसार, इस कोष का रख-रखाव एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें सचिव, सहकारिता मंत्रालय (अध्यक्ष), केन्द्रीय निबन्धक (वित्त सलाहकार), केन्द्रीय निबन्धक द्वारा नामित बहु-राज्यीय समितियों के 2 प्रतिनिधि, सचिव एनसीसीटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनसीयूआई, निदेशक वामनीकॉम तथा राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

केन्द्र सरकार सी.ई.एफ. को एक पृथक खाते में रखेगी, जिसमें सभी अंशदान जमा किए जाएंगे।

- ❖ बोर्ड कार्यसमिति तथा अन्य उपसमितियों का गठन करेगा एवं लेखा परीक्षा व आचार समिति एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम सम्बन्धी समिति का भी गठन करेगा।
- ❖ केन्द्र सरकार रुग्ण बहुराज्यीय सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुर्नवास, पुर्ननिमाण एवं विकास कोष की स्थापना करेगी।

बहु-राज्यीय सहकारी समितियां जो गत तीन वर्षों से लाभ में हैं, उन्हें अपने शुद्ध लाभ का 1% या 1 करोड़ रुपया वार्षिक, जो भी कम हो, का अंशदान देना होगा।

- ❖ बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अपनी निधियों को सहकारी बैंक अथवा भूमि विकास बैंक अथवा शासकीय सुरक्षा अथवा सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में अथवा किसी अनुसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक में अथवा किसी ऐसे अन्य उपाय से निवेश करेगी, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- ❖ 500 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाली बहुराज्यीय सहकारी बैंकों या ऋण समितियों तथा 500 करोड़ रुपये से अधिक व्यवसाय वाली गैर-ऋण समितियों के मामले में, केन्द्रीय निबन्धक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल से लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

राष्ट्रीय सहकारी समितियों के खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

बहु-राज्यीय समितियों के मामले में, जिनका व्यवसाय सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक है अथवा

जिनके पास सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक जमा है, समवर्ती लेखा परीक्षा केन्द्रीय निबन्धक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के पैनल द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

- ❖ समिति के किसी भी सदस्य द्वारा अपनी जमा राशि या सम्बन्धित सदस्य के अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे के सम्बन्ध में की गई शिकायतों की जांच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहकारी लोकपाल की नियुक्ति।
- ❖ बहु-राज्यीय सहकारी समिति द्वारा समिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी तथा ऐसी सूचना समिति द्वारा अपने उन नियमों में निर्दिष्ट प्रकटीकरण मानदण्डों के अन्तर्गत आने वाली सूचना तक सीमित होगी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उप-धारा (2) के खण्ड (बी) अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक धारा 80पी अन्तर्गत कटौती का दावा करनेवाले आयकर रिटर्न के लिए विलम्ब दोष-मार्जन

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 26 जुलाई 2023 के परिपत्र संख्या 13/2023 के माध्यम से राज्यों के मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे 2018-19 से 2022-23 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए वास्तविक कारणों से धारा 80पी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने वाले आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए सहकारी समितियों द्वारा लम्बित सभी आवेदनों के साथ-साथ नए आवेदनों को स्वीकार करें तथा ऐसे आवेदनों पर यथार्थ स्थिति के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लें। ऐसा पाया गया है कि कुछ एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडीबैंकों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने

में देरी के कारण उपरोक्त अवधि के दौरान धारा 80 पी के अन्तर्गत कटौती से वंचित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कर रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी हुई।

इस प्रकार के विलम्ब को माफ करने का निर्णय एससीएआरडी बैंकों, पीसीएआरडी बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी समिति (पीएसीएस) को धारा 80पी के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान कराता है, यदि उन्हें कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान रिटर्न दाखिल करने में विलम्ब के कारण इससे वंचित किया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 80(पी) के अन्तर्गत बैंक को कर कटौती की अनुमति न देने के विरुद्ध केरल एससीएआरडी बैंक की याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 14 सितम्बर 2023 का निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 14 सितम्बर 2023 को केरल एससीएआरडी बैंक के आयकर मामले में दिये गये अपने निर्णय में यह निर्णय किया कि एससीएआरडी बैंक बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाला बैंक नहीं है अतः इसलिए आयकर की धारा 80(पी) के अन्तर्गत कर कटौती के लिए अधिकृत है।

यह एआरडी बैंक संरचना के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 80(पी) के अन्तर्गत एआरडी बैंकों पर कटौती की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में भ्रम का अंततः देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान कर दिया गया है।

आयकर अधिनियम में 2007-08 में धारा 80(पी) के अन्तर्गत धारा 80पी(4) के रूप में नया प्रावधान जोड़कर संशोधन किया गया, जिसके द्वारा धारा 80(पी) के अन्तर्गत कटौती प्राथमिक कृषि ऋण समिति या एक से अधिक तालुक के क्षेत्राधिकार वाले प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी सहकारी बैंक पर

लागू नहीं होगी। तथापि, कई राज्यों में आयकर विभाग ने उपरोक्त प्रावधान की गलत व्याख्या करके प्राथमिक एआरडी बैंकों के अतिरिक्त अन्य दूसरे एआरडी बैंकों पर कर लगाना प्रारम्भ कर दिया, जिसमें एससीएआरडी बैंक तथा एक से अधिक तालुकों के क्षेत्राधिकार वाले पीसीएआरडी बैंक सम्मिलित हैं। इसके कारण आयकर विभाग तथा एआरडी बैंकों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में विवाद चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से आयकर विभाग तथा एआरडी बैंकों के मध्य एआरडी बैंक की धारा 80(पी) में कटौती की स्वीकार्यता के प्रश्न पर सभी लम्बित विवादों का निपटारा एआरडी बैंकों के पक्ष में होने की आशा है।

नाबार्ड के पुनर्वित्त के सम्बन्ध में गत 10 सितम्बर 2023 को सम्पन्न सदस्य बैंकों की बोर्ड बैठक में हुई चर्चा के आधार पर दिए गए सुझाव

गत 10 सितम्बर 2023 को सम्पन्न बोर्ड की बैठक में चर्चा के आधार पर सदस्य बैंकों से प्राप्त नाबार्ड के पुनर्वित्त से सम्बन्धित सुझाव नीचे सूचीबद्ध हैं।

- (1) शासकीय गारण्टी के विकल्प के रूप में, (एससीएआरडी बैंक गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान द्वारा दिये गये सुझाव) नाबार्ड सम्बन्धित राज्यों की राजधानी वाले शहरों में प्रमुख स्थानों पर भूमि खण्डों सहित बैंक की गैर ऋण परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति पर एससीएआरडी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने की सम्भावना पर विचार कर सकता है।
- (2) नाबार्ड पुनर्वित्त के लिए दो वर्ष की स्थगन अवधि पर विचार कर सकता है, जिससे आगामी वर्षों में नाबार्ड की पुनर्भुगतान मांग की तुलना में वसूली में कमी का लाभ उठाने में एससीएआरडी बैंकों की सहायता की जा सके। (एससीएआरडी बैंक गुजरात, कर्नाटक, तथा उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये सुझाव)

- (3) नाबार्ड किसानों के स्तर पर ब्याज दरों को कम करने के लिए एससीएआरडी बैंकों को कुल पुनर्वित्त सहायता में एलटीआरसीएफ का उच्च भाग सुनिश्चित कर सकता है। (एससीएआरडी बैंक केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान द्वारा दिए गया सुझाव)
- (4) पात्र उद्देश्यों के लिए एससीएआरडी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले वार्षिक ऋण की तुलना में नाबार्ड को दिये जाने वाले वार्षिक पुनर्वित्त सहायता में कमी एससीएआरडी बैंकों द्वारा सामना किया जानेवाला तरलता संकट एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए, नाबार्ड को एससीएआरडी बैंकों को अपनी तरलता की स्थिति बनाये रखने में सहायता करने के लिए ऐसी कमी से बचने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। (एससीएआरडी बैंक राजस्थान, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये सुझाव)
- (5) वर्तमान में, एससीएआरडी बैंकों को ट्रांसयूनियन सिबिल की सदस्यता नहीं दी गई है। यद्यपि यह मुद्दा फेडरेशन तथा कुछ एससीएआरडी बैंकों द्वारा ट्रांसयूनियन सिबिल के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन ट्रांसयूनियन सिबिल ने अभी तक इस मामले कोई अनुकूल निर्णय नहीं लिया है। नाबार्ड से अनुरोध है कि वह इस मामले को ट्रांसयूनियन सिबिल के समक्ष उठाए। ट्रांसयूनियन सिबिल सदस्यता से ऋण के पुनर्भुगतान में काफी सुधार होगा क्योंकि एआरडी बैंकों के साथ ऋण के इतिहास में ऋण रेटिंग कम्पनियों द्वारा जारी क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट में भी दिखाई देगा। (एससीएआरडी बैंक पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात द्वारा दिये गये सुझाव)
- (6) यद्यपि एआरडी बैंक नाबार्ड की स्थापना के बाद से अकृषि क्षेत्र (एनएफएस) गतिविधियों को वित्तपोषित कर रहे हैं, लेकिन कृषि अवसंरचना निधि के अन्तर्गत लाभ एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों को नहीं दिए गये हैं। इसलिए, नाबार्ड कृषि अवसंरचना निधि योजना को एआरडी बैंकों तक भी विस्तारित करने पर विचार कर सकता है। (एससीएआरडी बैंक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक द्वारा दिये गये सुझाव)
- (7) नाबार्ड बैंकों को जोखिम रेटिंग के विभिन्न मापदण्डों के अन्तर्गत स्कोर का विस्तृत ब्योरा बताने के लिए एक प्रणाली अपना सकता है ताकि बैंक प्रदर्शन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर सके। इसी प्रकार, जोखिम रेटिंग दल स्कोर को अंतिम रूप देने से पहले एससीएआरडी बैंकों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है। (एससीएआरडी बैंक पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये सुझाव)
- (8) नाबार्ड वर्ष के दौरान नाबार्ड को मूलधन की अदायगी की तुलना में एससीएआरडी बैंकों को उच्च पुनर्वित्त निर्धारण कर आवंटित करने की नीति अपना सकता है, ताकि स्थिरता बनाये रखने के लिए व्यवसाय के स्तर पर में अपेक्षित वृद्धि को सुगम बनाया जा सके। (एससीएआरडी बैंक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब द्वारा दिये गये सुझाव)
- (9) ग्रामीण आवास के लिए 20 वर्ष की लम्बी पुनर्भुगतान अवधि दी जा सकती है ताकि पुनर्भुगतान की किस्तों में कमी लाई जा सके तथा वसूली में सुधार लाया जा सके। (एससीएआरडी बैंक पश्चिम बंगाल, द्वारा दिया गया सुझाव)
- फेडरेशन द्वारा सुझाव नाबार्ड को भेज दिए गये हैं तथा राज्य पुनर्वित्त सम्बन्धी मामलों की चर्चा करने के लिए

एससीएआरडी बैंकों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है इन मुद्दों पर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की गई जिन्हें नाबार्ड ने परामर्श और नीतिगत बदलावों के लिए किया है।

योजना, अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ की वर्ष 2023-24 की गतिविधियां

(ए) सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठी एवं अध्ययन

(1) एआरडी बैंकों की व्यवसाय विकास योजनाओं पर कार्यशाला

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

वर्ष के दौरान फेडरेशन ने विभिन्न राज्यों में व्यवसाय वृद्धि की सम्भावनाओं तथा एससीएआरडी बैंकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए व्यवसाय विकास योजना तैयार की है। व्यवसाय विकास योजना आगामी पांच वर्षों के लिए तैयार की गई, तदनन्तर 'अमृतकाल' के दौरान प्रत्येक पांच वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गये।

व्यवसाय विकास योजना में, गैर-ऋण व्यवसाय, संसाधन संचयन, ऋण वसूली तथा गैर निष्पादित अस्तियों (एनपीए) में कमी, नेटवर्क विस्तार, सदस्यता विस्तार तथा ग्रामीण ऋण में बाजार की हिस्सेदारी के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में विकास लक्ष्य सम्मिलित हैं। व्यवसाय विकास योजना (बीडीपी) अनुमानों को कम्प्यूट्रीकरण, डिजिटलीकरण, संसाधन जुटाने में वृद्धि, वसूली कार्य योजना, ऋण मूल्यांकन, अनुवर्ती तथा ऋण वसूली कौशल पर ध्यान देने के साथ मानव संसाधनों को उन्नत करने के लिए कार्य योजनाओं द्वारा भी समर्थन प्राप्त है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि पर फेडरेशन ने व्यवसाय वृद्धि तथा उसके लिए कार्य योजनाओं के लिए राज्यवार अनुमानों को

अंतिम रूप देने के लिए 11 सितम्बर 2023 को होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 9 सदस्य बैंकों के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों सहित 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(2) दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना (एलटीआरसीसीएस) में आंतरिक सुधार पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

विगत कुछ वर्षों में फेडरेशन दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना में आंतरिक सुधारों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। यह सुधार पहल एआरडी बैंकों के वसूली तथा एनपीए प्रबन्धन, संसाधन जुटाने, ऋण वितरण प्रणाली तथा नीतियां, मानव संसाधन और प्रशासन व्यवस्था सहित प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों को आच्छादित करती है इन क्षेत्रों में सुधार पहल मुख्य रूप से सरकार या नाबार्ड के हस्तक्षेप या अनुमोदन के बिना एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों के प्रबन्धन के अधिदेश की आन्तरिक नीतियों, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन से सम्बन्धित है। प्रत्येक एससीएआरडी बैंक में गठित सुधारों की पहलों के लिए कोर ग्रुप (सीजीआरआई) सुधार पहलों की पहचान करने, सुझाव देने तथा इसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने में अग्रणी भूमिका निर्वहन कर रहा है। इन पहलों से व्यवसाय विविधीकरण, व्यवसाय विस्तार, बेहतर परिणामों के लिए ऋण वसूली प्रणाली में सुधार लाने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तथापि, यह देखा गया है कि आधार स्तर पर, विशेष रूप से संघीय संरचना में, प्रमुख कार्मिकों में संवेदनशीलता की कमी के कारण, कुछ राज्यों में सुझाए गये सुधारों को अपनाने की दर वांछित स्तर पर नहीं बढ़ रही है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि पर, फेडरेशन ने एलटीआरसीसीएस में

आंतरिक सुधारों पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य सुझाए गये सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शीर्ष तथा आधार स्तर पर प्रमुख कार्मिकों तैयार करना है। फेडरेशन ने वर्ष के दौरान नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से कर्नाटक तथा पंजाब में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस वर्ष दूसरा कार्यक्रम जो ८-१० जनवरी २०२४ के दौरान धारवाड़ में आयोजित किया गया था, के साथ कर्नाटक में सभी पीसीएआरडी बैंकों के सचिवों ने अब यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार, पंजाब में सभी पीसीएआरडी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी इस वर्ष दो कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जो क्रमशः चण्डीगढ़ और अमृतसर में १०-१२ अक्टूबर २०२३ तथा ११-१३ अक्टूबर २०२३ के दौरान आयोजित किये गये।

फेडरेशन ने २०२४-२५ के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा हिमांचल प्रदेश के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।

(बी) सुधार पहल के लिए कोर ग्रुप (सीजीआरआई)

एससीएआरडी बैंक द्वारा गठित कोर ग्रुप फॉर रिफार्म इनीशिएटिव (सीजीआरआई) की अधिकांश बैंकों में नियमित बैठकें जारी हैं। सीजीआरआई आधार स्तर पर स्व-चालित सुधारों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। सीजीआरआई ने संसाधनों को जुटाने के नए रास्ते, नए उत्पादों का शुभारम्भ, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान और एससीएआरडी बैंक की रेटिंग में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्यवाही, विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के साथ-साथ वसूली और एनपीए प्रबन्धन को निर्दिष्ट करने वाली सुसंगत नीतियों और भलीभांति प्रलेखित प्रक्रिया को विकसित करने के उद्देश्य से कार्यात्मक क्षेत्रों पर संहिता तैयार करने के मुख्य क्षेत्रों में पहले से प्रारम्भ किये गये सुधारों के प्रभाव की भी समीक्षा की है।

(सी) प्रकाशन

लैण्ड बैंक जरनल

फेडरेशन ने लैण्ड बैंक जरनल मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन १ अप्रैल २०२३ से प्रारम्भ कर दिया है तथा वर्ष के दौरान सभी १२ महीनों में इसका प्रकाशन किया है। इसके अतिरिक्त लैण्ड बैंक जरनल मासिक समाचार पत्र के मुद्रित संस्करण के साथ ही इसका ई-पत्र संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष के अंत में इसकी कुल प्रसार संख्या ४००० पहुंच गई है। इस समाचार पत्र में दीर्घकालीन साख संरचना क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं तथा सदस्य बैंकों के समाचार गतिविधियों के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं रिपोर्ट जिसमें सहकरिता मंत्रालय के कार्यक्रम और पहल सम्बन्धी समाचार का भी प्रकाशन किया जाता है।

वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन

सदस्य बैंकों के संचालन से सम्बन्धि आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन तथा सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन भी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। आधार स्तर पर आंकड़ों को प्राप्त करने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए फेडरेशन रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को अद्यतन बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वर्ष २०२१-२२ की वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन एवं वितरण किया जा रहा है। वर्ष २०२२-२३ की वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन शीघ्र ही जारी होगा।

एआरडी बैंकों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

फेडरेशन अपने स्तर पर समीक्षा और भारत सरकार को सूचनाएं सम्प्रेषित करने के लिए मासिक आधार पर सदस्य बैंकों के प्रमुख क्रियाकलापों पर आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका संकलन करता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट में सम्मिलित मुख्य क्षेत्र, ऋण वितरण, वसूली निष्पादन, ऋण एवं जमा संग्रहण हैं। फरवरी २०२३ से जनवरी २०२४ के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का वितरण किया जा रहा है।

सम्बद्धीकरण

राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सम्बद्ध है:—

नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया (एनसीयूआई)

फेडरेशन एनसीयूआई का सदस्य है तथा इसके कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ा है। श्री के शिवदासन नायर, एनसीयूआई की सामान्य सभा में फेडरेशन के प्रतिनिधि हैं तथा वह एनसीयूआई की संचालक परिषद के सदस्य एवं उपाध्यक्ष हैं।

कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया (सीओबीआई)

फेडरेशन सीओबीआई के संस्थापक सदस्यों में से एक है। फेडरेशन के अध्यक्ष को सीओबीआई की सामान्य सभा में नामित किया गया था और वह निदेशक मण्डल के निर्वाचित सदस्य भी हैं।

नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि. (नेफेक)

फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलार कोटेचा अध्यक्ष इसकी सामान्य सभा तथा नेफेक के निदेशक मण्डल में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलार कोटेचा को धारा 3(4)(XVII) के अन्तर्गत एनसीडीसी की सामान्य परिषद का सदस्य नामित किया गया है।

फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से भी एसोसिएट सदस्यता बनाए हुए है:—

- इण्डियन मर्चेण्ट्स चेम्बर (आइएमसी)

- इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए)
- इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन (आयएसएससी)
- इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लि. (आइटीसी)

सेण्टर फॉर इण्टरनेशनल कोआपरेशन एण्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीआईसीटीएबी)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक सीआईसीटीएबी की सामान्य परिषद के सदस्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

• इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलाएन्स (आईसीए)

फेडरेशन वैश्विक आइसीए के साथ ही आइसीए एशिया पैसिफिक रीजन का सदस्य है।

फेडरेशन आइसीए की अनेक समितियों से भी सम्बद्धीत है।

- श्री डोलार कोटेचा, फेडरेशन अध्यक्ष आइसीए सामान्य सभा तथा क्षेत्रीय सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक को सिओल, दक्षिण कोरिया में नवम्बर 2019 में सम्पन्न आइसीए एपी जनरल एसेम्बली में आइसीए एपी ऑन बैंकिंग एण्ड क्रेडिट का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

• इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन (आईआरयू)

फेडरेशन आई आरयू का सदस्य है। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलार कोटेचा आईआरयू की सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

फेडरेशन का प्रबन्धन

सामान्य निकाय

सामान्य निकाय में फेडरेशन के सदस्य होते हैं जिसमें प्रतिनिधि बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है।

फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत है:—

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहटी।
2. बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार—झारखण्ड), पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
5. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला।
6. जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बेंगलोर।
8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
9. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।
10. पॉण्डिचेरी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि., पाण्डिचेरी।
11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि., चण्डीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
13. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नै।
14. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि., शिलॉंग।
19. तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि., हैदराबाद।

निदेशक मण्डल

उपविधि संख्या 20 (i से v) के अनुसार, फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:—

- (i) पात्र सदस्यों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि अधिकतम 20;
- (ii) अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार का एक नामित व्यक्ति;
- (iii) ऐसे अधिकतम 2 व्यक्ति जो प्रबन्धन, सहकारी प्रबन्धन तथा वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखते हों अथवा फेडरेशन के उद्देश्यों और गतिविधियों से सम्बन्धित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों, इन्हें पदाधिकारियों के किसी चुनाव में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा अथवा

पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के पात्र नहीं होंगे, को बोर्ड द्वारा सहयोजित किया जाएगा;

(iv) प्रबन्ध निदेशक प्रबन्धन मण्डल का पदेन सदस्य होगा;

(v) फेडरेशन के कार्यात्मक निदेशक भी प्रबन्धन मण्डल के सदस्य होंगे, जिन्हें निदेशकों की गणना के प्रयोजनार्थ बाहर रखा जाएगा;

31.03.2024 को फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित हैं:-

| क्रम संख्या | प्रबन्धन मण्डल के सदस्य का नाम | सदस्य बैंक जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं |
|-------------|----------------------------------|---|
| 1. | श्री डोलार कोटेचा, अध्यक्ष | गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. |
| 2. | श्री के. रवीन्द्र राव, उपाध्यक्ष | तेलंगाना राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि. |
| 3. | डॉ. मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष | पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. |
| 4. | श्री सुरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष | पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि. |
| 5. | श्री ए. आर. शिवराम, उपाध्यक्ष | कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. |
| 6. | डॉ. बिजेन्द्र सिंह | दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि. |
| 7. | श्री के शिवदासन नायर | केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. |
| 8. | श्री बिजय कुमार सिंह | बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार-झारखण्ड) |
| 9. | श्री दलीप सिंह यादव | हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. |
| 10. | श्री डब्ल्यू. के. किण्डियाह | मेघालय सहकारी शीर्ष बैंक लि. |
| 11. | श्री संजय सिंह चौहान | हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. |
| 12. | श्री के. के. रविन्द्रन | प्रबन्ध निदेशक, नैफकार्ड |

कार्यकारिणी समिति

उपविधि संख्या 26(ए), के अनुसार, कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचित 5 बोर्ड के सदस्य होंगे।

(1) श्री डोलार कोटेचा अध्यक्ष, (गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

(2) श्री कोण्डूरु रवीन्द्र राव, उपाध्यक्ष, (तेलंगाना राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि.)

(3) डॉ. मोइनुल हसन उपाध्यक्ष, (पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

(4) श्री सुरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष, (पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.)

(5) श्री ए. आर. शिवराम, उपाध्यक्ष, (कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

(6) डॉ. बिजेन्द्र सिंह, (दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.)

(7) श्री संजय सिंह चौहान, (हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

(8) श्री वाइभा. के. किण्डियाह, (मेघालय सहकारी शीर्ष बैंक लि.)

(9) श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, नैफकार्ड

प्रशासनिक समिति

उपविधि संख्या 27(ए), के अनुसार प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, तथा प्रबन्ध निदेशक होंगे। 31.03.2024 को प्रशासनिक समिति में निम्नांकित सदस्य हैं :-

(1) श्री डोलार कोटेचा अध्यक्ष

(2) श्री कोण्डूरु रवीन्द्र राव, उपाध्यक्ष

(3) डॉ. मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष

(4) श्री सुरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष

(5) श्री ए. आर. शिवराम, उपाध्यक्ष

(6) श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य निकाय, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक

तिथि स्थान के साथ प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान सामान्य निकाय, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक नीचे सूचीबद्ध हैं:-

| बैठकें | स्थान | तिथि |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| (ए) वार्षिक सामान्य निकाय | जयपुर (राजस्थान) | 10 सितम्बर 2023 |
| (बी) प्रबन्धन मण्डल | | |
| 171वें बोर्ड की बैठक | नई दिल्ली (नेफेड मुख्यालय) | 29 मई 2023 |
| 172वें बोर्ड की बैठक | जयपुर (राजस्थान) | 10 सितम्बर 2023 |
| 173वें बोर्ड की बैठक | नई दिल्ली (कान्फेस हाल एनसीयूआइ) | 13 दिसम्बर 2023 |
| 174वें बोर्ड की बैठक | नई दिल्ली (नेफेड मुख्यालय) | 30 मार्च 2024 |

महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर निदेशक मण्डल की बैठकों में विचार किया गया

प्रबन्धन मण्डल की बैठकें, सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों की समीक्षा के अतिरिक्त नीतिगत एवं ग्रामीण साख से सम्बन्धित परिचालन के मुद्दों पर विचार विमर्ष करने का प्रमुख वाक्पीठ बना हुआ है।

वर्ष के दौरान प्रतिवेदन के अन्तर्गत बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यावसायिक क्रियाकलापों तथा नाबार्ड से पुर्नवित्त के अन्तर्गत ऋण वितरण वसूली इत्यादि की आवधिक समीक्षा से सम्बन्धित नियमित विषयों पर विचार विमर्ष के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर भी चर्चा की :-

- माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा उनके द्वारा सम्भाषण में उठाये गये बिन्दु;
- एससीएआरडी बैंकों के लिए व्यावसायिक विकास योजनां;
- सुधारों पर विचार, एआरडी बैंकों का पुनर्गठन एवं नवाचारं;

- सहकारी साख समितियों को धारा 80 पी(2) के अन्तर्गत आयकर में राहत सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय का आदेशं;
- एआरडी बैंकों का कम्प्यूट्रीकरण- ताजा स्थितिं;
- नाबार्ड के बोर्ड में ग्रामीण सहकारी साख संरचना का प्रतिनिधित्वं;
- सहकारी समितियां एवं केन्द्रीय बजट 2023-24;
- तीन नई सहकारी समितियों की स्थापनां;
- आदर्श उप नियमों की संरचनां;
- संयुक्त समिति के समक्ष बहु-राज्यीय समितियां (संशोधन) विधेयक 2022 का प्रस्तुतिकरणं;
- 'अमृत काल'(2022-2047) में व्यवसाय वृद्धि का विस्तार करने तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की धारा-24 के अनुपालन के लिए अध्ययन करना;

- 12) वर्ष 2023-24 के दौरान कृषि विस्तार पर सह-अभियान (एसएएमई) के कृषि क्लिनिक तथा कृषि व्यवसाय केन्द्र सम्बन्धी कार्यक्रम जारी रखना;
- 13) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये कार्यक्रमों का कैलेण्डर;
- 14) एआरडी बैंकों का कम्प्यूटीकरण;
- 15) एआरडी बैंकों के कम्प्यूटीकरण की योजना में हार्डवेयर के क्रय को सम्मिलित करने के लिए सरकार को अनुरोध प्रस्तुत किया गया;
- 16) एससीएआरडी बैंकों को पुनर्वित्त सहयोग में वृद्धि हेतु सुझाव;
- 17) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के दौरान धारा 80 पी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने वाले आयकर रिटर्न के लिए देरी के लिए दोषमार्जन;
- 18) राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड;
- 19) बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023;
- 20) "सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाना" की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत एआरडी बैंकों का कम्प्यूटीकरण;
- 21) आयकर अधिनियम की धारा 80(पी) के अन्तर्गत बैंक को कर कटौती की अनुमति न देने के विरुद्ध केरल एससीएआरडी बैंक की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का 14 सितम्बर 2023 का निर्णय;
- 22) 10 सितम्बर 2023 को प्रबन्धन मण्डल की अंतिम बैठक में चर्चा के आधार पर नाबार्ड के पुनर्वित्त के सम्बन्ध में सदस्य बैंकों द्वारा दिये गये सुझाव;
- 23) 'अमृतकाल'(2022-2047) में व्यवसाय विकास का विस्तार करने तथा एमएससीएस अधिनियम 2002 की धारा 24 के अनुपालन के लिए अध्ययन आयोजित करने पर विचार;
- 24) भारत सरकार द्वारा सहकारी चुनाव प्राधिकरण का विधान;
- 25) एससीएआरडी बैंकों के आदर्श उप-नियमों की संरचना;
- 26) सहकारिता मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुति हेतु राष्ट्रीय सहकारी समितियां/फेडरेशन के लिए एजेण्डा;
- 27) एआरडी बैंकों में सुधार, पुनर्गठन तथा नवाचार के अध्ययन पर रिपोर्ट-अनुवर्ती कार्यवाही;
- 28) सहकारिता मंत्रालय, सचिव (सहकारिता) को ज्ञापन;
- 29) 10 जनवरी 2024 को मेसर्स बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (भारत) प्राइवेट लिमिटेड के साथ बैठक;
- 30) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये एक अनन्तिम कार्यक्रमों का कैलेण्डर;
- 31) कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम) के अन्तर्गत कृषि बाजार अवसंरचना (एएमआई) उप योजना;
- 32) 2023-24 (अप्रैल 2023-जनवरी 2024) के दौरान प्रमुख परिचालन क्षेत्रों के अन्तर्गत पूर्णतः कार्यशील एससीएआरडी बैंकों द्वारा कार्यनिष्पादन की समीक्षा;

वित्त एवं लेखा

वर्ष २०२३-२४ हेतु परिसम्पत्ति तथा देयता एवं आय व्यय खातों का सारांश नीचे दिया गया है

परिसम्पत्ति तथा देयता

(धनराशि लाख रु. में)

| क्रम संख्या | देयता | इस तिथि को | | क्रम संख्या | परिसंपत्ति | इस तिथि को था | |
|-------------|--|------------|---------|-------------|--------------------------------------|---------------|---------|
| | | ३१.३.२४ | ३१.३.२३ | | | ३१.३.२४ | ३१.३.२३ |
| 1. | आरक्षित एवं अन्य निधियां | 2194.49 | 2247.47 | 1. | नकद एवं बैंक अवशेष | 19.39 | 1.47 |
| 2. | सुरक्षित ऋण | 538.09 | 8.87 | 2. | निवेश | 2509.70 | 1933.04 |
| 3. | अन्य देयतायें एवं प्रावधान | 149.54 | 132.00 | 3. | स्थिर सम्पत्तियां | 193.60 | 212.93 |
| 4. | आय एवं व्यय खाते से स्थानान्तरित किया गया अधिशेष | 21.30 | — | 4. | विविध देनदार एवं प्राप्य | 135.73 | 132.09 |
| | | | | 5. | ऋण एवं अग्रिम | 21.37 | 5.84 |
| | | | | 6. | विविध जमा एवं प्रिपेड व्यय | 4.60 | 4.30 |
| | | | | 7. | आयकर (अग्रिम कर एवं टीडीएस) | 19.03 | 14.40 |
| | | | | 8. | आय एवं व्यय खाते से हस्तान्तरित घाटा | — | 84.27 |
| | योग | 2903.42 | 2388.34 | | योग | 2903.42 | 2388.34 |

आय एवं व्यय

(धनराशि लाख रु. में)

| क्रम संख्या | विवरण | धनराशि | |
|-------------|---|---------------|------------------|
| | | २०२३-२४ | २०२२-२३ |
| | आय | | |
| 1. | सदस्य बैंकों से एएमएस तथा अतिरिक्त योगदान | 80.93 | 91.86 |
| 2. | ब्याज, लाभांश एवं एलटी पूंजीगत लाभ (एमएफ) | 251.76 | 123.13 |
| 3. | प्राप्त अनुदान (एनसीयूआई एवं नाबार्ड) | 6.28 | 7.00 |
| 4. | विकास निधि तथा विशेष आकस्मिक निधि से हस्तान्तरण | 0.00 | 28.52 |
| 5. | अतिरिक्त प्रावधान उलटे गये/पूर्व अवधि की आय/ बीडीडीआर के लिए प्रावधान | 8.80 | 10.85 |
| 6. | विविध आय | 1.73 | 1.23 |
| | योग (१ से ६) | 349.50 | 262.59 |
| | व्यय | | |
| 1. | प्रबन्धन लागत | 157.61 | 147.09 |
| 2. | अन्य कार्यालय व्यय | 43.18 | 30.32 |
| 3. | बैठक/सेमिनार/संगोष्ठी व्यय/प्रशिक्षण कार्यक्रम | 12.85 | 40.28 |
| 4. | परिसर रख-रखाव व्यय | 6.08 | 6.50 |
| 5. | प्रावधान/निधियों में योगदान | 97.76 | 93.50 |
| 6. | अन्य विनियोग | 10.72 | 29.17 |
| | योग (१ से ६) | 328.20 | 346.86 |
| | अधिशेष/घाटा (+)(-) | 21.30 | (-) 84.27 |

सदस्य बैंको का संक्षिप्त विवरण

पूर्णतः क्रियाशील एससीएआरडीबी

गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,

पता- 489, आश्रम रोड, नेहरू ब्रिज कार्नेर के सामने, अहमदाबाद-380 009

ई-मेल : info@gscardbank.org / वेबसाइट : www.khetibank.org

दूरभाष : 079-26585365, 26585370, 26585371

अध्यक्ष : श्री डोलाराइ वी. कोटेचा
ई-मेल : dollar.kotecha@jcombank.com
मोबाइल : 9924118900

प्रबन्ध निदेशक : श्री के.बी.उपाध्याय, आई.ए.एस.(सेवानिवृत्त)
ई-मेल : kbupadhyay@gscardbank.org
मोबाइल : 7069029988

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| शाखाओं की संख्या | 176 | 176 | 176 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | 294712 | 293211 | 293285 |
| वितरित ऋण | 15128.33 | 27553.15 | 37336.67 |
| अदत्त ऋण | 55043.07 | 64239.05 | 83458.85 |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंकों में | 282 | 624 | 598 |
| ii. पीसीएआरडी बैंकों में | - | - | - |
| कुल प्रदत्त पूँजी | 4263.48 | 4707.29 | 5291.28 |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 24802.97 | 27675.39 | 27675.70 |
| पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | 62.51 | 62.54 | एनआर |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 58625.72 | 61514.45 | 58103.85 |
| - ऋण वसूली | 19079.34 | 27663.22 | 28243.66 |
| - अवशेष बकाया | 39546.38 | 33851.23 | 29860.19 |
| - वसूली (%) | 32.54 | 44.97 | 48.61 |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

पता: बेस नम्बर 31-34 सहकारिता भवन, सेक्टर 2, पंचकुला - 134 109

ई-मेल: dev.incharge@gmail.com / वेबसाइट: hscardb.com

दूरभाष : 0172-2587040

अध्यक्ष : श्री अमर पाल राणा
ई-मेल : —
मोबाइल : 8930182000

प्रबन्ध निदेशक : श्रीमती सुमन बल्हारा
ई-मेल : pa2md.hscardb@gmail.com
दूरभाष : 0172-2587040

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| पीसीएआरडी बैंकों की संख्या | 70 | 70 | 70 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | 733499 | 730556 | 730197 |
| वितरित ऋण | 4043.99 | 9592.25 | 6367.15 |
| अदत्त ऋण | 173938.84 | 172710.64 | 175834.75 |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | 62 | 52 | 48 |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | 621 | 474 | 458 |
| कुल प्रदत्त पूँजी | 4361.02 | 4281.02 | 4281.02 |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 51143.20 | 51155.63 | 51166.15 |
| पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात | एनआर | 4.79 | एनआर |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 230780.36 | 214037.00 | 209612.52 |
| - ऋण वसूली | 23557.25 | 31482.00 | 10705.44 |
| - अवशेष बकाया | 207223.11 | 182555.00 | 198907.08 |
| - वसूली (%) | 10.21 | 14.66 | 5.11 |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

ब्लाक नम्बर ३डी, एसडीए कामेक्स कसुम्पटी शिमला - १७१ ००९

ई-मेल: hparbank@gmail.com / वेबसाइट: hpardb.in

दूरभाष : ०१७७-२६२११३७, २६२१४३७, २६२३८३७

अध्यक्ष : श्री संजय सिंह चौहान
ई-मेल : s.sanjaysingh2002@gmail.com
मोबाइल : ९४१८४०००३३

प्रबन्ध निदेशक : श्री सचिन कंवल
ई-मेल : mdhpscldb@gmail.com
मोबाइल : ९४१८४८०००३

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| पीसीएआरडी बैंकों की संख्या | ३० | ३० | ३० |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | ९५८७२ | ९६१२२ | ११४९४२ |
| वितरित ऋण | १०५६१.६० | ११६६३.१४ | ११०१०.५३ |
| अदत्त ऋण | ३५६५३.२८ | ३७५९८.७१ | ४२४२५.३५ |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | १६२ | १७९ | १७२ |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | ५३ | ५७ | ५४ |
| कुल प्रदत्त पूंजी | २६६४.२९ | २७६९.०१ | २८६९.३४ |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | १७९२.७५ | १७९२.७५ | १७८१.७५ |
| पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | २८४.९२ | २६१.५९ | २५४.०५ |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | १९४०४.८७ | २१०८३.२६ | २१६५३.९६ |
| - ऋण वसूली | ६६८५.५९ | ७०५०.०५ | ६२०९.५४ |
| - अवशेष बकाया | १२७१९.१८ | १४०३३.२१ | १५४४४.४२ |
| - वसूली (%) | ३४.४५ | ३३.४४ | २८.६८ |

जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

१२, पोस्ट ऑफिस लेन, हैदरपुरा, श्रीनगर - १९० ०१४

ई-मेल: scardbjk@rediffmail.com / वेबसाइट: www.jkscardb.org

दूरभाष: ९११९४२४३१९६५, (प्रधान कार्यालय) ९११९४२४३१८९२ (प्रधान कार्यालय श्रीनगर), ९११९१२४७५५४८ (क्षेत्रीय कार्यालय)

प्रशासक एवं प्रबन्ध निदेशक: श्री राकेश दुबे

ई-मेल: rakeshdubey77@gmail.com

मोबाइल: ९४१९१५७३०१

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| शाखाओं की संख्या | ५१ | ५१ | ५१ |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | ९९२९३ | ९९५४२ | ९९८०८ |
| वितरित ऋण | ४७८.८४ | ६४९.३० | १६२३.०१ |
| अदत्त ऋण | ५१९१.८० | ४८०१.२६ | ४९८१.२४ |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंकों में | २०६ | २०१ | १९४ |
| ii. पीसीएआरडी बैंकों में | - | - | - |
| कुल प्रदत्त पूंजी | २९५६.१० | २९१६.९८ | २९१९.५३ |
| निर्बाध आरक्षित निधिया | २३७.६३ | २३७.६३ | २३७.६३ |
| पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | -१३९.४८ | -१७७.८२ | -२०४.४७ |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | ३७४०.७५ | ३६७७.६६ | ३३५५.७५ |
| - ऋण वसूली | ११७१.३६ | १२५४.५५ | ११२०.५९ |
| - अवशेष बकाया | २५६९.३९ | २४२३.११ | २२३५.१६ |
| - वसूली (%) | ३०.७३ | ३२.६१ | ३०.०० |

कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

टीपू सुलतान पैलेस रोड, चमराजपेट, कर्नाटक, बेंगलूरु 560 018

| | |
|--|---|
| ई-मेल: md.kscardbank@gmail.com / वेबसाइट: www.kscardbank.in | दूरभाष : 080-26702024 |
| अध्यक्ष : श्री के. सदाक्षरी ई-मेल : president.sldb@yahoo.com मोबाइल : 9844014111 | प्रबन्ध निदेशक : श्री एच.पी. कुमार, के.सी.एस. ई-मेल : md.kscardbank@gmail.com मोबाइल : 9620463864 |

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| पीसीएआरडी बैंकों की संख्या | 178 | 181 | 183 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता वितरित | 1189495 | 1232617 | NR |
| वितरित ऋण | 44319.46 | 29563.90 | 33730.12 |
| अदत्त ऋण | 192945.73 | 194159.09 | NR |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | 259 | 244 | 234 |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | 448 | 445 | 438 |
| कुल प्रदत्त पूंजी | 21485.03 | 21648.63 | NR |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 3172.03 | 33017.24 | NR |
| पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | NR | NR | NR |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 82116.14 | 82470.74 | 78194.18 |
| - ऋण वसूली | 47657.43 | 48281.83 | 53530.27 |
| - अवशेष बकाया | 34458.71 | 34188.91 | 24657.91 |
| - वसूली (%) | 58.04 | 58.54 | 68.47 |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,

पोस्ट बॉक्स नम्बर 56 स्टेट्यू जंक्शन थिरुवनन्तपुरम - 695 001

| | |
|---|---|
| ई-मेल: ho.cardbank@gmail.com / वेबसाइट: www.keralalalandbank.in | दूरभाष: 0471-2460595 |
| अध्यक्ष: एडवोकेट सी. के. शाजीमोहन ई-मेल: presidentpa.kscardb@gmail.com मोबाइल: 9447207863 | प्रबन्ध निदेशक: श्री शाजी वी. नायर (आईएएस) ई-मेल: md.kscardb@gmail.com मोबाइल: 9400050320 |

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| पीसीएआरडी बैंकों/शाखाओं की संख्या | 76 | 76 | 77 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | 1869623 | 1934754 | 1418143 |
| वितरित ऋण | 275902.92 | 280836.26 | 282625.80 |
| अदत्त ऋण | 803081.82 | 783396.78 | 796233.47 |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | 144 | 174 | 213 |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | 1254 | 1234 | 1168 |
| कुल प्रदत्त पूंजी | 22887.70 | 23161.05 | 23592.58 |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 48675.62 | 65972.81 | 85437.96 |
| पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | 11.10 | 13.79 | 16.53 |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 376614.82 | 411426.71 | 404169.07 |
| - ऋण वसूली | 216584.26 | 261752.79 | 251431.88 |
| - अवशेष बकाया | 160030.56 | 149673.92 | 152737.19 |
| - वसूली (%) | 57.51 | 63.62 | 62.21 |

पॉण्डिचेरी सहकारी सेण्ट्रल लैण्ड डेवलपमेण्ट बैंक लि.

नम्बर 24 कोलास नगर, उप्पलम, पुडुचेरी 605 001

ई-मेल: pccldbank@gmail.com

दूरभाष : 0413-2357985 / 2358827

अध्यक्ष : थिरु एस.मुरली

ई-मेल : pccldbank@gmail.com

मोबाइल : 9942533315

प्रबन्ध निदेशक : थिरु सी. सरावेनान

ई-मेल : pccldbank@gmail.com

मोबाइल : 9442357641

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| शाखाओं की संख्या | 1 | 1 | 1 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | 20275 | 20525 | NR |
| वितरित ऋण | 3719.44 | 3957.39 | 4495.70 |
| अदत्त ऋण | 4439.21 | 4824.25 | 5260.07 |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | 29 | 28 | 27 |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | - | - | - |
| कुल प्रदत्त पूंजी | 541.09 | 561.73 | NR |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 430.19 | 565.14 | NR |
| पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | 4.10 | 5.21 | NR |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 4124.26 | 4690.24 | 3970.19 |
| - ऋण वसूली | 3690.08 | 4274.83 | 3580.98 |
| - अवशेष बकाया | 434.17 | 414.93 | 389.20 |
| - वसूली (%) | 89.47 | 91.15 | 90.20 |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.

एससीओ 51- 54, बैंक स्क्वायर, सेक्टर-17-बी, चण्डीगढ़-160 017

ई-मेल: sadbmd@gmail.com

दूरभाष: 0172-2705834, 5011708

अध्यक्ष: सीए सुरेश कुमार गोयल

ई-मेल: sadbchairman@gmail.com

मोबाइल: 9815842233

प्रबन्ध निदेशक: श्री गुलप्रीत सिंह औलख, (आईएएस)

ई-मेल: sadbmd@gmail.com

मोबाइल: 9888522222

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| पीसीएआरडी बैंकों की संख्या | 89 | 89 | 89 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | 835277 | 834268 | 832480 |
| वितरित ऋण | 9256.10 | 507.22 | 0.00 |
| अदत्त ऋण | 205861.91 | 186926.34 | 161779.73(T) |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | 173 | 112 | 121 |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | 581 | 594 | 536 |
| कुल प्रदत्त पूंजी | 7888.15 | 7888.15 | 7888.15 |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 23438.81 | 46240.28 | NR |
| पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | 15.12 | 32.96 | NR |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 131715.32 | 267090.94 | 272914.89 |
| - ऋण वसूली | 55539.23 | 38348.95 | 30745.14 |
| - अवशेष बकाया | 76176.09 | 228741.99 | 242169.75 |
| - वसूली (%) | 42.17 | 14.36 | 11.27 |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.

नेहरू सहकार भवन, २२ गोडाउन सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर - ३०२ ००५

ई-मेल: rsldbmd@yahoo.in

दूरभाष : ०१४१ २७४०४४०

प्रशासक : श्रीमती शोभिता शर्मा
ई-मेल : addl2ho.coop@rajasthan.gov.in
मोबाइल : --

प्रबन्ध निदेशक : श्री विजय कुमार शर्मा
ई-मेल : rsldbmd@yahoo.in
मोबाइल : ९९२९९८५२९०

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| पीसीएआरडी बैंकों की संख्या | ३६ | ३६ | ३६ |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | १२३९६२८ | ११६२१०२ | १२३९६८९ |
| वितरित ऋण | १५६७६.९५ | १५४३१.१६ | ५२५९.४३ |
| अदत्त ऋण | १५४९२९.१२ | १५८९९८.३५ | १५४१३९.१५ |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | ५० | ४४ | ४४ |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | २२१ | २०१ | १८८ |
| कुल प्रदत्त पूंजी | ४०६९.५६ | ४१३४.५५ | एनआर |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | ७१२४९.२६ | ७७९६९.५४ | एनआर |
| पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | १४.४२ | १४.९६ | एनआर |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | १२८७३३.९८ | १००५०३.५० | एनआर |
| - ऋण वसूली | २१५२६.३१ | ३१४८२.४९ | एनआर |
| - अवशेष बकाया | १०७२०७.६७ | ६९२०१.०१ | एनआर |
| - वसूली (%) | १६.७२ | ३१.३२ | एनआर |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

१८१, लुज़ चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नै - ६०० ००४

ई-मेल: sldbchn@yahoo.co.in / tncsardbho@gmail.com

दूरभाष: ०४४-२४९९३८५४

प्रबन्ध निदेशक: श्री एम. मुरुगन, अतिरिक्त निबन्धक

ई-मेल: tncsardbho@gmail.com

मोबाइल: ७३३८८५००१०

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| पीसीएआरडी बैंकों की संख्या | १८० | १८० | १८० |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | १२६६६६६ | १६७२७१३ | १४८७५२९ |
| वितरित ऋण | ७६७४४.८३ | १०५५३६.३४ | १०८८२६.५१ |
| अदत्त ऋण | ७३३१०.५७ | ८६०८५.३९ | ११५०९४.९७ |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | ११८ | ११७ | १०९ |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | ४३५ | ४१५ | ४५३ |
| कुल प्रदत्त पूंजी | ५२५५.१० | ५२७७.६० | ५२७७.६० |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | ८१४८.३१ | १७२५७.६९ | १७२५७.६९ |
| पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | २२.७४ | ३९.१० | एनआर |
| बुनयादी स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | १२१२८६.६२ | १३२५८०.८६ | १४९६६६.३० |
| - ऋण वसूली | ९४१६९.२४ | १२४७५९.१३ | १४२२३५.९३ |
| - अवशेष बकाया | २७११७.३८ | ७८२१.७३ | ७४३०.३७ |
| - वसूली (%) | ७७.६४ | ९४.१० | ९५.०३ |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

द्वितीय तल, ओ/ओ आरसीएस, पैलेस कम्पाउण्ड, अगरतला-799 001

ई-मेल: tcardbltd.2012@gmail.com

दूरभाष : 0381 2323972

मह प्रबन्धक : श्री मानिक दासगुप्ता
ई-मेल : tcardbltd.2012@gmail.com
मोबाइल : 8787506905

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| पीसीएआरडी बैंकों की संख्या | 5 | 5 | 5 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | 988197 | 955706 | 955733 |
| वितरित ऋण | 0 | 13.50 | 74.45 |
| अदत्त ऋण | 885.47 | 784.72 | 793.62 |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | 20 | 19 | 19 |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | - | - | - |
| कुल प्रदत्त पूंजी | 963.93 | 955.71 | 957.10 |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 8.68 | 8.86 | 8.68 |
| पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | एनआर | एनआर | एनआर |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 971.06 | 885.47 | 784.72 |
| - ऋण वसूली | 85.59 | 114.17 | 65.55 |
| - अवशेष बकाया | 885.47 | 771.30 | 719.17 |
| - वसूली (%) | 8.81 | 12.89 | 8.35 |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.

10 माल एवेन्यू, लखनऊ -226 001

ई-मेल: upsgvb@yahoo.in / वेबसाइट: www.upsgvb.in

दूरभाष: 0522-2238844, 2238855

अध्यक्ष: श्री संतराज यादव
ई-मेल: santarajyadav@gmail.com
मोबाइल: 9415356478

प्रबन्ध निदेशक: श्री शशि रंजन कुमार राव
ई-मेल: upsgvb@yahoo.in
मोबाइल: 9415634440

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| शाखाओं की संख्या | 323 | 323 | 323 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | 1482496 | 1421120 | 1410573 |
| वितरित ऋण | 24748.94 | 27066.62 | 40854.00 |
| अदत्त ऋण | 259028.79 | 257862.28 | 269309.66 |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | 2618 | 2560 | 2520 |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | - | - | - |
| कुल प्रदत्त पूंजी | 27630.36 | 27536.51 | 28187.75 |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 25589.08 | 26142.73 | 26190.30 |
| पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | 33.62 | 31.82 | 32.09 |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 250953.61 | 272842.24 | 226248.54 |
| - ऋण वसूली | 72967.04 | 72858.84 | 61691.68 |
| - अवशेष बकाया | 177986.57 | 199983.40 | 164556.86 |
| - वसूली (%) | 29.08 | 26.70 | 27.27 |

पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

आइसीएमएआरडी बिल्डिंग, छठवां तल 14/2 सीआईटी स्कीम-VII(एम) अल्ट्राडंगा, कोलकाता-700 067

ई-मेल: wbscardb@gmail.com / वेबसाइट: www.wbscardb.com

दूरभाष : 033-23560028, 23560065

विशेष अधिकारी: डा. मोअइनुल हसन

ई-मेल: moinulhassan@hotmail.com

मोबाइल: 9434100000

प्रबन्ध निदेशक : श्री मनासिज मुखोपाध्याय

ई-मेल : md@wbscardb.com

मोबाइल : 9748513071

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| पीसीएआरडी बैंकों की संख्या | 24 | 24 | 24 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | 389053 | 410226 | 388045 |
| वितरित ऋण | 27604.67 | 29196.97 | 28657.89 |
| अदत्त ऋण | 133608.90 | 135856.18 | 136135.56 |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | 83 | 83 | 76 |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | 596 | 588 | 595 |
| कुल प्रदत्त पूँजी | 4264.10 | 4269.20 | 5814.73 |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 969.41 | 1604.78 | 4215.23 |
| पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | 6.77 | 7.41 | 6.00 |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 100745.78 | 104759.11 | 107188.79 |
| - ऋण वसूली | 38145.02 | 42036.87 | 41397.55 |
| - अवशेष बकाया | 62600.76 | 62722.24 | 65791.24 |
| - वसूली (%) | 37.86 | 40.13 | 38.62 |

राज्य सहकारी बैंक (एससीबी)

दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि.

31 नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज नई दिल्ली-110002

ई-मेल: bkg.dscb@gmail.com

दूरभाष: 011-41705038

अध्यक्ष: डा. बिजेन्द्र सिंह

प्रबन्ध निदेशक: श्रीमती अनिता रावत

कर्मचारियों की स्थिति

एससी बैंक पर : 451
प्रधान कार्यालय पर : 48
शाखाओं पर : 403

ब्याज दर:

वितरित ऋणों पर: 7% से 18.50% तक
जमा संग्रहण पर: 3% से 7.25% तक

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| अदत्त ऋण | 83191.64 | 89513.49 | 97080.21 |
| वितरित ऋण | 14275.23 | 27775.86 | 26172.05 |
| कुल प्रदत्त पूँजी | 1889.53 | 2016.51 | 2093.68 |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 31058.73 | 33083.20 | 39103.33 |
| पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | 57.06 | 53.78 | 53.75 |
| अदत्त जमा ग्रहण | 136629.60 | 134549.02 | 133542.80 |
| अदत्त उधार राशियां | - | - | - |
| शुद्ध लाभ | 2645.60 | 2714.39 | 2279.24 |
| संचित हानि यदि कोई है | - | - | - |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 19846.57 | 19728.38 | 21987.90 |
| - ऋण वसूली | 18919.28 | 18728.38 | 21004.48 |
| - अवशेष बकाया | 927.29 | 945.61 | 983.42 |
| - वसूली (%) | 95.33 | 95.21 | 95.53 |

मेघालय कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लि.

एम. जी. रोड, शिलॉंग – ७९३ ००१

ई-मेल: headoffice@megcab.com / वेबसाइट: www.megcab.com

दूरभाष: ०३६४ – २२२५१९०, २२२४१६०

अध्यक्ष: श्री वैभा के. किन्डया

प्रबन्ध निदेशक: श्री ओमोन्ड ई. जे. नांग्री

कर्मचारियों की स्थिति:

प्रधान कार्यालय पर : १३१

शाखाओं पर : ३२९

ब्याज दर:

वितरित ऋणों पर : ७% से १२.५०%

जमा संग्रहण पर : ३.५०% से ७.५०%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---|-----------|-----------|-----------|
| अदत्त ऋण | १७०९८९.९६ | १६९२४०.६५ | १८७३३४.२५ |
| वितरित ऋण | ९२२३.६६ | १३६३६.२९ | १५८८८.९६ |
| कुल प्रदत्त पूँजी | ९५९.१७ | १००५.६१ | १०२२.४५ |
| निर्बाध आरक्षित निधियाँ | १७६८९.५५ | १९१४१.१८ | १९१०१.४९ |
| पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | ४.५२% | ४.८२% | ४.५४% |
| अदत्त जमा ग्रहण | ३४८९२३.१० | ३५१०६९.९० | ३७६४२८.३४ |
| अदत्त उधार राशियाँ | ५४८०.९० | ५२३३.८१ | ६०३६.०८ |
| शुद्ध लाभ | १३२७.८६ | १४७७.४६ | १५००.०० |
| संचित हानि यदि कोई है | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति (जून तक की स्थिति) | | | |
| - मांग | २२१०५.८७ | १८४६१.२२ | एनआर |
| - ऋण वसूली | १००८९.५६ | ४३५५.२७ | एनआर |
| - अवशेष बकाया | १२०१६.३१ | १४१०५.९५ | एनआर |
| - वसूली (%) | ४५.६४% | २३.६०% | एनआर |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.

४-४४१, टूँप बाज़ार, हैदराबाद – ५०० ००१

ई-मेल: mdoffice@tscab.org / वेबसाइट: www.tscab.org

दूरभाष: ०४०-२४६८५५२८

अध्यक्ष: श्री मारनेनी रवीन्द्र राव

प्रबन्ध निदेशक: डा. बी. गोपी, (आईएएस)

कर्मचारियों की स्थिति

प्रधान कार्यालय पर : २४५

शाखाओं पर : २३४

ब्याज दर:

वितरित ऋणों पर – एनआर

जमा संग्रहण पर – एनआर

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| अदत्त ऋण | ९३३४७६.०० | ११६१८४८.०० | १२९७४७७.०७ |
| वितरित ऋण | ९००७९१.५७ | १०८०५०१.४६ | ८८१४५३.६२ |
| कुल प्रदत्त पूँजी | २८९२४.०० | ३३०८६.४४ | ३७९७२.१८ |
| निर्बाध आरक्षित निधियाँ | ६१५७७.०० | ७२८५७.०० | ९००३२.७१ |
| पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | १०.४२ | १०.४६ | १०.१४ |
| अदत्त जमा ग्रहण | ६९४१९५.०० | ७४०२९१.०० | ७९८०७३.६८ |
| अदत्त उधार राशियाँ | ६२६१८०.०० | ८५०८७८.०० | ८८८८३४.०० |
| शुद्ध लाभ | ७१५४.०० | ९६३१.०० | ६९१७.८९ |
| संचित हानि यदि कोई है | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | ५५३८१४.७० | ७६८५६६.०७ | ८१२१५९.२७ |
| - ऋण वसूली | ५४६१३९.८४ | ७५९०१४.७९ | ८०२१३९.१३ |
| - अवशेष बकाया | ७६७४.८६ | ९५५१.२८ | १००२०.१४ |
| - वसूली (%) | ९८.६१ | ७८.७६ | ९८.७७ |

एनआर-सूचना अप्राप्त।

अन्य एससीएआरडी बैंक

बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि.

भूमि विकास बैंक भवन, बुद्ध मार्ग पटना-800 001

ई-मेल: ldbpat@gmail.com

दूरभाष: 0612-2226221, 2226222

अध्यक्ष : श्रीमती ममता सिंह
ई-मेल : ldbpat@gmail.com
मोबाइल : 0612-2223853

प्रबन्ध निदेशक : डा. कौशलेन्द्र सिंह
ई-मेल : ldbpat@gmail.com
मोबाइल : 9430265715

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

| विवरण | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| शाखाओं की संख्या | 151 | 151 | 151 |
| प्राथमिक स्तर पर सदस्यता | 702380 | 702362 | 702362 |
| वितरित ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अदत्त ऋण | 3547.36 | 3335.80 | 3178.76 |
| कर्मचारी | | | |
| i. एससीएआरडी बैंक | 366 | 363 | 361 |
| ii. पीसीएआरडी बैंक | - | - | - |
| कुल प्रदत्त पूँजी | 2816.85 | 2812.33 | 2808.40 |
| निर्बाध आरक्षित निधियां | 1515.73 | 43935.04 | 43935.04 |
| पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) | 2.73 | 2.68 | 2.60 |
| प्राथमिक स्तर पर ऋण वसूली स्थिति | | | |
| - मांग | 41071.62 | 42700.93 | 42461.04 |
| - ऋण वसूली | 3770.53 | 4687.95 | 4430.96 |
| - अवशेष बकाया | 37301.09 | 38012.98 | 38030.08 |
| - वसूली (%) | 9.18 | 10.97 | 10.43 |

2023-24 के दौरान सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों का प्रतिवेदन

2023-24 के दौरान पूर्णतया सक्रिय 13 एससीएआरडी बैंकों की गतिविधियों के आंकड़े इस रिपोर्ट के अनुलग्नकों में दिए गए विवरणों में प्रस्तुत किया गया है।

1. ऋण वितरण

31 मार्च 2023 तक पूर्णतया कार्यात्मक 13 एससीएआरडी बैंकों द्वारा कुल वितरित धनराशि गत वर्ष वितरित ऋण ₹5429.43 करोड़ की तुलना में ₹5616.59 करोड़ थी। वर्ष के दौरान एससीएआरडी बैंकों द्वारा कुल वितरित ऋण में 3.45% की वृद्धि अंकित करते हुए ₹187.16 करोड़ की वृद्धि हुई। 13 पूर्णतया क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों में से 8 बैंकों के ऋण वितरण में वृद्धि अंकित की गई। जबकि अन्य एससीएआरडी बैंकों में वर्ष के दौरान ऋण वितरण के रुझान में गिरावट आई। पंजाब एससीएडी बैंक में उल्लेखनीय गिरावट आई, जो इस वर्ष ऋण वितरित नहीं कर सका तथा राजस्थान आरएसबीवी बैंक अपने गत वर्ष के ऋण वितरण का एक तिहाई ही ऋण वितरित कर सका।

2. अदत्त ऋण

31.03.2024 को एससीएआरडी बैंकों के कुल अदत्त ऋण ₹21474.16 करोड़ थे, जबकि गतवर्ष के दौरान यह ₹21158.34 करोड़ था जो समग्र व्यापार स्तर में ₹315.82 करोड़ (1.49%) की वृद्धि को दर्शाता है।

3. उधार राशियां

पूर्णतया कार्यात्मक 13 एससीएआरडी बैंकों की गतवर्ष 2022-23 के दौरान कुल उधार राशि ₹3350.28 के सापेक्ष 2023-24 में ₹382.40 करोड़ की गिरावट के साथ ₹2967.89 करोड़ रही। विभिन्न अभिकरणों से जुटाये गये संसाधनों की संरचना से यह ज्ञात होता है कि 74% पुनर्वित्त नाबार्ड से लिया गया था, जबकि एनसीडीसी एवं राज्य सरकार, एनएचबी, एससीबी आदि सहित अन्य ने 26% का योगदान किया। इसके अतिरिक्त 13 पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों में से 7 के वर्ष के दौरान नाबार्ड पुनर्वित्त नहीं प्राप्त करने वाले संस्थान होने की पुष्टि हुई। अवशेष 6 में से

4 एससीएआरडी बैंकों ने पुनर्वित्त के आहरण में वृद्धि की।

4. बकाया उधार राशियां

पूर्णतया कार्यशील एससीएआरडी बैंकों की कुल बकाया उधार राशियां गतवर्ष के ₹12560.13 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2024 को 12219.44 करोड़ रुपए रहीं जिसमें 340.70 करोड़ रुपए की मामूली गिरावट आई। वर्ष के दौरान नाबार्ड की बकाया उधार राशियां ₹10249.36 करोड़ थीं जो कि कुल बकाया उधार राशियों का 84% हैं, जो 2022-23 के दौरान 10495.32 करोड़ रुपए से 2.14% घटकर 2023-24 में ₹10249.36 करोड़ हो गई।

5. जमा संग्रहण बकाया

एससीएआरडी बैंकों का कुल जमा संग्रहण बकाया 31 मार्च 2023 को ₹2222.72 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2024 को ₹2259.51 करोड़ था। कर्नाटक तथा केरल एससीएआरडी बैंक जमा संग्रहण में प्रथम दो स्थानों पर हैं, इसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, हिमांचल प्रदेश और पंजाब हैं, जबकि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गति पाना शेष है। कुल 13 एससीएआरडी बैंकों में से 6 बैंकों ने 2023-24 के अन्त में अपने जमा संग्रहण में वृद्धि की है तथा 6 बैंकों को गतवर्ष की तुलना में कमी का सामना करना पड़ा। वर्ष के दौरान 10 बैंकों द्वारा संग्रहीत जमाराशि 1653.33 करोड़ रुपए रही, जबकि गत वर्ष यह 1996.86 करोड़ रुपए थी।

6. वित्तीय विवरण

2023-24 के लिए पूर्णतया कार्यशील एससीएआरडी बैंकों द्वारा प्रस्तुत पूर्व-लेखा परीक्षित आंकड़ों के अनुसार 10 बैंकों ने वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा अर्जित कुल लाभ ₹267.91 करोड़ रह गया, जो गत वर्ष इन्ही बैंकों द्वारा प्रदर्शित 440.59 करोड़ रुपये से 172.68 करोड़ रुपये कम हैं 13 बैंकों में से तीन बैंकों ने 2023-24 में ₹541.31 करोड़ का घाटा अंकित किया, जबकि गत वर्ष यह घाटा ₹40.48 करोड़ था।

7. गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए)

13 पूर्णतया कार्यशील एससीएआरडी बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियां, गत वर्ष के 38.84% से कुछ कम होकर 2023-24 में 36.43% रह गई। केवल केरल, पाण्डिचेरी और तमिलनाडु ही एनपीए को क्रमशः 11.81%, 2.96% तथा 9.57% के सहनीय स्तर पर रोक सके। जबकि अन्य सभी एससीएआरडी बैंकों का सकल एनपीए 25% से अधिक था। कर्नाटक एससीएआरडी बैंक के सम्बन्ध में 2022-23 के लिए एनपीए स्थिति की समीक्षा पर विचार किया गया है क्योंकि 2023-24 की स्थिति की सूचना अप्राप्त थी।

8. ऋण वसूली की स्थिति

कुल 13 पूर्णतया क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों में से 12 एससीएआरडी बैंकों द्वारा मांग वसूली और बकाया की सूचनाएं भेजी गई हैं। राजस्थान आरएसबीवी बैंक ने 2023-24 के लिए अपनी मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति की सूचना नहीं भेजी है।

वर्ष के दौरान एससीएआरडी बैंकों की मांग बकाया एवं ऋण वसूली में शीर्ष स्तर पर सुधार पाया गया। शीर्ष स्तर पर एससीएआरडी बैंकों की कुल औसत ऋण वसूली गत वर्ष के 44.86% की तुलना में चालू वर्ष में 45.36% थी। अन्तिम ऋणी सदस्य के स्तर पर वर्ष के दौरान ऋण वसूली में गत वर्ष के 41.21% के स्थान पर 41.07% पर आने से मामूली गिरावट आई है।

i. शीर्षस्थ स्तर पर

शीर्षस्थ स्तर पर एससीएआरडी बैंकों की कुल मांग गत वर्ष के ₹14877.59 करोड़ के सापेक्ष 2023-24 के दौरान ₹12279.76 थी। वसूली की कुल धनराशि में 16.54% की गिरावट के साथ गतवर्ष ₹6674.41 करोड़ से घटकर वर्ष में ₹5569.51 करोड़ रह गई। एससीएआरडी बैंकों का कुल बकाया गत वर्ष के ₹8203.17 करोड़ से घटकर वर्ष के दौरान ₹6710.25 करोड़ पर आ गया जो एक स्वागत योग्य रुझान है।

ii. भू-स्तर पर

अन्तिम ऋणी सदस्य स्तर पर, कुल मांग 2022-23 के ₹16775.62 करोड़ के सापेक्ष 2023-24 में 8.45% की गिरावट के साथ ₹15358.63 करोड़ थी। इसके सापेक्ष ऋण वसूली में 2022-23 के ₹6913.04

करोड़ की तुलना में 2023-24 में 8.75% की गिरावट अंकित कराते हुए ₹6308.51 करोड़ रही। अन्तिम ऋणी सदस्य स्तर पर बकाये में भी 2022-23 के ₹9862.58 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 8.24% की गिरावट के साथ ₹9050.12 करोड़ रही।

9. कर्मचारियों की स्थिति

पूर्णतया कार्यशील 13 एससीएआरडी बैंकों में कुल कर्मचारियों की संख्या 2023-24 में 4371 थी, जबकि गतवर्ष के दौरान यह संख्या 4430 थी, जिससे कर्मचारियों में 59 कर्मियों की मामूली कमी हुई। इसीप्रकार पीसीएआरडी बैंकों के कुल कर्मचारियों की संख्या भी 2022-23 में 4035 से 145 कम होकर 2023-24 में 3890 रह गई।

10. संगठनात्मक संजाल तंत्र (आउटलेट्स)

कुल परिचालन इकाइयों की संख्या 2022-23 के दौरान 1845 से बढ़कर 2023-24 में 1868 हो गई। जबकि एससीएआरडी बैंकों की शाखाओं की संख्या गत वर्ष की भांति स्थिर रही, पर्यवेक्षी इकाइयों, पीसीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंक की शाखाओं को गतवर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान क्रमशः 83 से 84,604 से 609, 499 से 518 तक बढ़ाया दिया गया।

11. सदस्यता

पूर्ण रूप से क्रियाशील 13 एससीएआरडी बैंकों की कुल सदस्यता 2023-24 में 102.80 लाख रही, जो 2022-23 के 109.35 लाख की तुलना में कम है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋणी सदस्यों की संख्या 40.07 लाख (31.03.2023 के) से 7.13 लाख घट कर (31.03.2024 को) 32.94 लाख रह गई। जब की, गैर-ऋणी सदस्यों की संख्या भी 2023-24 के दौरान 0.58 लाख, से थोड़ी बढ़ कर 69.86 लाख हो गई, जब कि 2022-23 के दौरान यह 69.28 लाख थी।

उपर्युक्त विश्लेषण सदस्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत 2023-24 (अनन्तिम) तथा लेखापरीक्षित नहीं किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। जिन बैंकों ने वर्ष 2023-24 की समीक्षा के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई, उनके परिचालन समीक्षा के लिये 2022-23 के आंकड़ों का आधार लिया गया।

आभार

फेडरेशन, संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा सदस्य बैंकों की गतिविधियों के विस्तार के अपने प्रयासों के साथ भारत सरकार, सहकारीता मंत्रालय, नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, एनसीडीसी, एनसीयूआई तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थानों के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये है। प्रबन्धन मण्डल इन सभी अभिकरणों और संस्थानों द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनकी आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसकी सदस्य संस्थायें सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल सहकारिता मंत्रालय को फेडरेशन एवं दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना को उसके द्वारा निरन्तर किए जा रहे समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिये आभार प्रदर्शन करता है।

आरम्भ से ही नाबार्ड एससीएआरडी बैंकों को पुनर्वित्त सहयोग के साथ विकास में सहयोग प्रदान करता रहा है। प्रबन्धन मण्डल नाबार्ड को एससीएआरडी बैंकों को उसके सतत पुनर्वित्त सहयोग तथा दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा है। हम अपने सदस्य बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा कर्मियों के द्वारा उनके सक्रिय योगदान एवं सहयोग के लिए, जिसके फलस्वरूप फेडरेशन

इस दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिवेदित वर्ष में अपने दायित्व निर्वहन कर सका है, के प्रति गहन आभार व्यक्त करता है। प्रबन्धन मण्डल माननीय अध्यक्ष श्री डोलार कोटेचा को दीर्घकालीन साख संरचना के मुद्दों को भारत सरकार तथा अन्य अभिकरणों के सम्मुख प्रस्तुत करने तथा फेडरेशन को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। हम माननीय उपाध्यक्षगण सर्वश्री के. रविन्द्र राव, डॉ. मोइनुल हसन, सुरेश कुमार गोयल तथा ए. आर. शिवराम जिन्होंने फेडरेशन तथा दीर्घकालीन साख संरचना को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया है, के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं।

प्रबन्धन मण्डल श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है जिन्होंने पूर्णनिष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से,

हस्ता/—
डोलार कोटेचा
अध्यक्ष

तालिका 1 – वितरित ऋण एवं अदत्त ऋण

(₹ लाखों में)

| क्र. संख्या | एससीआरडीबी का नाम | 2023-24 के दौरान वितरित ऋण | | | | | 2022-23 में वितरित ऋण | 31 मार्च 2024 को बकाया ऋण | | | | | 31 मार्च 2023 को बकाया ऋण |
|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| | | कृषि क्षेत्र | अकृषि क्षेत्र | ग्रामीण आवास क्षेत्र | अन्य (अल्पकालिक ऋण) | कुल वितरित ऋण | | कृषि क्षेत्र | अकृषि क्षेत्र | ग्रामीण आवास क्षेत्र | अन्य (अल्पकालिक ऋण) | कुल बकाया ऋण | |
| 1. | गुजरात | 27865.83 | 9574.30 | 44.18 | 0.00 | 37484.31 | 27553.15 | 10743.22 | 68813.21 | 3245.28 | 0.00 | 82801.71 | 64239.05 |
| 2. | हरियाणा | 3918.95 | 1454.00 | 669.70 | 324.50 | 6367.15 | 9592.25 | 114549.68 | 20827.89 | 16326.76 | 23223.51 | 174927.84 | 172025.63 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 7885.31 | 896.29 | 2228.93 | 0.00 | 11010.53 | 11663.14 | 31018.27 | 3331.44 | 8075.64 | 0.00 | 42425.35 | 37598.71 |
| 4. | जम्मू एवं कश्मीर | 523.80 | 64.10 | 299.58 | 735.53 | 1623.01 | 649.30 | 3162.53 | 308.15 | 554.12 | 956.44 | 4981.24 | 4801.26 |
| 5. | कर्नाटक | 33730.12 | 0.00 | 0.00 | 332.01 | 34062.13 | 30318.02 | 214898.00 | 198.80 | 460.19 | 2134.85 | 217691.84 | 211253.17 |
| 6. | केरल | 128726.09 | 27285.65 | 96620.17 | 29993.89 | 282625.80 | 280636.27 | 306062.16 | 79279.46 | 359372.94 | 37501.69 | 782216.25 | 783396.77 |
| 7. | पाण्डिचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4495.70 | 4495.70 | 3957.39 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 5257.29 | 5260.07 | 4824.25 |
| 8. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.22 | 98077.14 | 1777.14 | 61538.26 | 400.00 | 161792.54 | 186926.34 |
| 9. | राजस्थान | 4840.87 | 11.50 | 407.06 | 0.00 | 5259.43 | 15431.16 | 128898.43 | 4979.22 | 20261.48 | 0.00 | 154139.13 | 158998.35 |
| 10. | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109144.45 | 109144.45 | 106158.46 | 2115.21 | 5878.81 | 2197.14 | 104903.81 | 115094.97 | 97267.32 |
| 11. | त्रिपुरा | 0.00 | 74.45 | 0.00 | 0.00 | 74.45 | 13.50 | 0.00 | 793.62 | 0.00 | 0.00 | 793.62 | 784.72 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 24495.14 | 10126.72 | 0.00 | 6232.14 | 40854.00 | 27066.57 | 193167.33 | 43896.62 | 3369.00 | 28783.18 | 269156.13 | 257862.27 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 23939.56 | 3457.98 | 1260.35 | 0.00 | 28657.89 | 29196.97 | 104023.44 | 12312.27 | 19799.85 | 0.00 | 136135.56 | 135856.18 |
| योग [1 से 13] | | 255925.67 | 52944.99 | 101529.97 | 151258.22 | 561658.85 | 542943.40 | 1206715.41 | 242339.41 | 495200.66 | 203160.77 | 2147416.25 | 2115834.02 |



६४वां
वार्षिक रिपोर्ट
२०२३-२४

तालिका २ – उधार राशियां वर्ष के दौरान

(₹ लाखों में)

| क्रम संख्या | एससीएआरडीबी का नाम | 2023-24 में बढ़ाई गई | | | | महा योग | |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| | | नाबार्ड | केन्द्र सरकार | राज्य सरकार | अन्य (एनसीडीसी/एनएचबी/एससीबी आदि) | 2023-24 (3+4+5+6) | 2022-23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | गुजरात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 3200.00 | 4000.00 |
| 3. | हिमांचल प्रदेश | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8800.00 | 8488.07 |
| 4. | जम्मू व कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | कर्नाटक | 40855.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 41605.00 | 41500.00 |
| 6. | केरल | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 140154.89 |
| 7. | पाण्डिचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1099.67 | 1099.67 | 1239.62 |
| 8. | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2137.24 |
| 9. | राजस्थान | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 34400.00 | 40400.00 | 43622.56 |
| 10. | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 115.25 |
| 11. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 34302.47 | 0.00 | 0.00 | 18416.17 | 52718.64 | 59620.76 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 30107.59 | 0.00 | 0.00 | 18557.85 | 48665.44 | 33650.02 |
| | योग (1 से 13) | 220065.06 | 0.00 | 3950.00 | 72773.69 | 296788.75 | 335028.41 |

तालिका ३ – बकाया उधार राशियां

(₹ लाखों में)

| क्रम संख्या | एससीएआरडीबी का नाम | 31 मार्च 2024 को बकाया उधार राशियां | | | | महा योग | |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | नाबार्ड | केन्द्र सरकार | राज्य सरकार | अन्य (एनसीडीसी/एनएचबी/एससीबी आदि) | जैसा 31.03.2024 को (3+4+5+6) | जैसा 31.03.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | गुजरात | 5650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5650.00 | 9109.56 |
| 2. | हरियाणा | 0.00 | 3441.00 | 104685.22 | 0.00 | 108126.22 | 104926.22 |
| 3. | हिमांचल प्रदेश | 25794.30 | 610.05 | 20.12 | 0.00 | 26424.47 | 23947.98 |
| 4. | जम्मू व कश्मीर | 0.00 | 279.28 | 336.72 | 0.00 | 616.00 | 616.00 |
| 5. | कर्नाटक | 123468.95 | 0.33 | 3427.30 | 0.00 | 126896.58 | 118097.97 |
| 6. | केरल | 595949.85 | 31.95 | 5.53 | 0.00 | 595987.33 | 627203.24 |
| 7. | पाण्डिचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.70 | 473.70 | 157.44 |
| 8. | पंजाब | 47948.59 | 37.85 | 0.00 | 12089.00 | 60075.44 | 77317.03 |
| 9. | राजस्थान | 53283.02 | 321.26 | 321.26 | 6912.38 | 60837.92 | 94791.89 |
| 10. | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 6389.87 | 22.50 | 6412.37 | 6412.37 |
| 11. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 67855.50 | 0.00 | 27200.00 | 9472.33 | 104527.83 | 85456.53 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 104985.37 | 0.01 | 0.01 | 20930.28 | 125915.67 | 107976.89 |
| | योग (1 से 13) | 1024935.58 | 4721.73 | 142386.03 | 49900.19 | 1221943.53 | 1256013.12 |

तालिका - 4 जमा संग्रहण

(धनराशि लाखों में)

| क्रम संख्या | एससीएआरडीबी का नाम | 2022-23 के दौरान | | | | 2023-24 के दौरान | | | |
|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | वर्ष के प्रारम्भ में अदत्त जमा | वर्ष के दौरान जमा संग्रहण | वर्ष के दौरान चुकाई गई जमा राशियाँ | वर्ष के अन्त में अदत्त जमा | वर्ष के प्रारम्भ में अदत्त जमा | वर्ष के दौरान जमा संग्रहण | वर्ष के दौरान चुकाई गई जमा राशियाँ | वर्ष के अन्त में अदत्त जमा |
| 1. | गुजरात | 23810.08 | 19345.07 | 19869.37 | 23285.78 | 23285.78 | 18280.80 | 19112.16 | 22454.42 |
| 2. | हरियाणा | 346.25 | एनआर | एनआर | 11.31 | 11.31 | एनआर | एनआर | 10.66 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 12513.05 | 2781.81 | 922.03 | 14372.83 | 14372.83 | 3328.25 | 1037.08 | 16664.00 |
| 4. | जम्मू एवं कश्मीर | 16465.20 | 11640.82 | 10982.41 | 17123.61 | 17123.61 | 4287.76 | 3182.48 | 18228.89 |
| 5. | कर्नाटक | 48431.17 | 55525.68 | 53365.97 | 50590.88 | 50590.88 | 16263.27 | 17052.48 | 49801.67 |
| 6. | केरल | 30368.17 | 17680.62 | 14168.54 | 33880.25 | 33880.25 | 17473.09 | 14311.76 | 37041.58 |
| 7. | पाण्डिचेरी | 4106.19 | 3184.70 | 2525.49 | 4765.40 | 4765.40 | 4351.35 | 4314.80 | 4801.95 |
| 8. | पंजाब | 24895.05 | 17244.17 | 24092.90 | 18046.32 | 18046.32 | 15779.99 | 18522.95 | 15303.36 |
| 9. | राजस्थान | 177.48 | एनआर | एनआर | 172.46 | 172.46 | एनआर | एनआर | 170.32 |
| 10. | तमिलनाडु | 29956.57 | 70487.27 | 67327.14 | 33116.70 | 33116.70 | 82401.25 | 81694.97 | 33822.98 |
| 11 | उत्तर प्रदेश | 3052.00 | 163.48 | 1807.78 | 1407.70 | 1407.70 | 174.95 | 652.45 | 930.20 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | 25231.45 | 1632.70 | 1365.65 | 25498.50 | 25498.50 | 2992.60 | 1769.77 | 26721.33 |
| योग (1 से 12) | | 219352.66 | 199686.32 | 196427.28 | 222271.74 | 222271.74 | 165333.31 | 161650.90 | 225951.36 |

टिप्पणी-एनआर - सूचना अप्राप्त।

तालिका 5 - लाभ/हानि (शीर्षस्थ बैंक स्तर पर)

(₹ लाखों में)

| क्रम संख्या | एससीएआरडीबी का नाम | इस तिथि को लाभ/हानि | | इस तिथि को संचित हानि | |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 |
| 1. | गुजरात | 5119.02 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | हरियाणा | (2091.96) | (51876.73) | 43642.40 | 95519.13 |
| 3. | हिमांचल प्रदेश | (165.21) | (404.89) | 939.25 | 1344.14 |
| 4. | जम्मू एवं कश्मीर | (1790.42) | (1848.98) | 15766.99 | 17615.97 |
| 5. | कर्नाटक * | 392.17 | 392.17 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | केरल | 3446.76 | 3549.65 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | पाण्डिचेरी * | 21.65 | 109.83 | 431.84 | 322.01 |
| 8. | पंजाब | 19679.64 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | राजस्थान | 411.32 | 411.32 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | तमिलनाडु | 4463.77 | 4910.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | त्रिपुरा | 15.98 | 0.08 | 1878.64 | 1878.56 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 9808.06 | 9831.08 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 700.35 | 586.91 | 0.00 | 0.00 |

सूचना:- (1) कोष्ठक में दिये गये आंकड़े हानि दर्शाते हैं।
(2) *31.03.2023 की स्थिति समीक्षा के लिए।

तालिका 6 – गैर निष्पादित अस्तियां (एनपीए)

(धनराशि लाखों में)

| क्रम संख्या | एससीएआरडीबी का नाम | 31 मार्च 2023 को | | | 31 मार्च 2024 को | | |
|-------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | कुल ऋण बकाया | कुल एनपीए | बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए | कुल ऋण बकाया | कुल एनपीए | बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए |
| 1. | गुजरात | 64239.05 | 28217.64 | 43.93 | 82801.71 | 24657.92 | 29.78 |
| 2. | हरियाणा | 172025.63 | 132244.32 | 76.87 | 174927.84 | 155684.82 | 89.00 |
| 3. | हिमांचल प्रदेश | 40377.72 | 15308.60 | 37.91 | 42425.35 | 15203.66 | 35.84 |
| 4. | जम्मू एवं कश्मीर | 4801.26 | 2641.69 | 55.02 | 4981.24 | 2312.08 | 46.42 |
| 5. | कर्नाटक* | 199133.59 | 77032.65 | 38.68 | 199133.59 | 77032.65 | 38.68 |
| 6. | केरल | 783678.24 | 64666.60 | 8.25 | 782475.17 | 92431.04 | 11.81 |
| 7. | पाण्डिचेरी | 4824.25 | 189.49 | 3.93 | 5260.07 | 155.84 | 2.96 |
| 8. | पंजाब | 186489.85 | 115740.06 | 62.06 | 161500.00 | 122300.00 | 75.73 |
| 9. | राजस्थान | 158998.35 | 88355.80 | 55.57 | 154139.15 | 94652.26 | 61.41 |
| 10. | तमिलनाडु | 97267.32 | 11301.12 | 11.62 | 115094.97 | 11013.76 | 9.57 |
| 11. | त्रिपुरा | 784.72 | 771.41 | 98.30 | 793.62 | 708.64 | 89.29 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 227940.47 | 186787.75 | 81.95 | 240821.74 | 183462.43 | 76.18 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 135856.18 | 33520.66 | 24.67 | 136135.56 | 35331.06 | 25.95 |
| | योग (1 से 13) | 2076416.63 | 756777.79 | 36.45 | 2100490.01 | 814946.16 | 38.80 |

टिप्पणी : *31.03.2023 की स्थिति समीक्षा के लिए।

तालिका 7 – मांग, वसूली, बकाया की स्थिति

(धनराशि लाखों में)

| क्रम संख्या | एससीएआरडी बैंकों की संख्या | 31.03.2024 को शीर्ष स्तर पर | | | | 31 मार्च 2023 को वसूली प्रतिशत | 31.03.2024 को अंतिम ऋणी सदस्य स्तर पर | | | | 31 मार्च 2023 को वसूली प्रतिशत |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| | | मांग | वसूली | अधिशेष | वसूली प्रतिशत(%) | | मांग | वसूली | अधिशेष | वसूली प्रतिशत (%) | |
| 1. | गुजरात | 58103.85 | 28243.66 | 29860.19 | 48.61 | 44.97 | 58103.85 | 28243.66 | 29860.19 | 48.61 | 44.97 |
| 2. | हरियाणा | 191211.90 | 11283.95 | 179927.95 | 5.90 | 11.95 | 209612.52 | 10705.44 | 198907.08 | 5.11 | 14.71 |
| 3. | हिमांचल प्रदेश | 20254.67 | 4810.25 | 15444.42 | 23.75 | 28.12 | 21653.96 | 6209.54 | 15444.42 | 28.68 | 33.44 |
| 4. | जम्मू व कश्मीर | 3355.75 | 1006.86 | 2348.89 | 30.00 | 32.61 | 3355.75 | 1006.86 | 2348.89 | 30.00 | 32.61 |
| 5. | कर्नाटक | 108976.91 | 18464.80 | 90512.11 | 16.94 | 30.97 | 78194.18 | 53536.27 | 24657.91 | 68.47 | 58.54 |
| 6. | केरल | 310555.23 | 263663.60 | 46891.63 | 84.90 | 86.46 | 404169.07 | 251431.88 | 152737.19 | 62.21 | 63.62 |
| 7. | पाण्डिचेरी | 3970.19 | 3580.98 | 389.21 | 90.20 | 91.14 | 3970.19 | 3580.98 | 389.21 | 90.20 | 91.14 |
| 8. | पंजाब | 99334.17 | 22772.11 | 76562.06 | 22.92 | 42.75 | 272914.89 | 30745.14 | 242169.75 | 11.27 | 14.36 |
| 9. | राजस्थान | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | 16.72 | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | 31.32 |
| 10. | तमिलनाडु | 117581.08 | 105951.64 | 11629.44 | 90.11 | 89.00 | 149666.30 | 142235.93 | 7430.37 | 95.04 | 94.10 |
| 11. | त्रिपुरा | 784.72 | 65.55 | 719.17 | 8.35 | 12.89 | 784.72 | 65.55 | 719.17 | 8.35 | 12.89 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 226248.54 | 61691.68 | 164556.86 | 27.27 | 26.70 | 226248.54 | 61691.68 | 164556.86 | 27.27 | 26.70 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 87599.10 | 35415.70 | 52183.40 | 40.43 | 43.27 | 107188.79 | 41397.55 | 65791.24 | 38.62 | 40.13 |
| | योग (1 से 13) | 1227976.11 | 556950.78 | 671025.33 | 45.36 | 44.86 | 1535862.76 | 630850.48 | 905012.28 | 41.07 | 41.21 |

टिप्पणी-एनआर - सूचना अप्राप्त।

तालिका 8 – कर्मचारियों की स्थिति

(संख्या)

| क्रम संख्या | एससीएआरडीबी का नाम | वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी में कर्मचारियों की स्थिति | | | | | | वर्ष के दौरान पीसीएआरडीबी में कर्मचारियों की स्थिति | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|------|
| | | 2022-23 | | | 2023-24 | | | 2022-23 | | | 2023-24 | | | | |
| | | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग | | |
| 1 | गुजरात | 539 | 85 | 624 | 516 | 82 | 598 | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | |
| 2 | हरियाणा | 48 | 4 | 52 | 41 | 7 | 48 | एनए | एनए | 431 | 43 | 474 | 408 | 50 | 458 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 128 | 51 | 179 | 123 | 49 | 172 | एनए | एनए | 49 | 8 | 57 | 46 | 8 | 54 |
| 4 | जम्मू एवं कश्मीर | 168 | 33 | 201 | 161 | 33 | 194 | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए |
| 5 | कर्नाटक | 162 | 80 | 242 | 157 | 77 | 234 | एनए | एनए | 301 | 144 | 445 | 295 | 143 | 438 |
| 6 | केरल | 72 | 102 | 174 | 90 | 123 | 213 | एनए | एनए | 698 | 536 | 1234 | 641 | 527 | 1168 |
| 7 | पाण्डिचेरी | 24 | 4 | 28 | 23 | 4 | 27 | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए |
| 8 | पंजाब | 83 | 29 | 112 | 87 | 34 | 121 | एनए | एनए | 538 | 56 | 594 | 487 | 49 | 536 |
| 9 | राजस्थान | 40 | 4 | 44 | 36 | 4 | 40 | एनए | एनए | एनए | एनए | 201 | एनए | एनए | 188 |
| 10 | तमिलनाडु | 67 | 51 | 118 | 60 | 49 | 109 | एनए | एनए | 346 | 89 | 435 | 344 | 109 | 453 |
| 11 | त्रिपुरा | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 2279 | 281 | 2560 | 2235 | 285 | 2520 | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए | एनए |
| 13 | पश्चिम बंगाल * | 63 | 14 | 77 | 62 | 14 | 76 | एनए | एनए | 521 | 74 | 595 | 521 | 74 | 595 |
| | योग (1 से 13) | 3689 | 741 | 4430 | 3607 | 764 | 4371 | 2884 | 950 | 4035 | 2742 | 960 | 3890 | | |

टिप्पणी:- (1) एनए - लागू नहीं।
(2) एनए - सूचना अप्राप्त।
(3) * 31.03.2023 की स्थिति समीक्षा के लिए।

तालिका 9 – संगठनात्मक संजाल

(संख्या)

| क्रम संख्या | एससीएआरडीबी का नाम | (एकात्मक / मिश्रित ढांचा) शाखाओं की संख्या | | पर्यवेक्षी इकाइयों की संख्या (क्षेत्रीय / मण्डलीय / आंचलिक) | | (एकात्मक / मिश्रित ढांचा) पीसीएआरडीबी की संख्या | | (संघीय ढांचे में) पीसीएआरडीबी शाखाओं की संख्या | | कुल संजाल | |
|-------------|----------------------|--|------------|---|-----------|---|------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 |
| 1. | गुजरात | 176 | 176 | 0 | 0 | एनए | एनए | एनए | एनए | 176 | 176 |
| 2. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 70 | 70 | 89 | 89 |
| 3. | हिमांचल प्रदेश | 51 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 82 | 82 |
| 4. | जम्मू एवं कश्मीर | 51 | 51 | 2 | 2 | एनए | एनए | एनए | एनए | 53 | 53 |
| 5. | कर्नाटक | 25 | 25 | 1 | 1 | 181 | 183 | 0 | 0 | 207 | 209 |
| 6. | केरल | 14 | 14 | 14 | 14 | 76 | 77 | 175 | 194 | 279 | 299 |
| 7. | पाण्डिचेरी | 1 | 1 | 1 | 1 | एनए | एनए | एनए | एनए | 2 | 2 |
| 8. | पंजाब | 0 | 0 | 24 | 24 | 89 | 89 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 9. | राजस्थान | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 36 | 124 | 124 | 162 | 162 |
| 10. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 21 | 22 | 180 | 180 | 0 | 0 | 201 | 202 |
| 11. | त्रिपुरा | 5 | 5 | 0 | 0 | एनए | एनए | एनए | एनए | 5 | 5 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 323 | 323 | 18 | 18 | एनए | एनए | एनए | एनए | 341 | 341 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 | 24 | 100 | 100 | 135 | 135 |
| | योग (1 से 13) | 657 | 657 | 83 | 84 | 606 | 609 | 499 | 518 | 1845 | 1868 |

टिप्पणी : एनए - लागू नहीं।

तालिका 10 – सदस्यता तथा निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल का विवरण (एससीएआरडीबी) (संख्या)

| क्रम संख्या | एससीएआरडीबी का नाम | ऋणी सदस्य | | गैरऋणी सदस्य | | कुल सदस्यता (ऋणी तथा गैर ऋणी) | | क्या एससीएआरडीबी का निर्वाचित बोर्ड है (हां/नहीं) | | निर्वाचित बोर्ड वाली एससीएआरडीबी की संख्या | |
|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------|--|------------|
| | | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 | 31.3.2023 | 31.3.2024 |
| 1. | गुजरात | 293211 | 293285 | 8548 | 7841 | 301759 | 301126 | हां | हां | एनए | एनए |
| 2. | हरियाणा | 76988 | 72638 | 653568 | 657559 | 730556 | 730197 | हां | हां | 19 | 14 |
| 3. | हिमांचल प्रदेश | 39912 | 34768 | 56210 | 80174 | 96122 | 114942 | हां | हां | 1 | 1 |
| 4. | जम्मू एवं कश्मीर | 77836 | 78016 | 21699 | 21792 | 99535 | 99808 | नहीं | नहीं | एनए | एनए |
| 5. | कर्नाटक | 663271 | 696775 | 514009 | 545782 | 1177280 | 1242557 | हां | हां | 179 | 181 |
| 6. | केरल | 1241112 | 547757 | 693642 | 870386 | 1934754 | 1418143 | हां | हां | 74 | 76 |
| 7. | पाण्डिचेरी * | 3285 | 3285 | 17240 | 17240 | 20525 | 20525 | नहीं | नहीं | एनए | एनए |
| 8. | पंजाब | 62752 | 56835 | 771516 | 775645 | 834268 | 832480 | हां | हां | 81 | 87 |
| 9. | राजस्थान * | 729207 | 729207 | 510482 | 510482 | 1239689 | 1239689 | नहीं | नहीं | 10 | 10 |
| 10. | तमिलनाडु | 153908 | 168211 | 1518805 | 1319318 | 1672713 | 1487529 | हां | नहीं | 179 | 0 |
| 11. | त्रिपुरा | 24269 | 24296 | 931437 | 931437 | 955706 | 955733 | हां | नहीं | एनए | एनए |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 419186 | 378541 | 1001934 | 1032032 | 1421120 | 1410573 | हां | हां | एनए | एनए |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 221946 | 209945 | 228614 | 216253 | 450560 | 426198 | नहीं | नहीं | 7 | 7 |
| | योग (1 से 13) | 4006883 | 3293559 | 6927704 | 6985941 | 10934587 | 10279500 | - | - | 550 | 376 |

टिप्पणी : (1) एनए – लागू नहीं।
(2) *31.03.2023 की स्थिति समीक्षा के लिए।

LIST OF MEMBERS (31.03.2024)

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd., (Bihar- Jharkhand), Patna.
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

सदस्यों की सूची (31.03.2024)

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहटी।
2. बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार – झारखण्ड), पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
5. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला।
6. जम्मू व कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बैंगलोर।
8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
9. उड़ीशा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।
10. पाण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि., पाण्डिचेरी।
11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि., चण्डीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
13. तमिलनाडू सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नई।
14. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि., शिलांग।
19. तेलंगाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि., हैदराबाद।



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

७०३ए, बीएसईएल टेक पार्क, ७वी मंजिल, ए - विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३
टेलीफोन (कार्यालय): ०२२-२७८१ ४११४/२२६
फैक्स : (०२२) २७८१ ४२२३
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com /
ncardbf.org@gmail.com
वेबसाईट : www.nafcard.org

703A, BSEL Tech Park, 7th Floor, A Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400 703
Telephone (Office) : 022-2781 4114 / 226
Fax : (022) 2781 4223
E-mail : nafcard.org@gmail.com /
ncardbf.org@gmail.com
Website : www.nafcard.org